राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का २५ वां दिवस [संख्या १७

शनिवार, दिनांक २० मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[योजना, श्रम, पशु–पालन, सामान्य प्रशासन, राजकीय उद्योग, सिंचाई, वन, यातायात, गृह, पंचायत, जन-सम्पर्क, सहकारी, राजस्थान केनाल एवं हिन्दी—विभाग]

जोतने योग्य भूमि और सिंचाई कार्य

३९०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य की कुल जमीन में से सन् ६३–६४ में कुल कितनी जमीन जोती गई? इसमें से कितनी पर नहर से व कितनी पर कुओं तथा तालाबों से सिंचाई हुई? जो जमीन नहीं जोती गई उसमें से ऐसी कितनी जमीन थी जो कि जोतने योग्य होकर भी जोती नहीं जा सकी और उसके क्या कारण हैं?

(२) क्या जो जमीन जोतने योग्य नहीं है उसे जोतने योग्य बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या और उसके जरिये कितनी जमीन जोतने में आ सकती है?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सन् १९६३-६४ में कुल भूमि ३,३३,५२,४७८ एकड़ जोती गई। इसमें से नहर से १५,०८,०९८ एकड़, कुओं से २७,३९,६४० एकड़, तालाब से २,९६,-९१० एकड़ सिंचाई हुई। इनमें से १,६५,-२८,७३० एकड़ कृषि योग्य होकर भी नहीं जोती गई।

सारी जमीन एक साथ काश्त न करने के कारण साधनों की कमी एवं रिक्लेमेशन की आवश्यकता, सिंचाई के साधनों का अभाव आदि की जगह से जमीनें बिना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जोती रही अधिक भाग डेज़र्ट एरिया (desert area) में हैं।

(२) जो भूमि काश्त योग्य नहीं है उसे काश्त योग्य बनाने के लिये उसका सर्वेक्षण होना जरूरी है। जिससे उसका वर्गीकरण (eatagorisation) होकर उसे रीक्लेम (reclaim) कराया जावे और यह काश्त योग्य हो सके। इसके लिये भारत सरकार से अभी हाल ही में ५०,००० रु० प्रति जिला स्वीकार हुआ है। इसमें अब कृषि विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य चालू होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें तीन करोड़ ३३ लाख एकड़ जमीन ऐसी बताई जो जोतने योग्य होते हुए भी जोत में नहीं आ पाई। तो इसके अलावा भी दूसरी जमीन है जो जोतने योग्य होने पर भी जोती नहीं गई? वह सरकार कितनी मानती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि १ करोड़ ३३ लाख के करीब कृषि योग्य होते हुए भी नहीं बोई गई, जोती गई।

श्री मुरलीधर व्यास : अब इसमें चूंकि सरकार ने एलॉट नहीं किया इसलिये नहीं जोती जा सकी इस प्रकार की जमीन कितनी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा मैंने निवेदन किया इसमें अधिकांश भाग डेज़र्ट एरिया का है। सरकार द्वारा एलॉटमेंट न किये जाने की वजह से भी कोई जमीन काश्त न कर सका हो, तो यह भी सम्भव है क्योंकि एलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू है और इस साल हमने आदेश दिये हैं कि ३० जून तक जितनी हो सके एलॉटमेंट की कार्यवाही पूरी की जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसी कितनी जमीन मानते हैं जो एलॉटमेंट न किये जाने से जोती नहीं जा सकी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका अलग से प्रश्न नहीं है। यह जो खाली भूमि बताई गई है इसमें वह भी शामिल है जिसका एलॉटमेंट करना है और वह भी शामिल है जिसका एलॉटमेन्ट फिलहाल बन्द है मिसाल के तौर पर राजस्थान कैनाल। इसमें वह भी शामिल है जो लोगों के अधिकार में है, पर साधनों की कमी से या कि कुछ जमीन बाकी छोड़ते हों इस वजह से भी काश्त न हो सकी हो; सिंचाई के साधन उपलब्ध न हो सकने के कारण भी हो सकती है कुछ जमीन काश्त होने से रह गई हो, तो इन सब प्रकार की जमीनें इसमें शामिल हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना यह चाहता हूं कि जोतने योग्य भूमि के होते हुए भी चूंकि सरकार ने एलॉटमेन्ट उसका नहीं किया इसलिये जोतने से रह गई; ऐसी जमीन कितनी है? इस तरह के आंकड़े आपके पास हैं या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि बीघा, बिस्वा, बिस्वान्सी में अनओक्युपाइड लैंड और ओक्युपाइड लैंड दोनों इसमें शामिल हैं और जहां तक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एलॉटमेन्ट का प्रश्न है, यह तो कन्टीन्यूड प्रोसेस है जो चलता रहता है; एलॉटमेन्ट करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बोर्डर का एरिया, नहरी एरिया में काफी जमीन खाली पड़ी है, लोगों ने अनाज उत्पादन के लिए जमीनें मांगी, पर सरकार ने एलॉट नहीं किया और इससे प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी जमीन है जिसका एलॉटमेन्ट होना चाहिये था और नहीं हुआ और वह पड़ी रही।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जैसे निवेदन किया कि एलॉटमेंट का एक कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है हर साल एलॉटमेन्ट के लिये जितनी दर्ख्वास्तें आती हैं उन पर निर्णय लिया जाता है। वे दर्ख्वास्तें समाप्त हो जाती हैं तो फिर नई मांगी जाती हैं तो फिर आती हैं। उन पर निर्णय लिया जाता है तो इस तरह का यह एक कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सारे राजस्थान के भूमिहीनों की दर्ख्वास्तें आ जानी चाहिये और वे आ गई हों और फिर एलॉटमेन्ट नहीं हुआ हो इसलिये खेती नहीं कर सके हों यह कारण नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जो जमीन उपजाऊ है, एलॉटमेन्ट न दे सके तो ऐसे मामले आपके सामने लावें तो आप खुद उनमें खेती कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समझ में तो आये नहीं आपके प्रश्न।

श्री जोधसिंह चौहान : जो जमीन खेती योग्य है उसका एलॉटमेन्ट सरकार न कर सके, तो क्या सरकार उस जमीन में स्वयं खेती करने का प्रयास करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि खेती योग्य भूमि है; जसे मान लीजिये सीलिंग का कानून अब आया है, डेज़र्ट में हजारों बीघा लोगों के पास है उसको वे स्वयं काश्त नहीं करते हैं तो वह भी उसमें है, अनकल्टीवेटेड है तो वह भी शामिल है तो उसके एलॉटमेन्ट का सवाल तो सीलिंग का कानून आ जावेगा तब आवेगा। इसी तरह राजस्थान केनाल एरिया में २०-२५ लाख एकड़ जमीन है पर उसके एलॉटमेन्ट के बारे में अभी नीति निर्धारित करना बाकी है। भारत सरकार से बात हो रही है। तो उसका एलॉटमेन्ट तब कर दिया जावेगा तो बड़े बड़े हिस्से तो ये हैं। बाकी तो कहीं पांच सौ बीघा, कहीं हजार बीघा के टुकड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों एकड़ जमीन किसी एक पर्टिक्यूलर स्थान पर पड़ी हो और उसका एलॉटमेन्ट नहीं कर सके हों जिसकी वजह से वह पड़त रह गई हो।

श्री मुरलीधर व्यास : कारण मूल में यह है कि १ करोड़ ६५ लाख एकड़ जमीन जो कि जोती नहीं जा सकी, जोतने योग्य होने के बावजूद उसमें १ करोड़ के आसपास ऐसी जमीन है जो कि सरकार की एलॉटमेंट की नहीं करने की नीति से बिल्कुल बंजर रही और जोती नहीं जा सकी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात बिलकुल गलत है।

Page No 4

श्री मुरलीधर व्यास : आपने अभी कहा है और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां का एलॉटमेन्ट हो रहा है। जैसलमेर के अन्दर २३ हजार एकड़ जमीन एलॉट की, बाड़मेर में १८ हजार एकड़ एलॉट की गई है केवल दो सालों में। आप यह नहीं कह सकते कि जमीन एलॉट नहीं की गई है बल्कि हमने इतनी ज्यादा एलॉट की कि हमारे रेवेन्यू का स्टाफ कोप-विथ नहीं कर सकता था डिमार्केशन के लिए तो हमने सेटलमेन्ट का एलॉट स्टाफ लिया पत्थर आदि के लगाने के लिए इसलिए, यह कहना बिलकुल गलत है कि उन एरियाज में एलॉटमेंट नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप तो २०-२५ हजार एकड़ के एलॉटमेंन्ट की बात कर रहे हैं। आपने लाखों और करोड़ों एकड़ एलॉट कर दी हो तो बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ लाख एकड़ जमीन जैसा पहले कहा था एलॉटमेंट के रूल्स के तहत और प्रोजेक्ट एरिया में एलॉटमेन्ट के तहत इन ७–८ साल में एलॉट की गई है। तो बिना एलॉट किये तो यह जमीन कब्जे में नहीं जा सकती और हमने रेगुलराइज़ेशन के तरीके से भी लाखों एकड़ जमीन दी है। तो यह नहीं कह सकते कि एलॉटमेन्ट नहीं किया। एलॉटमेंट किया है और एलॉटमेन्ट करना बाकी भी है। लेकिन एक करोड़ वाली जो जमीन बची है उसमें एलॉटमेन्ट किये जाने योग्य जमीन जिसके बारे में नीति निर्धारित करना बाकी है। इसीलिए जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के मामले में जो कि क्रोप पैटर्न के सिलसिले में कमेटी बनी हुई है, ये पाश्चर डेवलप किये जायें और खेती की जाये, बाकी जमीन का एलॉटमेन्ट मुतवातिर हो रहा है और हर साल लाखों बीघा जमीन एलॉट होती है। यह एक करोड़ एकड़ भूमि अन-एलॉटेड ही नहीं है बल्कि इसके साथ ही साथ वह जमीन भी है जो कि आलरेडी ऑक्युपाइड है कल्टीवेटर्स के द्वारा या तो वह पूरी जमीन पर खेती नहीं करते हैं या उनके पास इतना एरिया है कि वे खेती नहीं कर सके हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि कोटा जिले में कोटा और बूंदी में २५ हजार एकड़ जमीन ऐसी है कि जो काबिले काश्त है और वहां पर एलॉटमेंट नहीं किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां प्राजेक्ट एरिया के अन्दर कुछ दिनों के लिए एलॉटमेन्ट बन्द था। और इस २५ हजार की फिगर्स के बारे में मैं सही तौर से नहीं कह सकता लेकिन वहां का एलॉटमेन्ट चालू कर दिया गया है इसलिए अब तो वह प्रश्न भी पैदा नहीं होता। आप शायद उस एरिया के लिए कहते हैं जिसका एलॉटमेन्ट बाकी है। लेकिन किसानों ने एन्क्रोचमेन्ट करके कब्जा कर लिया और उसकी रेगुलेराइजेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसलिए आपके ख्याल से यह एलॉटमेन्ट होना बाकी कहा जा सकता है या कुछ जमीन राणा प्रतापसागर के विस्थापितों को बसाने के लिए रिजर्व की है। वह हम धीरे धीरे जो डिस्प्लेस्ड

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

होते जा रहे हैं उनको एलॉट कर रहे हैं। इसलिए जो थोड़ी बहुत जमीन बाकी है वह विस्थापितों के लिएं बाकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नीति निर्धारित नहीं होने की वजह से जमीन नहीं दी जा सकी......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी नीति निर्धारित नहीं की ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो करोड़ों एकड़ जमीन......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करोड़ों नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : १ करोड़ ६५ लाख एकड़ जमीन बची है तो यह जो जमीन बची है यह सरकार की नीति निर्धारित नहीं होने की वजह से एलॉट नहीं हो सकी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नीति निर्धारण का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा है कि कन्टीन्युअस प्रोसेस है और करोड़ों और लाखों एकड़ जमीन एलॉट हो रही है। जैसे १०० आदमियों ने दरख्वास्त दी तो अगली साल १०० का डिस्पोज़ल हो गया, फिर २०० ने दी तो उनका डिस्पोज़ल हो गया। एक कलम से सबको तो एलॉटमेन्ट नहीं हो सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी जो जमीन ५ करोड़ एकड़ जमीन बच रही है.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५ करोड़ एकड़ नहीं बचती। वे पहाड़ हैं, आबादी है, फैक्टरी एरिया है और ४३ लाख एकड़ जमीन चरागाह की है।

श्री मुरलीधर व्यास : १ करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि बता रहे हैं जो कि जोतने योग्य है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि एलॉटमेन्ट नहीं होने से हमारा राष्ट्रीय नुकसान हुआ है और इसके लिए गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है कि एलॉटमेन्ट की दरख्वास्तें होने के बावजूद बड़ा भारी राष्ट्रीय अपराध किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या नीति निर्धारित करते हैं कि भविष्य में ऐसी जमीन नहीं रहेगी और जमीन बराबर एलॉट हो जायेगी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मेरा एक कृषि मंत्री जी से निवेदन है जो कि योजना मंत्रीजी से बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन आपसे संबधित है क्योंकि माननीय लड्ढा साहब तो कानून की बात करने लग जायेंगे। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १ करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि जो कि कृषि योग्य होते हुए भी जिस पर खेती नहीं की गई है अगर कृषि मंत्रालय के पास ऐसी योजना है, जिससे आगामी ५ साल में यह जमीन खेती के अन्दर आ जाये और ८ लाख लोग जो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान में बेकार हैं जिनको योजना मंत्री जी काम देना चाहते हैं उन ८ लाख लोगों के लिए क्या १ करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि का एलॉटमेन्ट किया जायेगा...

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा कहना यह है कि जिस मंत्री के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है वही जिम्मेदार हैं और वही जवाब दे सकते हैं और दूसरे मंत्रियों को किसी प्रकार से नहीं पूछा जा सकता...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Is there any point of order in this ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is a point of disorder, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। व्यवस्था का प्रश्न यह था कि संबंधित मंत्री के अलावा दूसरे मंत्री से पूछा जाता है तो यहां प्रश्न इतना ही रहता है कि दूसरे मंत्री को उसकी पूर्व सूचना हो या नहीं हो इसलिए उसको यह एकदम पूछा जाना वाजिब नहीं होगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हों वे पूछ लिए जायें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका जवाब लड्ढा साहब दे दें कि क्या सरकार के पास योजना है कि आगामी ५ साल में यह जमीन काबिले काश्त हो जायेगी और एलॉट हो जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जोते जाने योग्य भूमि जिसको कल्चरेबल वेस्ट कहते हैं और जो सेटलमेन्ट के रेकार्ड में दर्ज है उसको मैंने इस जवाब के अन्दर जोते जाने योग्य भूमि बताया है; इसके जोते जाने योग्य डिक्लेयर होते हुए भी यह भूमि हम अनुभव से जानते हैं कि जब तक इस भूमि को रिक्लेम नहीं किया जाये, इसको लेवलिंग नहीं किया जाये तो यह १ करोड़ की जो फिगर है यह ऐसी फिगर नहीं है कि सारी की सारी जमीन अनऑक्युपाइड है और उसका एलॉटमेन्ट करना बाकी है, बल्कि १ करोड़ ६५ लाख की फिगर में आकुपाइड है किसी के खाते में दर्ज है लेकिन वह खेती नहीं कर रहा है, वह जमीन भी शामिल है और सरकार की अनआकुपाइड लैण्ड यानी पड़त लैन्ड भी शामिल है। इसमें वह भी शामिल है कि जिसको कृषि योग्य बनाने के लिए रिक्लेमेशन, लेवलिंग करने की जरूरत है। इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि हम गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया से बातचीत करके अब इस स्वीकृति को प्राप्त कर चुके हैं और हम उन सारी जमीन की सर्वे कराके एक स्कीम बनायेंगे। और जिसके रिक्लेमेशन करने की जरूरत है, लेवलिंग की जरूरत है उसको गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सहयोग से या अन्य तरीकों से उसके कृषि योग्य रेकार्ड में दर्ज होते हुए भी किसान खेती कर सकें और पैदावार ले सकें इस योग्य बनाने की कोशिश करेंगे।

Page No 7

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दूसरी बात यह है कि हमारी यह योजना है और जैसा मैंने यह निवेदन किया कि हमने ऐसे आदेश अभी निकले हैं कि जितनी भी अनआॅक्युपाइड लैण्ड सरकार की पड़त पड़ी हुई है उसको जल्दी से जल्दी एलॉट की जाय, और एलॉटमेंट की तारीख भी हमने ३०-६-६५ दी है और एक कम्पेन के बेसिस पर भूमि का एलॉटमेंट किया जाय ताकि अधिक से अधिक भूमि अधिक से अधिक लैण्डलेस टीनेन्ट्स के कब्जे में जाकर उस पर कल्टीवेशन हो और देश के उत्पादन में वह सहायक हो। एक कम्पेन बेसिस पर हम भूमि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दें। सर्विसमैन और एक्स-सर्विसमैन को दी जाय। इसके बाद जो बचे तो दूसरे लैण्डलैस टीनेन्ट्स को दी जाय। इस सिद्धान्त के आधार पर, कम्पेन के बेसिस पर एलॉटमेंट की तारीख निश्चित करके प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं और आगे कार्य चालू भी है।

श्री उपाध्यक्ष : Next Question.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते हैं कि जिस रेट से एलॉटमेंट अभी हो रहा है उस रेट से १६५ लाख एकड़ भूमि को एलॉट करने में ५५ वर्ष लग जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६५ लाख एलॉट होगी ऐसा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १६५ लाख कल्चरेबल वेस्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें से आधी से ज्यादा तो आलरेडी आक्यूपाइड बाई इन्डिविजुअल्स हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आक्यूपाइड है लेकिन कल्टीवेशन नहीं होती है, किसी वजह से नहीं होती है, चाहे राइट्स आप उनको नहीं दे पाये या और कोई वजह लेकिन गवर्नमेंट को उसको कल्टीवेबल करा सकने लायक बनाने में ५५ साल लग जायेंगे, क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि यह पीरियड बहुत अधिक है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जवाब दे रहे थे मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

लोकवाणी प्रेस के कर्मचारियों का मामला

३९१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ द्वारा लोकवाणी के प्रेस कर्मचारियों का मामला समझौता कार्यवाही के लिये श्रम अधिकारी के पास किस तारीख को पहुंचा ?

(२) समझौता अधिकारी ने इस संबंध में कार्यवाही किस तारीख को आरंभ की और वह कब समाप्त की ?

(३) समझौता कार्यवाही कानून के अनुसार कितनी अवधि में समाप्त हो जानी

Page No 8

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये ? क्या यह कार्यवाही इस अवधि में समाप्त हुई ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(४) श्रम विभाग श्रमिक संघों से पत्र व्यवहार किस भाषा में करता है और समझौता कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है ? क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनका श्रम अधिकारियों द्वारा पालन किया जा रहा है ? इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

(५) क्या राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ द्वारा समझौता कार्यवाही व अन्य पत्र व्यवहार को हिन्दी में करने के लिये श्रम अधिकारी को लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि इस पत्र के बावजूद हिन्दी का प्रयोग न करने के विरोध स्वरूप कर्मचारी संघ ने समझौता कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया ?

(७) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ के विवाद का अभी तक रेफरेंस नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्या कारण है ? इसमें अब कितना समय और लगेगा ?

श्रम मंत्री (श्री मीखाभाई) : (१) लोकवाणी प्रेस कर्मचारियों का विवाद समझौता अधिकारी के पास ११.५.६४ को प्राप्त हुआ ।

(२) समझौता कार्यवाही ५.६.६४ को प्रारम्भ हुई तथा ३१.७.६४ को समाप्त हुई ।

(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १२ (६) के अनुसार समझौता कार्यवाही १४ दिन में समाप्त हो जाना चाहिये परन्तु यदि विवाद-ग्रस्त पक्षों द्वारा अवधि बढ़ाने की सम्मति प्राप्त हो जाती है तो १४ दिन की अवधि समझौता वार्ता समाप्त करने में बाधक नहीं होती । इस विवाद में दोनों पक्षों की सम्मति से वह अवधि बढ़ाई गई थी ।

(४) श्रमिक संघों से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं में किया जाता रहा है । २६ जनवरी, १९६५ से सरकार की नीति स्पष्ट है कि २६ जनवरी, १९६५ के बाद हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाय । इसका पालन विभागों द्वारा पूर्णतया किया जा रहा है ।

(५) जी हां, इस सम्बन्ध में एक पत्र राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ द्वारा प्राप्त हुआ था । चूंकि विवाद पर कोई समझौते के लक्षण दिखाई नहीं देते थे, अतः पत्र व्यवहार का मौका ही प्राप्त नहीं हुआ ।

(६) समझौता अधिकारी के समक्ष इस प्रकार की कोई लिखित अथवा मौखिक सूचना नहीं है ।

(७) राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ के विवाद का रेफरेन्स सरकार द्वारा विज्ञप्ति सं० एफ. ५(१२५) लेबर एण्ड एम्प्लॉयमेंट ।६४ दिनांक १९-९-६४ को किया जा चुका है जिसकी सूचना सेक्रेटरी यूनियन को उसी दिन सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है ।

Page No 9

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस समझौता कार्यवाही में मालिकों की ओर से कभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं आया और न ही उन्होंने समझौता अधिकारी के किसी पत्र का कोई उत्तर दिया।

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस प्रकार का पत्र राष्ट्रीय प्रेस वर्क्स कर्मचारी संघ ने समझौता अधिकारी को लिखा है कि कोई भी पत्र आपके पास नहीं आया है और कभी भी कोई नहीं आया है। अगर आया है तो बतायें मन्त्री महोदय कि कौन सी तारीख को मालिकों की तरफ से कौन रिप्रेजेन्टेटिव समझौता अधिकारी के सामने पेश हुये हैं ?

श्री भीखाभाई : इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो उपस्थित होने का प्रश्न है और दूसरा पत्र का जवाब नहीं आने का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपस्थित नहीं हुए हैं, मैं कहता हूँ।

श्री भीखाभाई : उपस्थित हुये कि नहीं यह तो मुझे इस वक्त जानकारी नहीं है। उनको पत्र लिखा गया है उसका जवाब दिया गया है और एक बार नहीं दो बार जवाब दिया है जैसा कि इन पत्रों से (फाइल दिखा कर) मालूम पड़ता है। उन्होंने डिसएग्री किया है और जिसके कारण से फेल्योर रिपोर्ट दी गई और उसके पश्चात् उसका रेफरेन्स हुआ और रेफरेन्स करने के पश्चात् नो कन्सेन्ट के आधार पर नो डिस्प्यूट एवार्ड हो गया। इन सब बातों का माननीय सदस्य को पता नहीं होगा। वह एवार्ड भी प्रकाशित हो चुका है। केवल एक बोनस के मामले को लेकर वह मामला ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि रेफरेन्स वक्त पर नहीं हुआ, इस वजह से प्रेस कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि रेफरेन्स के वक्त का सवाल नहीं है। वह १४ दिन के अन्दर आम तौर पर हो जाना चाहिये लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ से रेफरेन्स हो गया था और दोनों की सहमति दी गई और अवधि बढ़ाई गई जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार है। उसके बाद रेफरेंस किया गया और जो फेल्योर रिपोर्ट हुई है उसके ऊपर मि० चावला जो कि सेक्रेटरी हैं उनके दस्तखत हैं। उन्होंने ३१–७–६४ को दस्तखत दिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जबकि आपके पास डिस्प्यूट रेफर किया जाता है तब १४ दिन की अवधि है और जब कि गवर्नमेंट द्वारा कार्यवाही नहीं होती है तो मजदूरों को जबरदस्ती हड़ताल करनी पड़ती है और उधर मालिकों की तरफ से आते नहीं हैं और आप उनको मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि आपके समझौता अधिकारी यह कहते हैं, जब कि मजदूर यह मांग करते है कि ५) रु० अन्तरिम सहायता दी जाय तो आपके श्रम अधिकारी यह कहते हैं कि उनको सुखाड़िया जी और श्रम मंत्रीजी ने जो अपील की है

Page No 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इसलिए मिलने मिलाने वाला नहीं है । इस तरह से यह कहकर मालिकों की तरफ से, लोकवाणी के मालिकों की तरफ से आपके विभाग द्वारा क्यों इस प्रकार का रुख अपनाया जाता है, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा लम्बा सवाल है । जिसका उत्तर मैं भाषण के समय दे दूंगा । आज जो विवाद होने वाला है उसमें ही इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि यह जनरल नेचर का सवाल है । मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक इस मामले में हो सका यह कोशिश की गई, और जब डिस्प्यूट आता है तो उसके बाद यह जरूरी तौर पर नियोजकों या व्यवस्थापकों से इस बात को पूछते हैं कि आपका दृष्टिकोण क्या है । बिना दृष्टिकोण के समझे हुए यदि एक तरफा एक्सपार्टी कार्य-वाही की जाये तो मैं समझता हूं कि वह न्यायोचित नहीं होगा ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उनके प्रोवीडेंट फण्ड की रकम जो लोकवाणी के मालिकों को जमा करा देनी चाहिये थी बैंक में, वह जमा कराई जा चुकी है क्या ?

श्री भीखाभाई : यह बिल्कुल ही अलग सवाल पूछ रहे हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : कोई अलग सवाल नहीं है

श्री भीखाभाई : उसमें सारे रेफरेन्स हो गये तो माननीय सदस्य का यह पूछना अनुप-युक्त होगा इसलिये कि वह मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा उसमें एवार्ड भी हो गया और एवार्ड होने के बाद अब इसको चैलेन्ज करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह कोर्ट के फैसले को चैलेन्ज करने के बराबर होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष......

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री जी मेरा सवाल ही नहीं समझे ।

प्रोवीडेंट फण्ड की रकम जमा नहीं कराई जाती है तो वह लेबर लॉ का वायो-लेशन है और किसी भी सूरत से लॉ का वायोलेशन नहीं किया जा सकता है । यह एक पार्ट ऑफ डिस्प्यूट है । प्रोविडेन्ट फण्ड वर्कर्स का जमा नहीं कराया है तो उनकी भी मांग है । इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि एवार्ड देने से पहले यह देख लिया गया था क्या कि प्रोवीडेन्ट फण्ड की रकम सारे वर्कर्स की जमा करा दी गई थी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका जवाब मिलना चाहिए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है । दिक्कत यह है कि इस प्रश्न के ऊपर मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से सम्भव हो सके, यह विश्वास, नहीं रहा, क्योंकि एक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मुकदमा ऐसा चल रहा है अदालत में कि जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय इम्प्ली-केटेड हैं और इस अखबार के प्रधान सम्पादक भी एक्यूज्ड के रूप में इन्वोल्व्ड हैं, उसमें इस वजह से इसके मालिकों के खिलाफ कार्यवाही हो, यह सम्भव नहीं है।

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : This is most irrelevant.

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि आप कहते हैं वैसी बात नहीं है। किसी भी बात का संबंध मुख्य मंत्रीजी के साथ जोड़ दिया जाता है यह हर्गिज नहीं है। मैं कहता हूं कि मजदूरों से हमारा भी वास्ता है। हम भी मजदूरों का भला करना चाहते हैं। सुधाकर शास्त्री हीरालालजी शास्त्री का लड़का है इसलिए आप जैसा कहते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, यह बात नहीं है। व्यक्तिगत मामला कुछ भी हो सरकार की ओर से जो कार्यवाही करनी चाहिए वह की जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप प्रोविडेन्ट फंड के बारे में जवाब दीजिये जमा कराया या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह लीगल क्वेश्चन है.........

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : Next question has been called.

कैटिल ब्रीडिंग फार्म, अलवर

३९२. श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर सु०) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर में "कैटिल ब्रीडिंग फार्म' कब खोला गया और उससे कितने दूध की सप्लाई अलवर शहर में होती है ?

(२) क्या यह बात सही है कि अलवर से यह 'कैटिल ब्रीडिंग फार्म" हटाया जा रहा है और उसे नागौर ले जाया जा रहा है ?

(३) क्या यह बात भी सही है कि 'कैटिल ब्रीडिंग फार्म' के स्थान पर अलवर में सूअर भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री भीमसिंह): (१) सन् १९३३ में भूतपूर्व रियासत द्वारा नस्ल सुधारने के लिए यह फार्म खोला गया था।

(२) जी हां। हटा दिया गया है परन्तु नागौर नहीं कुम्भेर ले जाया गया है।

(३) जी हां, अलवर में सूअरों के पिग ब्रीडिंग स्टेशन कम बेकन फैक्ट्री की योजना चालू की जा रही है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : अलवर का कैटल ब्रीडिंग फार्म इतने अर्से से चल रहा था, उसको क्यों हटाया गया ?

श्री भीमसिंह : इसलिए हटाया गया कि वहां जमीन की कमी थी और कैटल

(श्री भीमसिंह)

ब्रीडिंग अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। अब जो वहां पर सूअरों (पिग ब्रीडिंग) की योजना चालू की जा रही है उससे अलवर की जनता को लाभ मिल जायगा।

श्री गोकुलचंद जाटव : सूअरों की फैक्ट्री से क्या फायदा होगा ?

पशुपालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अलवर जिले की बड़ी तरक्की होगी, वहां पर ३०–३५ लाख का कारखाना खुल रहा है।

लूणकरणसर में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स का अभाव

३६३. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर में सरकारी कर्मचारियों एवं अध्यापकों के लिए निवास स्थान का नितान्त अभाव है ?

(२) क्या सरकार ने प्रशानिक अधिकारियों की एक बैठक में ऐसे स्थानों पर क्वार्टर्स बनाना स्वीकार कर लिया है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : वर्तमान मकानों की संख्या आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

(२) जी हां। इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की धनराशि से ११ मकान बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री भीमसिंह : यह स्वीकृति कब दी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : ६ मकानों की स्वीकृति ६ अगस्त, ६३ को दी थी और ८ क्वार्टर्स की स्वीकृति ८ अक्टूबर, ६३ को दी है।

श्री भीमसिंह : अभी मकान थोड़े ही बने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मकान पी० डब्ल्यू० डी० के थ्रू बनाये जाते हैं। उनको लिख दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी हो। हमने इजाजत दे दी है कलेक्टर बीकानेर को कि जल्दी से जल्दी क्वार्टर्स कंपलीट होने चाहिये। अभी फरवरी ६५ में ७३,६००) की सैंक्शन कलेक्टर बीकानेर को भेजी है उसमें लिखा है कि ५० परसेन्ट क्वार्टर्स यानी ४ क्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर बनाये जायं और ४ उस जगह बनाये जायं जहां पर हाउसिंग प्रोब्लम एक्यूट हो।

श्री भीमसेन : जहां हाउसिंग प्रोब्लम एक्यूट हो वहां बनाने के सिलसिले में क्या लूणकरणसर की ओर सरकार ध्यान देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि बीकानेर में हाउसिंग प्रोब्लम इतनी एक्यूट नहीं है तो कलेक्टर को लिख दिया जायगा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

लूणकरणसर के मामले को भी कंसीडर कर लिया जाय, बशर्ते कि दूसरी जगह बनाने के बारे में कंसीडर न कर लिया हो । इस समय क्या पोजीशन है, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भीमसेन : अभी तक काम शुरु नहीं हुआ है, क्या यह सरकार के ध्यान में है ?

श्री परसराम मदेरणा : पी. डब्ल्यू. डी. को लिख दिया है, सैंकशन कलेक्टर के पास पहुंच गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न संक्षिप्त रहें ताकि दूसरे लोगों को ऐतराज न हो कि उनके प्रश्न रह गये ।

प्रश्न संख्या ३६४

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये ।)

राणा प्रतापसागर डैम पर बरसात से नुकसान

३६५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

(१) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९६४ की बरसात में राणा प्रतापसागर डैम पर सरकार का व ठेकेदारों का काफी मेटीरियल पानी में बहा है ?

(२) अगर हां, तो अनुमानतः कितनी राशि का नुकसान हुआ ?

उप-मंत्री, सिंचाई (**श्री दौलतराम सारण**) : सन् १९६४ की बरसात में राणा प्रताप सागर डैम पर सरकार का कोई मेटीरियल नहीं बहा । हां, मेसर्स मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कंपनी (ठेकेदार) जो राणा प्रतापसागर डैम पर कार्य कर रही है उनका मेटीरियल अवश्य बहा है ।

(२) मेसर्स मोडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ५७,८०९ रुपयों का नुकसान प्रदर्शित किया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना नुकसान बताया ?

श्री दौलतराम सारण : ५७,८०९ रुपये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि मोडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस संबंध में सरकार को नोटिस भी दिया है कि क्षति पूर्ति करें ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार को लिखा था लेकिन सरकार ने रद्द कर दिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्रीजी बता सकते हैं कि इस मैटीरियल के बहने का क्या कारण था ?

श्री दौलतराम सारण : बाढ़ ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि जो पानी आया जिससे कि यह मैटीरियल बहा वह गांधी सागर डेम से छोड़ा हुआ पानी था और उसके कारण यह मैटीरियल बहा ?

श्री दौलतराम सारण : नदी के पानी से बहा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नदी का पानी आता है, लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि क्या इसलिये पानी आया कि गांधीसागर डैम से छोड़ा हुआ था ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी नहीं है ।

घास की खरीद

३६६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) अकाल पीड़ित क्षेत्रों में घास भिजवाने के लिये बारां जंगलात विभाग के रेंज किशनगंज, नाहरगढ़, जलवाड़ा, छबड़ा, छीपाबड़ोद एवं अटरू से वन विभाग द्वारा कितनी कीमत का कितना घास खरीदा गया और इस घास को कहां कहां एकत्रित किया गया ?

(ख) बारां डिपो से कितना घास रेल के डिब्बों में भराया गया ? किस किस दर से और इस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि इस लदान के बिल झूंठे बनाये गये, मजदूरों को कम पैसा दिया गया, सरकारी कोष से अधिक भुगतान लिया, इस प्रकार की शिकायत राज्य सरकार को मिली ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) अकाल पीड़ित क्षेत्रों में भिजवाने हेतु बारां डिविज़न में निम्नलिखित तादाद में घास विभागीय तौर पर १९६३–६४ में निम्न स्थानों पर एकत्रित किया गया है—

नाम स्थान	तादाद घास किलोग्राम में	स्थान जहां डिपो लगाया गया
नाहरगढ़	१२६४५४५	तलावड़ा, सीमलोद
किशनगंज	८९८७५६	लालपुरा, हीरापुरा, भंवरगढ़,
शाहबाद	११७००४२	केलवाड़ा, बालाचार, खीसीयारा, ढिकवानी
अटरू	२६४८४०	गोविन्दपुरा, दरा, निमसोदा, सालपुरा ।
योग	३५९८१८३	

इस घास पर कुल खर्चा १९६३-६४ में ३,१३,०२८.४५ पं. हुआ ।

(ख) बारां डिपो से २८,३८,२८८ किलो ग्राम घास १९६३-६४ का कटाया हुआ एवं ७५७ मन घास १९६०-६१ का रेल के डिब्बों में भराया गया । भराई का खर्चा १०) प्रति डिब्बे की दर से १३,७७०) रु० हुआ ।

(श्री भीखाभाई)

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में अभी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच कब से आरम्भ हुई है ?

श्री भीखाभाई : जब से मैंने हाउस में कहा था।

श्री भैरोंसिंह : आपने कब कहा था हाउस में ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को याद होगा, तारीख एग्जेक्टली मेरे पास है नहीं। या तो गये साल हुआ था या बाद में, मुझे याद नहीं लेकिन मैंने आदेश दिया था।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई, क्या उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि तब तक उनको निलंबित करने का प्रश्न नहीं है जब तक कि प्राइमाफेसी रिपोर्ट नहीं आवे। कंज़र्भेर की रिपोर्ट आई थी, उसमें दो-तीन क्लर्कों के खिलाफ लिखा था। मैं निश्चित नहीं कह सकता कि उस पर क्या कार्यवाही हुई।

श्री भैरोंसिंह : प्राइमाफेसी रिपोर्ट में जो तो उसके अनुसार क्या यह आवश्यक नहीं था कि उनको निलंबित करते ?

श्री भीखाभाई : प्राइमाफेसी का मतलब यह नहीं है कि फौरन ही किसी को एविडेन्सेज़ वगैरह रेकॉर्ड हुए बिना निलंबित कर दिया जाय। यह केस जब कि एन्टीकप्रशन विभाग को दे दिया गया है और वे जांच कर रहे हैं तो जब तक वे जांच नहीं पूरी कर लेते तब तक सस्पेन्ड करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्राइमाफेसी चार्जेज़ जिन्होंने लगाये उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्होंने फर्जी बिल बनाये ?

श्री भीखाभाई : केस की गवर्नमेंट डिटेल में जांच करावे, यह लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्राइमाफेसी केस बन जाय तो सस्पेन्शन के लिये वह पर्याप्त नहीं है ?

श्री भीखाभाई : जब तक चार्जशीट नहीं दें तब तक सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी जांच कब तक पूरी होनी चाहिये इसके लिये क्या अवधि निश्चित नहीं की जा सकती ? लंबी-चौड़ी अवधि लगेगी ?

श्री भीखाभाई : एन्टीकरप्शन विभाग को मामला दिया हुआ है, वे जांच कर रहे हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उनको प्रमोशन दे दीजिये। काम पूरा हो जायेगा।

उदयसागर बांध का पानी

३६७. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि सरकार गिरवा क्षेत्र में उदयसागर तालाब का पानी अब किसानों को नहीं देगी और इस आशय का नोटिस कलेक्टर द्वारा उन्हें दे दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को पानी दिये जाने की सुविधा के लिये मलाका गुढ़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में करगेट ग्राम के पाठकों का बेला (नाला) पर कोई बांध बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, कलेक्टर द्वारा नोटिस दिये जाने की जानकारी नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

श्री जोधसिंह चौहान : सुनाई नहीं दिया, क्या कहा !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सुनाई नहीं दिया । दुबारा फर्मायें ।

श्री जोधसिंह चौहान : सुनाई नहीं दिया, क्या फर्माया ।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी नहीं, कलेक्टर द्वारा नोटिस दिये जाने की जानकारी नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने उनको नोटिस दिया था । मैं कलेक्टर से बात करके आया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे का प्रश्न पूछें ।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : बात करके आये हैं तो फिर क्या झगड़ा है ?

श्री जोधसिंह चौहान : नोटिस दिया है । वह रोक रहे हैं उन्हें ।

प्रश्न संख्या ३६८

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४००

श्री जेठमल बरबड़ ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०१

श्री केदारनाथ ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०२

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जेठमल बरगड़ (परबतसर): प्रश्न संख्या ४०० !

श्री मानिकचन्द सुराणा [कोलायत]: may be permitted to ask this question.

श्री उपाध्यक्ष: I have received an authority slip.

श्री जेठमल बरबड़: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया मैं बोल गया था।

श्री उपाध्यक्ष: ठहरिये आप !

प्रश्न संख्या ४०३

श्री आनन्दसिंह कछवाहा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अब तो पुछवाइये। वे बोल गये हैं, वे बैठे हैं।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललितमोहन !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

निवाई कस्बे में बस स्टेन्ड

४०५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज़ के लिये निवाई कस्बे में बस स्टेण्ड नहीं बनाया गया है और न ही वहां पर पानी की व्यवस्था है ? यदि हां, तो अब निवाई में बस स्टेन्ड बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(२) क्या यह सच है कि जिलाधीश टोंक के द्वारा बस स्टेन्ड की जमीन की मांग करने पर तहसीलदार ने व नगरपालिका निवाई ने एक राय से ज़मीन के लिये प्रस्ताव पास करके जिलाधीश टोंक के पास भेज दिया है ? यदि हां, तो फिर बस स्टेन्ड बनाने में क्यों देरी की जा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। निवाई में अभी तक बस स्टेन्ड के लिये कोई उपयुक्त जमीन प्राप्त नहीं हुई है। जिस जमीन को इस विभाग ने चयन किया था वह जमीन नगरपालिका द्वारा बेच दी गई। निवाई बस स्टेन्ड पर पानी की स्थाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर वर्ष गर्मियों में पानी की व्यवस्था की जाती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पानी की व्यवस्था की जावेगी।

(२) जी हां, ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष नगरपालिका निवाई द्वारा ६-३-६५ को जिलाधीश टोंक को भेजा है। निगम इस भूमि का निरीक्षण करेगा, इस भूमि को उपयुक्त होने के बाद ही जिलाधीश टोंक को अवाप्ति करने के लिए लिखा जावेगा और भूमि अवाप्ति हो जाने के बाद ही बस स्टेन्ड का बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या यह सही है कि गये सेशन में गवर्नमेंट ने जवाब दिया था कि जल्दी ही निवाई में बस स्टेन्ड बनाया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी बनेगा। यह तो सरकार की मर्जी आज भी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इरादा क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इरादा यही है। हमने जो जमीन चुनी थी उस जमीन को म्यूनिसिपल कमेटी ने बेच दिया। दूसरे को वह जमीन बेच दी उस जमीन पर बस स्टेन्ड कैसे बनेगा। अब म्यूनिसिपल कमेटी को कहा तो उसने ६-३-६५ को चिट्ठी लिखी है कि यह खेत है इसमें बना दीजिये। उस खेत को अब देख कर उसको एक्वायर करने की बात आयेगी। अगर कोई ओपन गवर्नमेंट लैण्ड होता है तो एक्शन लेने में देरी नहीं होती है। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑक्युपाइड लैंड नहीं था और किसी दूसरे का लैण्ड एक्वायर करना पड़ेगा। वैसे जजमेंट बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं कि इन्डीविजुअल के लिए लैण्ड एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए इसको निगोशियेशन्स से लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा समय लग जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप जमीन लेना चाहें तो मानक चौक चौपड़ पर जमीन कैसे ले लेंगे। वह जो जमीन थी वह कीमती जमीन थी न मालूम मोटर स्टेन्ड बनाने के लिए जमीन कैसे दे दी ? एक बात यह है कि उसके बाद में दूसरी जमीन बता दी है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह ६-३-६५ की चिट्ठी में है जो मैंने आपको बताई।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं, नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब कलेक्टर के पास ६-३-६५ को चिट्ठी भेजी है। वह इन्सपेक्शन करने के बाद में, वह जमीन नेगोशियेशन से मिल जाय-इस बात के लिए प्रयत्न करेगा। निगोसियेशन से जमीन मिल गई तो वहां बस स्टेन्ड बनाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत जवाब है......

श्री उपाध्यक्ष : इसका काफी स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आठ महीने पहले जमीन बताई है। यह गलत जवाब है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : १९६४ के अन्दर आज से आठ महीने पहले नगरपालिका ने जमीन बताई थी !

श्री उपाध्यक्ष : इसका अलग तरीका है जानने का !

ऑर्डर प्लीज ! श्री मानिकचन्द सुराणा !

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : काफी स्पष्टीकरण हो जाय, उसके बाद भी संतोष नहीं हो, यह कोई बात है।

नोखा पंचायत समिति के विकास अधिकारी के आचरण की जांच

४०६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या नोखा पंचायत समिति में माह फरवरी, ६४ में श्री हरिसिंह चौधरी ए. एच. ई. ओ. ने विकास अधिकारी के पद पर जब श्री के.के. चौधरी विकास अधिकारी छुट्टी पर गये हुए थे, कार्य किया ? यदि हां, तो किस तारीख से किस तारीख तक ?

(२) क्या यह सही है कि कृषि के कोटे में आई हुई जी.पी. शीट्स में से उक्त अधिकारी ने सौ किलोग्राम जी. पी. शीट्स अपने नाम से दर्ख्वास्त देकर स्वयं ने मंजूर कर दीं और ६५० किलोग्राम जी. पी. शीट्स का कोटा मोहम्मद आयरन स्टोर्स, बीकानेर को मंजूर कर दिया ?

(३) यादि हां, तो क्या उक्त सारी कार्यवाही नियम व नीति विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के इस आचरण की क्या सरकार ने कोई जांच की है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। दिनांक २१ फरवरी, ६४ से ६ अप्रेल, १९६४ तक कार्य किया।

(२) जी हां।

(३) आवश्यक जांच की जा रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कार्यवाही की जा रही है ? बताइये जरा। और किस तारीख से शुरू की गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उधर बैठा करें आप नजदीक।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बताइये।

भीखाभाई : कार्यवाही यही की है कि एनीमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी करके उचित कार्यवाही करे।

श्री मानिकचंद सुराणा : एनीमल हस्बेन्ड्री का एक्ज़ीबीशन ऑफिसर जब बी. डी. ओ. की जगह काम कर रहा था उसके कार्यकाल के अन्दर एग्रीकल्चर के कोटे में से आई हुई शीट्स में से एक क्विन्टल का परमिट उसने अपने खुद के नाम काट लिया और साढ़े नौ क्विन्टल का परमिट बीकानेर के एक व्यापारी के नाम काट दिया। जो शीट्स भेजते हैं वह काश्तकारों को देने के लिए भेजते हैं। लेकिन वह साढ़े नौ क्विन्टल का परमिट एक व्यापरी को दे दे और खुद एक क्विन्टल का ले ले तो क्या पंचायत विभाग ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है ?

श्री भीखाभाई : उसका जो पेरेन्ट डिपार्टमेंट है वह एनीमल हस्बेंड्री है।

श्री मानिकचंद सुराणा : किस तारीख को लिखा है कार्यवाही करने के लिये ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कागजों में तारीख नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उधर नजदीक बैठा करें।

श्री भीखाभाई : नजदीक बैठने का सवाल नहीं है। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं किस तारीख को लिखा है।

Page No 20

श्री जेठमल बरबड (परबतसर) : ओन ए पोइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा प्रश्न रह गया है। मैंने नम्बर बताया था उसके बाद आपकी निगाह मेरे ऊपर नहीं गई।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नाम बोला उस वक्त आप बोले नहीं।

श्री जेठमल बरबड : आपने नाम बोला वह गलत नाम बोला था। आपने पत्थर बोला था।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : यह कह रहे हैं कि मेरे नाम के साथ पत्थर कहा। मैं पत्थर-वत्थर नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। आपको चान्स यह सब खत्म होने के बाद दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको आसन से आंख मिलाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ? मंत्री महोदय जवाब न देवें और जवाब के अभाव में आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह दें। ये बैठ जाय और जवाब न दें ? यह क्या है ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दिया कि तारीख मेरे पास नहीं है। आप चाहें तो मैं तारीख आपको बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे चाहने से क्या मतलब है...

श्री भीखाभाई : इस वक्त नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सवाल के जवाब में, उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने सप्लीमेन्ट्री तैयार किये हैं। सीधा सवाल है, आप एडमिट करते हैं दोनों बातें कि दोनों बातें सही हैं और आप कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। लेकिन किस तारीख से कर रहे हैं—यह मालूम नहीं है।

श्री भीखाभाई : दोनों बातें सही नहीं हैं। मैंने कहा कि जांच की जा रही है। जो प्राइमाफेसी रिपोर्ट मिली है कलेक्टर की उसमें लिखा है कि जो व्यक्तिगत पर्मिट ली है वह आब्जेक्शनेबल है, यह एतराज के काबिल है-इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब क्या डिपार्टमेंटल एक्शनलेना चाहिए, उसके लिए मैंने निवेदन किया। दूसरे पोइन्ट का सवाल है, वह यह है कि एक मेसर्स मोहम्मद आयरन स्टोर्स को पर्मिट दे दिया गया है। उसके बारे में कलेक्टर की रिपोर्ट है कि उसे ट्रक्स बनाने के लिए दिया था, पंचायत समिति के लिए जो ट्रक्स बनाये उसके लिए दिया था और टेन्डर के आधार पर दिया था। फिर भी मैं समझता हूं कि सारा का सारा मामला जो है इसकी एन्क्वायरी एनीमल हस्बेन्ड्री करेगा और जो रिपोर्ट होगी वह आपको बता दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : Next Question.

असिस्टेन्ट पब्लिक रिलेसन्स ऑफिसर्स के पद पर नियुक्तियां

४०७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या जन सम्पर्क विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में असिस्टेन्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर्स की नियुक्तियां किस निर्धारित योग्यता व अनुभव के आधार पर कब की गईं ?

(२) क्या इनकी स्थायी नियुक्ति के लिए जन सेवा आयोग से मंजूरी मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि अजमेर में इसी पद को अपग्रेड किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

मंत्री, जन संपर्क (श्री मथुरादास माथुर) : (१) असिस्टेन्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर्स के पदों पर दिनांक १६–३–६४, ७-६-६४ तथा २१-१२-६४ को नियुक्तियां की गई थीं। इस पद के लिए ग्रेजुएट की योग्यता और दो वर्ष का प्रदर्शनियों का आयोजन करने का अनुभव रखा गया था। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया था कि जो लोग पत्रकारिता व जन–सम्पर्क के कार्य में किसी प्रकार का अनुभव रखते हों, तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(२) इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्रकार के पद विभागाध्यक्ष की परिधि में आते हैं।

(३) जी नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो आपने फर्माया कि तीन तरह की आपने ग्रेड्स रखी हैं और इन आदमियों को लिया है। दूसरे के जवाब में आपने फर्माया कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से इस मामले में जांच नहीं करवाई है और आपने यह फर्माया है कि ऐसे आदमी को रखा जायगा जो इतनी प्रदर्शनियों को एक साल में लगाये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पर आपके डिपार्टमेंट का आदमी काम करता है वह एक साल में इतनी प्रदर्शनी न लगाये तो उस आदमी के लिये आपका कहना है कि उसे तीन साल प्रदर्शनी लगाने का एक्सपीरियेन्स नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल होवे है या आपका आदेश होवे है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आदेश नहीं है। आप खड़े होकर जवाब दीजिए; बैठे बैठे नहीं। मैं साफ सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसे आदमी के लिए आपने क्वालिफिकेशन रखी है कि इतनी प्रदर्शनी लगाने का अनुभव हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी जगह काम कर रहा है कि जहां प्रदर्शनी साल में भी नहीं लगती हो तो फिर इसका एक्सपीरियेन्स कैसे होगा, प्रदर्शनी लगाने का ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी समझ में प्रश्न नहीं आया। जो क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं उनके हिसाब से ओपन फील्ड से भी लोग आते हैं और गवर्नमेंट सर्वेन्ट भी एप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि

(श्री मथुरादास माथुर)

यह तजुर्बा होना चाहिये, वह तजुर्बा कुछ को होता है और कुछ को नहीं होता है। इसके साथ ही हमने कह दिया है कि ग्रेजुएट होना चाहिये और ऐसे व्यक्ति को प्रिफरेन्स दिया जाना चाहिये। उसके बाद में जो आते हैं, जो एप्लाई करते हैं उनके लिये एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है और उसके द्वारा सिलेक्शन हो जाता है। अब कोई ऐसी जगह हो तो वहां पंचायत समितियों में कोई प्रदर्शनी लगती होगी या दूसरी किसी जगह कुछ लगता होगा। यह जो क्वालिफिकेशन्स रखी हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वही होनी चाहिये। अगर कभी कमी नहीं होती हैं तो दूसरी बातों को देखते हुए ले लेते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने फर्माया है कि क्वालिफिकेशन में तीन चीजें रखी हैं, एक तो ग्रेजुएट होना चाहिये, दूसरे एग्ज़ीबीशन लगाने का एक्सपीरियेन्स होना चाहिये और तीसरे पत्रकार होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो हाइएस्ट ऑफिसर की जगह पर नियुक्ति करने की बात है, क्योंकि इस पर पी. एस. सी. से एप्रूव कराके, आदमी का इन्टरव्यू कराके सिलेक्शन करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यू में नहीं आता है। मिनिस्टीरियल ग्रेड की जगह है। अब तीनों के हिसाब से आदमी नहीं आता है तो इसमें मैं क्या करूं ? अब बताइये !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने नम्बर ३ के उत्तर में कहा, "जी नहीं"। क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है कि अजमेर में इसी पद को अपग्रेड किया जाए ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कह दिया, "जी नहीं"।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०८

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०९

श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, दलपतपुरा को ऋण एवं अनुदान

४१०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति, नीम का थाना जिला सीकर के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति (दौलपतपुरा) का पंजीयन कब हुआ ?

(२) उक्त समिति में अनुदान की राशि को पूरा करने के वास्ते क्या श्री रामअवतार नामक व्यक्ति को वैतनिक मंत्री रखा गया था ?

(श्री भैरोंसिंह)

(३) क्या यह भी सही है कि जिस बैठक में उक्त व्यक्ति की नियुक्ति की गई कोरम नहीं था तथा जिस बैठक में वेतन देने का निश्चय किया उसका भी कोरम नहीं था तथा जिस तिथि को उसे हटाया उस बैठक में भी कोरम नहीं था ?

(४) क्या यह सही है कि जिन दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर बैठकों में दिखाये गये हैं उन्होंने भी बयान दिये हैं कि यह व्यक्ति कभी काम पर नहीं आया तथा उन्होंने इस प्रकार की किसी कार्यवाही में भाग नहीं लिया ?

(५) क्या यह सही है कि समिति के रिकार्ड में इस भुगतान की कोई रसीद रिकार्ड में नहीं है ?

(६) उक्त समिति की जांच कब की गई तथा क्या परिणाम रहे ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) पंचायत समिति, नीम का थाना, जिला सीकर के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति दलपतपुरा (दौलतपुरा) का पंजीयन दिनांक २४-१२-५९ को हुआ तथा उसको ऋण, अनुदान निम्न प्रकार मिला है :–

ऋण

दिनांक	२४.२.६०	को	४०००)	रु.
,,	१९.७.६०	को	४२४०)	रु.
,,	२५.३.६३	को	६४८०)	रु.
,,	४.८.६४	को	४८५०)	रु.

अनुदान

वर्ष १९६०-६१	२००)रु.	दि. २०.१.६१
वर्ष १९६१-६२	२००)रु.	दि. ६.३.६२
वर्ष १९६२-६३	१००)रु.	दि. २८.३.६३
वर्ष १९६३-६४	१००)रु.	दि. २८.३.६३

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। यह सही है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों ने यह बयान किये हैं कि वैतनिक मन्त्री रखा गया है, यह समिति में कभी कार्य करने नहीं आया। वह सही नहीं है कि उक्त व्यक्तियों ने यह बयान किया कि उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

(५) जी हां।

(६) ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जांच दिनांक २३.६.६४ तथा १.७.६४ को की गई। जांच का परिणाम यह हुआ कि समिति के मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं श्री रामावतार द्वारा पूछने पर मालूम हुआ कि १५०) रु० वेतन के श्री रामावतार को दिये गये थे। ये १५०) रु. की राशि श्री रामावतार वैतनिक कर्मचारी से वसूल कर बैंक में जमा करवा दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

बांसों के जंगल की नीलामी

४११. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के महकमा खास के आदेश दिनांक १.८.४५ के अनुसार अलसीगढ़ से संबन्धित जंगलों में से भीलों को बांस व लकड़ी लाने की सुविधा प्राप्त थी ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष पहली बार अलसीगढ़ पाई के पास का मरवड़े का बांसा का जंगल नीलाम किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार भीलों के जीवनोपार्जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस जंगल का ठेका रद्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) इस आदेश की जानकारी नहीं है।

(२) जी नहीं। यह पहली बार नीलाम नहीं हुआ है ।

(३) जीवनोपार्जन के लिये अगर भील कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर जंगल ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

मगर आदि जानवरों को पकड़ने की मनाही।

४१२. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि नोटिफिकेशन द्वारा सन् ६५ तक मगर आदि जानवरों का पकड़ना मना कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि दिनांक २३.९.६४ को एक मगर व ५.१०.६४ को दो मगर चम्बल नदी से गेम्स वार्डन, कोटा ने पकड़े ? अगर हां, तो क्यों व कैसे ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपने भाग (२) के उत्तर में 'जी नहीं' कहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार उत्तर देकर जीवित मक्खी को निगलने की कोशिश की जा रही है। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा दोनों दिन मगर पकड़े गये और आपके गेम्स वार्डन कोटा, ने पकड़े हैं और वे मगर अजमेर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री भीखाभाई : आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह बिल्कुल गलत सूचना आपको विभाग वालों ने दी है।

श्री भीखाभाई : मैंने पहले भाग के उत्तर में 'जी हां' कहा वह भी बिल्कुल राइट है और दूसरे भाग में 'जी नहीं' कहा, वह भी राइट है। आपने जो जानकारी थोड़ी बहुत ठीक हो, दी है, सरकार को इससे

(श्री भीखाभाई)

बहुत लाभ होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो घड़ियाल विभाग की तरफ से पकड़े उनको मत्स्य विभाग की तरफ से लाइसेंस दिया हुआ था। दो मगर पकड़े गये और जसा कि कहा जाता है कि वे अजमेर गये, उनके लिये लाइसेंस रिसर्च के लिये ठेकेदार के नाम से इश्यू हुआ था यह सही है। इसके बारे में क्या कार्यवाही की जावेगी इस सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उचित कार्यवाही क्या हो सकती है इसके बारे में ध्यान दिया जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी कौन थे ;

श्री भीखाभाई : मेरे पास जानकारी है इसमें मत्स्य विभाग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार की यह नीति है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाये और बड़े बड़े मगरों को छोड़ दिया जावे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये जो मगर पकड़े गये वे वहां विभाग के कर्मचारियों ने पकड़े, यह सही है ?

श्री भीखाभाई : आपने कहा कि इसकी जानकारी की जानी चाहिये। यह कहां तक सही है, इसके लिये मैं जानकारी कराऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्षजी, फिर प्रश्न रखने का क्या मतलब है ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपको कहा कि मगर पकड़े गये या नहीं, आपने इस बात का प्रश्न किया था। मैंने कहा, पकड़ गये, गेम वार्डन ने पकड़े। उनको इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं था मगर पकड़ने का। घड़ियाल पकड़ने का लाइसेंस मत्स्य विभाग की तरफ से दिया था वह क्यों दिया गया ? इन सारी बातों की जानकारी करा लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर वित्त मन्त्री जाते हैं और उनके साथ आदमी जाते हैं और मगर पकड़े जाते हैं और अजमेर चले जाते है। मै समझता हूँ कि अगर आपके बड़े बड़े अधिकारी ऐसा करेंगे तो मध्य केडर के व्यक्ति...

श्री भीखाभाई : उसमें मंत्री का कोई नाम लिखा नहीं है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मगर पकड़े गये। मगर जहां पकड़ने की बात नहीं हो सकती...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि घड़ियाल पकड़े गये। मगर और घड़ियाल, दोनों एक ही चीज हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : घड़ियाल मगर से बड़ा होता है और सफेद कपड़े पहने हुये होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान नहर और लिफ्ट योजना

४१३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान केनाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना तैयार करली गई है ? अगर हां, तो इस योजना पर कुल कितना खर्चा होगा तथा अनुमानत : कितनी भूमि इस योजना से सिंचित होगी ?

उप-मंत्री, बड़ी सिंचाई योजना (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान नहर की पहली लिफ्ट योजना का सर्वे कर लिया गया है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस योजना पर खर्चे का और सींची जाने वाली भूमि का अनुमान तब लग सकेगा जब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन कर तैयार हो जाय।

श्री भीमसेन : कब तक तैयार हो जावेगी ?

श्री दौलतराम सारण : लगभग दो महीनों में।

श्री भीमसेन : लिफ्ट इरिगेशन राजस्थान कैनाल को प्रोजेक्ट मानकर तैयार की थी। अब आप अलग से वर्क आउट करना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपको सारी जानकारी है, आपके क्षेत्रमें ही है। तीन लिफ्ट योजना बनाने को थीं। यह पहली योजना है। इसकी सर्वे कराई गई है और दो महीनों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जावेगी।

श्री भीमसेन : प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जायेगी, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान कैनाल को प्रोजेक्ट का एक अंग मानकर क्यों नहीं चलना चाहिये; अलग अलग मान कर क्यों चलाया जा रहा है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसको अलग रखा जावे या शामिल रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत चान्डी में अनियमिततायें

४००. **श्री जेठमल बरड़** (परबतसर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है, कि फरवरी, १६६४ में ग्राम पंचायत चान्डी के वार्ड पंचों के डेपुटेशन ने पंचायत मन्त्री को चांडी के भूतपूर्व सरपंच के द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बारे में ग्रोथ कमिश्नर द्वारा तस्दीक सुदा हल्फनामे सहित शिकायत पेश की थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच करने बाबत जांच अधिकारी एस. डी. ओ, परबतसर को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। पंचायत में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

(२) जी हां। जांच हो चुकी।

श्री जेटमल बरवड़ : जांच होने के बाद में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भीखाभाई : जांच तो हो गई। मगर इसमें प्रश्न यह था कि अनियमिततायें की हैं उसको सस्पेन्ड किया जावे। मगर इससे पहले इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अगर उस समय सरकार ऐसा करती तो माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है और विरोधी पक्ष के पंच को अलग करना चाहते हैं। वह भंग नहीं की गई और अब चुनाव हो गये हैं। अब आम जनता ने उसको भंग कर दिया है। अब मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अनियमितताओं को टोलरेट करने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। जिस किसी ने भी इस प्रकार की अनियमिततायें की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये।

श्री जेठमल बरवड़ : मैं मन्त्री महोदय को बताऊं कि कहां खराबी है। भूतपूर्व सरपंच ने एक एक हजार रुपयों के जुर्माने लोगों पर किये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री भीखाभाई : मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जांच करा लूंगा और नियमानुसार जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करूंगा। पर जहां तक मेरी जानकारी है, भूतपूर्व सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है तो कोई जुर्म भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ साबित नहीं हो सकता ?

श्री जेटमल बरवड़ :एक एक हजार रुपया जुर्माना किया है तो इसमें अप्रत्यक्ष हाथ का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : लास्ट का एक स्थगन प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पानरवा वाला स्थगित प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष ; The Question hour is finished .

आगे की कार्यवाही....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पानरवा वाला पोस्टपोन हुआ था...

(विरोधी दल के अनेक मा. सदस्य बोलने लगे)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्थगित प्रश्न तो हमेशा लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : All right. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वे हैं ही नहीं।

श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा) : ४-५ नाम से यह प्रश्न पूछा गया है। मेरा नाम भी लिखा हुआ है।

Page No 28

स्थगित प्रश्न

(१०.३.६५)

पानरवा जंगल का ठेका

२६०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर)

२ श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

३ श्री श्रवणलाल (हिंडौन सु.) :

४ श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पानरवा जंगल का क्षेत्रफल क्या है ?

(२) इस समय इसका ठेका किसको, कितने रुपयों में और किन किन शर्तों पर दिया हुआ है ? यह ठेका कब समाप्त होगा ?

(३) इस समय इस जंगल में कितनी लकड़ी उपलब्ध है ?

(४) इस ठेके के पूर्व इस जंगल का ठेका किस व्यक्ति को किन शर्तों पर दिया गया था ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) लगभग ३०० वर्ग मील ।

(२) इस समय इस जंगल का ठेका श्री गुलाम अब्बास पिता अकबर अली मालमवाला उदयपुर को १८०००) रु० सालाना पर दिया हुआ है, शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है । यह ठेका आगामी माह जून में समाप्त होगा ।

(३) इस समय इस जंगल में कटी हुई लकड़ी करीब ६०.६०० क्विन्टल है । बिना कटी लकड़ी का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(४) मौजूदा ठेकेदार के पास यह जंगल राजस्थान निर्माण के पूर्व से ही है । इससे पहले यह किसी गुजराती के पास था ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोधसिंह चौहान : आपने बताया कि जून में ठेका समाप्त होगा, पर आपने रिपोर्ट दी उसमें लिखा है कि २६ जनवरी, १९६५ में समाप्त होगा, उसके बाद जो लकड़ी रहेगी उस पर सरकार का अधिकार होगा । तो कौनसी चीज सही है ?

श्री भीखाभाई : रिपोर्ट लिखी है वह ठीक है । मैं मानता हूं, ऐसा ही किया गया है जैसी कि माननीय सदस्यों की इच्छा थी । २९-१-६५ को उसका काम रोक दिया । उसने दरख्वास्त दी, उससे ऐसा लगा कि उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उससे लिखा हुआ था उसके २९-३-६५ को ठेका एक्सपायर होता है । माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा, कई तार भेजे तो हमने कह दिया कि उसका काम रोक दिया जाना चाहिये और उसका काम रोक दिया । काटी हुई लकड़ी जहां पड़ी थी वहीं पड़ी हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १८००० रुपयों में ठेका दे दिया गया तो क्या यह सही है कि इसी जंगल के ठेके के लिये १॥ (डेढ़ लाख रुपया) ऑफर किया गया

(श्री मुरलीधर व्यास)

था। उसके बावजूद भी १८ हजार में यह ठेका दिया गया ?

श्री भीखाभाई : These are all extraneous questions at this juncture.

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये बातें तो बाद में आने वाली बहस के समय उठाई जा सकती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जवाब दीजिये, यह १० लाख का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री भीखाभाई : प्रश्न-काल में यह प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। जो सूचना आपने मांगी है वह सूचना मैंने आपको दे दी है। जिस प्रकार माननीय सदस्य व्यग्र हो रहे हैं, मैं भी उतना ही व्यग्र हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। २९ जनवरी को ठेके की अवधि समाप्त होने पर क्या सरकार के अफसरों ने पानरवा जंगल में जाकर देखा है कि कितनी लकड़ी गुलाम अब्बास के कब्जे में थी ?

श्री भीखाभाई : यह रिपोर्ट आई है, वह क्या मतलब रखती है ? हमने कहा कि इतनी लकड़ी पड़ी है, वह गुलाम अब्बास की थी तो भी रख ली गई है। जो लकड़ी ठेकेदार ने काटी वह वहां पड़ी हुई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): शरायतनामे के खिलाफ स्टेन्डर्ड वृक्ष, दो–दो सौ, तीन–तीन सौ वर्ष के पुराने स्टेन्डर्ड वृक्ष सैंकड़ों की तादाद में काटे गये, अगर ये स्टेन्डर्ड वृक्ष काट दिये तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट मैंने ध्यान से देखा नहीं है। इस प्रकार के स्टेन्डर्ड वृक्ष काटने की शिकायत मेरे पास आई नहीं है अभी तक।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मोटी बात है, हर एक जंगल के अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि जिन शरायत पर जंगल का ठेका दिया गया है उन शरायत का पालन किया गया है या नहीं। ठेकेदार एग्रीमेंट पर पाबन्द रहा है या नहीं। हर एक अधिकारी का फर्ज होता है कि उस क्षेत्र की जांच करे कि स्टेन्डर्ड वृक्ष काटे हैं या नहीं। अगर काटे हैं तो फौरन उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। बहुत से लोगों ने जाकर जांच की है, उन्हें तसल्ली हो गई है कि स्टेन्डर्ड वृक्ष सैंकड़ों की तादाद में काटे हैं। तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यदि मन्त्री महोदय को इस प्रश्न के खण्ड (४) के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं हो तो बाद में मांग आवे उस समय स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is dereliction of duty.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह प्रश्न है कि ठेका ५ साल के लिये बढ़ाया

गया था तो क्या नीलाम करने की कार्यवाही की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

या तो जवाब दीजिये या इस प्रश्न को स्थगित कीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय जवाब ही नहीं देते ।

श्री भीखाभाई : जिस समय एग्रीमेंट खत्म हुआ वह अदालत में चला गया तो अदालत ने आदेश दिये थे कि आउटसाइड में यह आपस में सेटल कर लिया जाय ।

एक माननीय सदस्य : माइक से बोलें ।

श्री भीखाभाई : मैं बिना माइक के बोल सकता हूं । जो एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो अदालत में गया, अदालत में जब हम हारने लगे तो कहा कि आपस में फैसला कर डालो और यह तय किया कि दो साल, ६ महीने और २९ दिन की मयाद बढ़ा दी जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने कहा कि अदालत में हारने लगे तो आपने मजिस्ट्रेट के फैसले की जानकारी पहले ही कैसे कर ली ?

श्री भीखाभाई : कोर्ट ने कहा ।

(शोरगुल--घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बहुत महत्वपूर्ण है । ये कहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि हार जाने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भीखाभाई : गवर्नमेंट एडवोकेट ने देखा कि......

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मानिकचन्द-सुराणा के खड़े होने पर) One more Question on this

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या वर्तमान ठेके की समाप्ति पर आप फिर टेन्डर बुलाने की तैयारी कर चुके हैं ?

श्री भीखाभाई : That will be examined scientifically and technically.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Whether it will be examined legally ?

Technically and scientifically you will examine it; but weather you will get it legally examined ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : शर्तनामे की नकल जो आपने दी है उसके आइटम नं० २२ में लिखा है कि यह ठेकेदार दो लाख रुपए इस काम के लिए खर्च करेगा, हर साल ४० हजार रुपए की नई सड़कें बनाएगा और जो पुरानी है उसकी रिपेयर कराएगा । इस शर्त का पालन ठेकेदार ने किया ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

Page No 31

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। यह ऑडिट रिपोर्ट है १९६४ की। इसके अन्दर पेज नम्बर २० पर साफ लिखा हुआ है कि ठेकेदार ने २२ नम्बर के क्लॉज़ के अनुसार जो उनको ४० हजार रुपए सड़कों पर खर्च करने चाहिए और दो लाख रुपए खर्च करने चाहिए वह नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : No more

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सरकार की रेवेन्यू को १० लाख रुपये का घाटा है ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य के कथन का जो मतलब था वह सिद्ध हुआ और इसके बाद में डिस्कशन...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : ये पूछना चाहते हैं कि १० लाख रुपया राज्य का इस प्रकार बरबाद हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है; सरकार बताना नहीं चाहती।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डिपार्टमेंट ने कोई कार्यवाही की है क्या ?

श्री भीखाभाई : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं...

(शोरगुल)

मैं मुस्कराकर, हंसकर जवाब दे रहा हूं......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका काम जब बन जाता है तब हंसते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह प्रिविलेज का मोशन है, मंत्री महोदय गलत जवाब कैसे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब सुनें तब तो बात है। ऑर्डर प्लीज ! अब क्योंकि आगे की कार्यवाही होने वाली है इसलिए आप जवाब सुन लें, उसके बाद चाहे प्रिविलेज मोशन पर, चाहे डिस्कशन रेज़ करना हो वह आप कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के घन्टे के समाप्त करने के बाद, गलत या जो कुछ जवाब दिया गया है, उस पर जो भी कार्यवाही करनी हो, वह करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय जवाब इस बात का दें कि इन्होंने कहा कि शर्त के अनुसार जो रुपया लगाना था वह लगा दिया, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि नहीं लगाया।

श्री भीखाभाई : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि पहले खर्च किया या बाद में। अगर माननीय सदस्य जानकारी देते हैं कि मेरी जानकारी गलत है तो मैं जांच करके डिमांड्स के समय बता दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने पहले भी जानकारी गलत दी है। इन्होंने कहा कि एक आदमी ने ८० हजार की बोली लगाई......

श्री उपाध्यक्ष : Finish it now. I cannot hear anything in pandemonium.

(श्री उपाध्यक्ष)

Order ! Order !!

श्री भीखाभाई : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइंट ऑफ आॅर्डर । मेरा पाइंट आॅफ आॅर्डर इतना है कि आप खड़े रहते हैं और मिनिस्टर साहब भी खड़े रहते हैं यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : इसका जवाब तो पूरा आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार ।

श्री विजयसिंह झाला : पानरवा जंगल के अन्दर घाटा रहा है । मिनिस्टर साहब भी उनसे मिले हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में इन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया है यदि उससे संतोष नहीं है तो दूसरी कार्यवाही का समय न लेकर, नियमों के अनुसार जो कुछ भी कार्यवाही हो उसके लिए आप स्वयं स्वतन्त्र हैं और वह की जा सकती है, चाहे कट मोशन्स के समय, चाहे एडजर्नमेंट मोशन्स के जरिए कुछ भी किया जाय और इसको यहां समाप्त कर अपनी दूसरी कार्यवाही शुरू करते हैं । प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : That is all. I won't allow this.

श्री राधाकृष्ण गोयल : इनको ये शब्द वापस लेने चाहिए...

(शोरगुल-अश्रव्य)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना

३६४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या राजकीय औद्योगिक संस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डीडवाना के सोडियम सल्फेट प्लान्ट को प्रारम्भिक मरम्मत के बाद कितने अर्से में जर्मन इन्जीनियरों ने आकर चालू किया ?

(२) इन्जीनियरों के आने में देरी का क्या कारण है ?

(३) यदि इस अर्से में लगातार उत्पादन होता रहता तो कितना सोडियम सल्फेट तैयार होता ?

उत्तर

(१) जर्मन इन्जीनियर अभी तक कारखाने का केवल परीक्षण कर रहे हैं और जर्मन फर्म ने अभी तक कारखाने को पूर्ण उत्पादन की दिशा में सुपुर्द नहीं किया है ।

(२) जर्मन इन्जीनियर नवम्बर, ६४ से यहां पर हैं ।

(३) कारखाना अभी तक पूर्ण एवं लगातार उत्पादन के लिए चालू नहीं किया गया है ।

आर० टी० ए०, उदयपुर की बैठक

३६८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर आर० टी० ए० की बैठक जुलाई, ६४ में कब कब हुई ?

(२) इन बैठकों में कौन से परमिट रिन्यू हुए ?

(३) क्या रिन्यू होने वाले परमिट्स में बहुत से ऐसे भी थे जिनकी गाड़ियां काफी अर्से से उस रूट पर नहीं चलती थी जिस रूट का परमिट था ? यदि हां, तो कौन सी तथा रिन्यू किस आधार पर हुई ?

उत्तर

(१) दिनांक १०-११ जुलाई, १९६४ में हुई।

(२) इस बैठक में जिन मार्गों पर जो परमिट रिन्यू हुए वे संलग्न सूची क–ख में अंकित हैं।

(३) जी हां–केवल २ व्यक्तियों की, जो सूची 'ख' नं० ६ पर हैं (उदयपुर-भीलवाडा) वाया नाथद्वारा--कांकरोली गंगापुर मार्ग पर श्री बसन्तकुमार है और नं० २२ पर (जुडाकोटड़ा–सरूपगंज) श्री केशवलाल की है। इन दोनों गाड़ियों के विषय में जानकारी पश्चात् आर० टी० ए० द्वारा ७५० रुपये व ५०० रुपये दन्ड के रूप में किया गया। और इस दन्ड को दोनों द्वारा स्वीकार करने व रकम जमा कराने के पश्चात् यह दोनों परमिट भी आर. टी. ए. द्वारा उक्त बैठक में धारा ६०-मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत रिन्यू किये जाने के आदेश दिये गये जिसमें से श्री बसन्तकुमार ने रुपये जमा करा कर अपना रिन्यूवल लिया है और इस परमिट पर आर. जे. वाई. १३७६ दिनांक २४-९-६४ से रिप्लेस कर दिया है व चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गोविन्दपुरा पंचायत के पंच का कत्ल

३६९. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक १३-३-६३ को ग्राम घानोदा, तहसील झालरापाटन में श्री रत्तीराम नामक एक गूजर व्यक्ति का कत्ल हो गया था और वह व्यक्ति गोविन्दपुर पंचायत का पंच था ?

(२) यदि हां, तो पुलिस थाना झालरापाटन में इस वाक्या (एफ. आई. आर.) को अपने यहां किस तारीख में दर्ज किया है और कत्ल होना किस समय लिखा है ?

(३) क्या पुलिस ने इस मामले की जांच की है ? यदि हां, तो किस किस तारीख को कितने कातिलों को इस कत्ल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस कत्ल के सम्बन्ध में श्री नारायण तथा उसकी स्त्री चश्मदीद गवाह थे और इनके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष यू. एस. १६४ हुए थे ?

(५) क्या यह सत्य है कि चश्मदीद गवाहों ने जिन कातिलों का नाम लिया था,

(श्री रामकिशन)

पुलिस ने उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया ?

(६) क्या उक्त मामले का चालान अदालत में पेश हो गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. प्रथम सूचना दिनांक १४-३-६३ को पंजीबद्ध की गई व हत्या का समय १३-३-६३ ई० की रात्रि का लिखा गया था।

३. जी हां, दिनांक २५-६-६३ को एक किशोरिया गूजर को गिरफ्तार किया गया।

४. जी हां। श्री नारायण तथा उसकी पत्नी ने चश्मदीद गवाही पुलिस के समक्ष दी। किन्तु धारा १६४ मा० द० वि० के संग्रह के अधीन बयान केवल नारायण के ही कराये थे।

५. जी नहीं। उन गवाहों ने केवल किशोरिया गूजर को ही नामजद किया था जिसे गिरफ्तार किया गया था।

६. जी नहीं, किशोरिया के विरुद्ध केवल उक्त नारायण और उसकी पत्नी का बयान था। नारायण ने ८-५-६३ (कत्ल के १ माह २५ दिन बाद) खुद और अपनी पत्नी को चश्मदीद गवाह बताया इन नाम मात्र चश्मदीद गवाहों का independent evidence में कोई अनुमोदन नहीं हुआ। इसलिये २६-७-६३ को अदालत में 'अदमपता' की फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है।

असलाह क्लर्क का कार्य

४०१. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि एस. डी. एम., करनपुर के कार्यालय में पिछले दिनों असलाह क्लर्क का कार्य सहायक जेलर द्वारा किया जाता रहा है और लोगों द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण की दर्ख्वास्त पेश करने के बावजूद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाकर परेशान किया जा रहा है ?

उत्तर

यह सही है कि एस० डी० एम० करनपुर के कार्यालय में असलाह क्लर्क अर्थात् हथियारों का कार्य करने वाले लेखक के स्थानान्तरण हो जाने व दूसरे अंग्रेजी भाषा जानने वाले क्लर्क के न होने से कुछ दिन तक असलाह रिन्यूअल का कार्य सहायक जेलर द्वारा कराया गया, किन्तु यह सही नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र पर किसी प्रकार का नोटिस दिया गया या अन्य प्रकार परेशान किया गया। यह व्यवस्था वस्तुतः लोगों को असुविधा से बचाने के लिये की गई थी।

भिराणी पंचायत के सरपंच का चार्ज

४०२. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर), व श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री रणधीरसिंह, सरपंच, भिराणी, तहसील मादरा के विरुद्ध १४ अक्टूबर, १९६३ को हाई कोर्ट, जोधपुर ने फैसला दे दिया था तथा अपने फैसले में श्री परमेश्वरीलाल महाजन को सरपंच घोषित कर दिया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त फैसले के बावजूद श्री रणधीरसिंह सरपंच, ने श्री परमेश्वरीलाल को पंचायत का चार्ज नहीं दिया है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री परमेश्वरीलाल ने ८-११-६३ को कलेक्टर, गंगानगर को भी एक प्रार्थना-पत्र चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो कलेक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत का आज तक ऑडिट नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) चालू चार्ज दे दिया । पुराने रेकार्ड का चार्ज श्री परमेश्वरीलाल को नहीं दिया गया ।

(३) जी हां । तहसीलदार मादरा को चार्ज दिलवाने के आदेश दिये गये थे ।

(४) जी हां । इस सम्बन्ध में कारण की जानकारी की जा रही है ।

पलाना लिग्नाइट

४०३. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर शहर-प्रथम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार पलाना में लिग्नाइट का कार्य ओपन कास्ट सिस्टम से चालू करना चाहती है ?

(२) सरकार जिस रिपोर्ट के आधार पर ओपन कास्ट का कार्य चालू करना चाहती है, वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

१. पलाना की मौजूदा खानों में व उनके निकट के कस्बे में लिग्नाइट पाया जाता है इस लिग्नाइट को दो प्रकार से अर्थात् :

(१) अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग द्वारा

(२) ओपन कास्ट माइनिंग से निकाल कर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का विचार है । यह कार्य रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर किया जावेगा । ये विशेषज्ञ पलाना दिनांक २३-१-६५ को पहुंचे थे और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही अपेक्षित है ।

२. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन उन्होंने मौके पर अपनी जांच-पड़ताल खत्म कर दी है और उस पर

(श्री राजकीय उद्योग मंत्री)

उनके और राजस्थान के विशेषज्ञ की बातचीत भी हो चुकी है उनकी रिपोर्ट निकट में ही मिलने की आशा है।

कुए का अधूरा कार्य-ग्राम कालूगामन्डा

४०४. श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु.) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कालूगामन्डा विकास पंचायत हथाई, पंचायत समिति डूंगरपुर में केवल एक ही सार्वजनिक कुआं पंचायत की तरफ से खुदवाया गया है ?

(२) यदि हां, तो उस पर कितना रुपया खर्च हुआं है तथा कुआं कितना गहरा खोदा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता कुएं पर पूरी नहीं लग पाई है जिससे कुआं अधूरा है और लोग पीने के पानी के अभाव से परेशान हैं ?

(४) क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके इस कुए को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) १७७९.५० पैसे। लगभग ३० फुट गहरा है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील नदबई के ग्राम अरौदा में बस स्टेन्ड

४०९. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नदबई में अरोदा ग्राम के लिये, जो सड़क पर स्थित है, राजस्थान रोडवेज का बस स्टेशन न होने के कारण उस ग्राम के निवासियों को उस ग्राम के आगे के स्टेशन का किराया देना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसों का वहां स्टेशन था ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार वहां बस स्टेशन रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की सूची अनुसार ग्राम अरोदा में इस प्रकार का कोई बस स्टेण्ड नहीं होना पाया जाता है।

(३) जनता की मांग पर निगम द्वारा उस स्थान से बैठने वाले यात्रियों की संख्या की जानकारी की जावेगी और उचित यात्रियों की संख्या होने पर ही इस स्थान को बस स्टेशन बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

Page No 37

राज्य कार्य में हिन्दी का प्रयोग

४१४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मंत्री, हिन्दी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि २६ जनवरी से राज्य कार्य अधिकाधिक हिन्दी भाषा में किये जाने का निश्चय कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो उन अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जो सर्व साधारण में आम तौर से प्रचलित हो गये हैं, जैसे टाइप, इंजिन, टिकट, साइक्लोस्टाइल आदि शब्दों को उसी स्वरूप में उपयोग किया जायेगा या उनके स्थान पर नये शब्दों का प्रयोग किया जायगा ?

(३) यदि नये शब्दों का प्रयोग किया जायेगा तो उक्त शब्दों का क्या नया निर्माण किया जायगा ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान सरकार का निर्णय है कि गणतंत्र दिवस १९६५ से राजकाज अधिकाधिक रूप से हिन्दी में किया जाय और ३ वर्ष के अन्दर अंग्रेजी से हिन्दी का प्रत्यावर्तन सम्पूर्ण कर लिया जाय।

(२) ऐसे प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का जिनको सर्वसाधारण समझते हैं अनुवाद नहीं किया जायगा, उनको वैसे ही चलने दिया जायगा।

(३) कठिन और अप्रचलित अंग्रेजी शब्दों के पर्याय भारतीय भाषाओं से उस नीति के अनुसार लिये जायेंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३५१ में दर्ज है।

(१२. ८ म०प०)

पनरवा वन का ठेका देने विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर, सदन की व्यू में जो सदन का प्रिविलेज, है उसको ब्रेक किया गया है और वह मन्त्रीजी ने किया है। उस सम्बन्ध में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहता हूं। प्रिविलेज यह है कि सदन को गलत तथ्य नहीं दिए जायेंगे। माननीय सदस्य ने जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की हैं उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है पेज २० पर कि एग्रीमेन्ट के क्लॉज़ २२ का कोई पालन नहीं किया गया और उस क्लॉज के तहत ४० हजार की सड़कें बनाएंगे एक वर्ष में या उतने की मरम्मत कराएंगे। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं किया गया, मन्त्री महोदय कहते हैं कि किया गया। इस तरह उन्होंने सदन के प्रिविलेज को ब्रेक किया है। इसलिए मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मन्त्रीजी के विरुद्ध पेश करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): अगर किसी माननीय सदस्य को प्रिविलेज मोशन मूव करना हो तो उसके लिए...

श्री उपाध्यक्ष : I am aware of it माननीय सदस्यों का ध्यान मैं रूल १५८ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उसके अनुसार उसके लिए उनसे निवेदन करूंगा

Page No 38

(श्री उपाध्यक्ष)

कि वे लिखित में प्रिविलेज मोशन यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : मैं निवेदन करूं कि मैंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में अगर यह बात है कि......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने पहले कहा कि ऐसा किया गया।

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी जानकारी गलत है तो मैं उसको स्वीकार करके और जानकारी कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मानिकचन्द सुराणा : व्यवस्था का प्रश्न है। मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में साफ तौर से दर्ज किया गया है कि यदि हाउस के विरोध में कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो तो जनरली हाउस खुद कॉग्नीज़ेन्स ले सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री गृह) : He is canvassing the observations of the Chair.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के उन प्रोविज़न्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके अनुसार लिखित मोशन आवश्यक नहीं है, मोशन ओरल भी किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने उठाया उस विषय में मेरा निवेदन है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस और दूसरे भी रूल्स में भी बताया गया है। संविधान के अन्दर भी प्रावधान रखा गया है और उसी के अन्तर्गत जो प्रिवीलेजेज़ के रूल्स उस चैप्टर में हैं वे रखे गए हैं और उसी प्रकार से सारे प्रावधान दिए गए हैं कि मोशन लिखित में रखा जाय अथवा नहीं और उसके लिए आसन को इस बात को तय करने की इजाजत दी गई है। अब चूंकि इस विषय में पहले ही ऑब्ज़र्वेशन्स दे चुके हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन करना मैं उचित नहीं समझता और इसलिए मैं उसी को रखते हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा ?

(विराम)

(१२.२० म. प.)

अनुदानों की मांगों पर विचार

१. मांग संख्या २७-सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि।

२. मांग संख्या ४२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत।

३. मांग संख्या ४३-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत।

४. मांग संख्या २३-श्रम और नियोजन।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य, ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर सयंत्र पर व्यय, ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,२८,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

Page No 39

(श्री हरिश्चन्द्र)

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६१,४७,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८५,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन के सम्बन्ध ये ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६३,८०,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद का सिलसिला उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार कल माननीय अध्यक्ष ने निर्धारित किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : चार बजे जवाब होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रकार से......

ऑर्डर प्लीज !

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

[इन मांगों निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या २३

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :(नसीराबाद)

१. मांग संख्या, २३ मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा बेरोजगार लोगों को काम दिलाने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दिया जाने वाला सहायतार्थ अनुदान अपर्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

४. मांग सं. २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से समय पर कार्य पूरे नहीं होते, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत मे से १०० रु. कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु, चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): प्रस्ताव करेंगे कि:—

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिये राहत कार्य नहीं करवाने पर चर्चा के लिये) ।

७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के मजदूरों को बोनस, कटौती व ग्रेड के द्वारा मजदूरों पर होने वाले जुल्म पर चर्चा के लिये) ।

८. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मजदूरों व मालिकों में कन्सीलियेशन कार्य करवाने पर चर्चा के लिये) ।

९. मांग संख्या २३,मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (श्रम मन्त्री द्वारा पूंजीपतियों से धन व मोटरों का उपयोग करने से मजदूरों पर कुठाराघात करवाने पर चर्चा के लिये)।

(११) मांग संख्या, २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००)रु. कम कर दिया जाय (श्रमिक संगठनों को कुचलने व उनको प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

(१२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से१००) रु. कम कर दिया जाय (लेबर वेलफेयर इन्सपेक्टर वोल इन्सपेक्टर व अन्य अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के हितों पर ध्यान देने पर चर्चा के लिये) ।

(१३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (श्रम कल्याण केन्द्र लाखेरी की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

(१४) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००)रु. कम कर दिया जाय (मजदूर बस्तियों में श्रम कल्याण कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७.

(१५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय । बूंदी जिले के केशवरायपाटन में रोड़ निर्माण कार्य पर बजट लेप्स करके निर्माण नहीं करवाने पर चर्चा के लिये) ।

(१६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गेंडोली व झाली-जी का बराण के बीच मैज़ नदी पर पुलिया की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन रोड़ निर्माण कार्य करवाने पर चर्चा के लिये) ।

(१८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मेज नदी की पुलिया का निर्माण कार्य पर चर्चा के लिये)।

(१९) मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५०-

Page No 41

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी से गेंडोली रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(२०) मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (इटावा-लाखेरा रोड का कार्य पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२.

(२१). मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (हाई स्कूल भवन लाखेरी के निर्माण हेतु धन-राशि नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (२२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सड़कों की हो रही दुर्दशा तथा सरकार की ओर से की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह (हिन्डोली) : (२३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (हिण्डोली में सड़कें न बनवाने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह (जायल) : (२४.) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार नागौर जिले में बिगड़ी हुई सड़कों की कोई मरम्मत नहीं करा रही है जिसके कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

(२५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु. कम दिया जाय (नागौर सब-डिवीज़न में सड़कों की कमी के कारण जनता की परेशानियों पर चर्चा के लियें)।

(२६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने से धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २३.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (२७) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (श्रमिकों के वेतन व भत्ते लेबर लॉजके अनुसार न दिलाने पर चर्चाके लिए)।

(२८) मांग संख्या २३, मुख शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (श्रमिकों को सुविधायें दिलाने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिपे)।

मांग संख्या २७

(२९) मांग सं. २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिये जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने वाले ठेकों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

३०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहायता वितरण में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

Page No 42

मांग संख्या २३.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ३१. मांग संख्या २३. मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर में भयंकर बेकारी है उसे दूर करने में काम दिलाऊ दफ्तर की असफलता पर चर्चा के लिये)।

३२. मांग संख्या २३. मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय जिप्सम कर्मचारी संघ को कम्पनी से मान्यता दिलाने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

३३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर गंगानगर को वाया लूणकरणसर होकर सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये)।

(३३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील की निम्न सड़कें जो अकाल के समय में अधूरी रह गई उन्हें पूरा करने की चर्चा के लिए:—

१. धीरेरा से धीरेरा स्टेशन—३ मील
२. हुसेरा से दुलमेरा —२ मील
३. धीरेरा से खिपेरा —४ मील
४. रानीसर से सेरेरा —६ मील
५. सिथल से जसरासर —२० मील)

(३४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय [बीकानेर शहर (पुरानी राजधानी वाले ६ शहरों की सड़कों के साधारण शीर्षक के अन्तर्गत) की सड़कों की मरम्मत पर चर्चा के लिये]।

३५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० का कम दिया जाय (बीकानेर-नापासर सड़क की मरम्मत एवं डामर कराने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(३६) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में पोलिटैक्निक भवन निर्माण पर चर्चा के लिये)।

(३७) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर व महाजन में पशुपालन डिस्पेन्सरी के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४३

(३८) मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०६–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरुषार्थियों को बीकानेर में दूकानों के

(श्री भीमसेन)

बनाने के लिये उधार देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(३९) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने में भेदभाव बरतने की नीति पर चर्चा के लिये) ।

(४०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों को लागू करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

(४१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को महगाई के अनुपात से महंगाई भत्ता न दिलाने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या २७

(४२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों को ठेका न देने पर चर्चा के लिये) ।

(४३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की पी. डब्लू. डी. कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पर चर्चा के लिये) ।

(४४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में जून, १९६४ में पी० डब्लू डी. कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल पर हुए समझौते को सरकार द्वारा अमल न करने पर चर्चा के लिये) ।

(४५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनकि निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(४६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(४७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०)–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में मालाखेड़ा से पृथ्वीपुरा–बालेटा की सड़क निर्माण के बारे में चर्चा के लिये). ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) :

(४८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)

(श्री रावतराम)

रु० कर दिया जाय (चूरू जिले में नई सड़कें बनाने तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने के बारे में सरकार द्वारा बरती गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री अब्दुल जब्बारखां : (४६) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारखानों में मजदूरों की सही अवस्था के अध्ययन से उनकी स्थिति में सुधार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(५०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण हेतु क्षेत्र के चयन के तरीके पर चर्चा के लिये)।

(५१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (निम्बहेड़ा से मंगलवाड़ वाया डोरिया चिकाड़ा सड़क की बुरी हालत की ओर सरकार की अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : (५२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने से धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : (५३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जावे (जिला जयपुर में ग्राम बस्सी से तूंगा रोड को डामर की बनवाने पर चर्चा के लिये)।

(५४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जो सड़क गांधीनगर के चौराहे से स्टेशन सांगानेर तक गई है उसको चौड़ी करने पर चर्चा के लिये)।

(५५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर में टोंक रोड पर १२ मील से गोनेर तक व वाटिका तक सड़क बनी हुई है उसको कुटवाने व डामर कराने की चर्चा के लिये)।

(५६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू कस्बे से चाकसू स्टेशन तक जो सड़क बनी हुई है (जिला जयपुर) उसको कुटवाने व डामर कराने पर चर्चा के लिये)।

(५७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू से कोटखावदा तक जो सड़क बनाई गई है

(श्री नाथूलाल करौल)

उसमें जो ढूंढ नदी पड़ती है उस पर पुलिया बनाने की चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : (५८) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग से श्रमिकों को उचित राहत न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

(५९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील में अधूरी सड़कों व इमारतों को पूरी कराने पर चर्चा के लिये) ।

(६०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील को उप–जिला व जिला से सड़कों द्वारा नहीं जोड़ा गया उस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): (६१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय उद्योगों में मजदूरों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

(६२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को लेबर लॉज के अनुसार मजदूरों को सुविधा न दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

(६३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नियोजन के बारे में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

(६४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम दिया जाय (अकालमें बनी हुई सड़कों की उचित मेन्टीनेन्स, मरम्मत व उन्हें पक्की करने पर चर्चा के लिये) ।

(६५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिये जाय (बीकानेर शहर में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) (६६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में भवनों और सड़कों की मरम्मत न करवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बैगूं) : (६७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—

Page No 46

(श्री चौसरसिंह बावेल)

सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(६८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बैंगू से पाछन्दा तक सड़क का निर्माण जल्द कराने पर चर्चा के लिये) ।

(६९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बैंगू से चेची तक पक्की सड़क जल्द बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(७०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बैंगू से नंदवई तक पक्की सड़क का जल्द निर्माण कराने के विषय में चर्चा के लिये) ।

श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा): (७१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुरानी सड़कों के निर्माण में सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३.

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (७२) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (लेबर लॉज़ के लागू न करने से मजदूरों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७.

(७३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिये जाय (किशनगढ़ में गलत ढंग से सड़कें बनने पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : (७४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रू. कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सड़कों एवं यातायात के साधनों के विकास के संबंध में सरकार द्वारा उदासीनता का रवैया अपनाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३.

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : (७५) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में से १००) रू. कम कर दिया जाय (एन. बी. सी. ए. जयपुर के मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा बोनस नहीं दिलाने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या २७

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): (७६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० -- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से१००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

से चित्तौड़गढ़ की सड़क पर कार्य करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

(७७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सागरामपुरा से पाल दो मील की सड़क बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(७८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि से से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंगरार तहसील में सड़कें न बनने पर चर्चा के लिये)।

श्री दलपतसिंह (आबू) : (७९) मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (करेली व करोंदी नदियों पर पुल व रपट न होने से यातायात में तकलीफ पर चर्चा के लिये)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु) : (८०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के ठेकेदारों के कामों पर जो पैनल्टी लगाई है उस पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

(८१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से-१००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कराये गये कामों में गबन व गड़बड़ घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(८२) मांग सं० २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सब–डिविजन बारां में सड़कों वगैरह की कुटाई व बनवाई में ठेकेदारों को नाजायज़ पेमेन्ट ले लेने पर विचार करने हेतु।

मांग संख्या २३

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु) : (८३). मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८— श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासियों के लिये नौकरी के लिये विशेष सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(८४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के आदिवासी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(८५) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा में डाक बंगला बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : (८६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (मंजूर

(श्री दिग्विजयसिंह)

शुदा सड़कें जिला टोंक का निर्माण न होने व अधूरा रहने पर चर्चा के लिये) ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : (८७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) कम कर दिया जाय (सड़कों आदि की मरम्मत करने में जयपुर जिले की ओर सरकार उदासीन रही है, पर चर्चा के लिये) ।

(८८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में नाहरगढ़ की सड़क तथा करबला व बास बदनपुरा की सड़क बिल्कुल टूट गई है, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : (८९) मांग संख्या २७ , मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा की अधूरी सड़कों के कार्य को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (९०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिय जाय (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को ज्यादा बढ़ाया जाय ताकि काफी लोग इससे लाभ ले सकें, इस पर चर्चा के लिये) ।

(९१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग का प्रधान कार्यालय अपना कर्त्तव्यपालन नहीं कर पाया है, अतः इस विभाग के प्रधान कार्यालय के खर्च में कमी की जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

(९२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य, भवन और सड़कें स्थापना आदि के अन्तर्गत मांग मेंसे३१,६८,०००) रुपये कम कर दिये जायें (६१,६८,००० रुपये जो कार्य-कारी पर खर्च किया जाता है को घटाकर ३०,००,०००) कर दिया जाय, मितव्ययता) ।

(९३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से २३,८०,०४००) रुपये कम कर दिये जाय (२३,८०,०४०० राशि का जिर्णोद्धार भवन और संचार साधन विविध में मितव्ययता) ।

(९४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम दिया जाय (क्योंकि बीकानेर शहर की सड़कों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं देकर उपेक्षा की है, जिस पर चर्चा के लिये) ।

(९५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पूंजी की लागत को रेवेन्यू खर्च में लिखा जाना अनुचित है अतः इसे रेवेन्यू खर्च से हटाकर पूंजी खाते के खर्च में लिखा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२.

(९६) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में ५०,०००) रु. कम कर दिये जायें (मूल निर्माण कार्य भवन में राजस्व के मद में मितव्ययता)।

(९७) मांग संख्या ४२; मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चतुर्थ योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही के लिये बिना विवरण चाही हुई राशि पर चर्चा के लिये)।

(९८) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लगत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भू-राजस्व (क-मूल निर्माण कार्यों भवन) की राशि को खर्च नहीं की जाय, पर चर्चा के लिये)।

(९९) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन "छा" में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

(१००) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत में से १००) रु. कम कर लिया जाय (नवीन व्यय में रखी हुई ३२,८०,००) रु. की राशि में माण्डल ग्राम की डिस्पेन्सरी को प्राथमिकता दी जाय, पर चर्चा के लिये)।

(१०१) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा से आसींद जाने वाली सड़क को माण्डल ग्राम से बाहर निकाली जाय, अन्यथा कभी भी जन हानि हो सकती है उससे बचने हेतु पर चर्चा के लिये)।

(१०२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (करेड़ा से गंगापुर तक सड़क कार्य कई वर्षो से चल रहा है और माण्डल क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क बनाने की उपेक्षा की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०३) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (देवगढ़ से माण्डल को आने वाली सड़क २० वर्षों से बन रही है शीघ्र पूरा करवाया जाय और देमाली जैसे एक हजार घरों की बस्ती को दो मील एप्रोच रोड बनाकर शामिल किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।)

(१०४) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जाय (७००० की आबादी वाली श्रमिक बस्ती नागौर को भीलवाड़ा-कांकरोली सड़क से मिलाया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०५) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कमकर दिया जाय (भीलवाड़ा-कांकरोली सड़क पर खदानों की श्रमिक बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क को नागौर आदि श्रमिक बस्तियों तक मिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०६) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (करेड़ा-गंगापुर रोड पर १ मील की दूरी पर पड़ने वाले नानशा ग्राम के एप्रोच रोड बना कर सड़क से जोड़ा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०७) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (करेड़ा-गंगापुर रोड से ६०० घरों की बस्ती देवरिया २ मील दूर पड़ती है, अतः एप्रोच रोड के द्वारा मिलाया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०८) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय, (देवगढ़-माण्डल रोड पर भगवानपुर, जो कि ८०० घरों की बस्ती है, एक मील दूर पड़ता है इसे मिलाया जाय, पर चर्चा के लिये)।

(१०९) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवगढ़-माण्डल रोड़ पर बेमाली जो १०००घरों की बस्ती है २ माइल दूर पड़ता है इसे एप्रोच रोड द्वारा मिलाया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(११०) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर से बीकानेर जाने वाली सड़क बनाने में होने वाले अपव्यय को रोका जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(१११) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय, (करेडा (जिला भीलवाड़ा) में पुलिस स्टेशन कच्चे व किराये के मकान में चलता है अतः वहां विभाग द्वारा नया भवन बनवाया जाय, पर चर्चा के लिये)।

(११२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय, (तहसील माण्डल के प्रधान कार्यालय में कोई डिस्पेन्सरी भवन नहीं है अतः डिस्पेन्सरी भवन बनवाया जाय, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४३

(११३) मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९— अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर

Page No 51

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

दिया जाय (पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के क्रम में निर्माण कार्य में जयपुर के सिवाय राजस्थान के अन्य शहरों में रहने वाले विस्थापितों की उपेक्षा की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

(११४) मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के क्रम में निर्माण–कार्य पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (११५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिये जाय (सवाई-माधोपुर जिले में सड़कों की दुर्व्यवस्था तथा नई कोई सड़क का कार्य शुरू न कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

(११६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सड़कों की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

(११७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सोयत पिड़ावा सड़क पर डामर रोड न होने से यात्रियों को यात्रा में हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): (११८) मांग सं. २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पक्की सड़क बन जाने पर भी सड़क पर पुलिया न बनने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : (११९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजगढ़ तहसील, जिला अलवर को हैवी रेनफॉल क्षेत्र में शामिल किया जाकर सड़कों की मरम्मत के लिये अधिक धन-राशि देने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(१२०) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में में १००) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़, जिला अलवर में विश्राम गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : (१२१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब-डिवीजन में निर्माण कार्य पूरा न होकर कई वर्षों से अधूरा पड़ा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (१२२)

Page No 52

(श्री हीराभाई)

मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र में स्कूल तथा पुलिस भवन बनवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

श्री जयलाल (डग) : (१२३) मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में १००) रुपया कम कर दिया जाय(डग से भवानी मंडी तक जाने वाली सड़क पर पुलिया वगैरह न बनाने पर विचार करने हेतु)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): (१२४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (निवाई, बुबली सड़क के निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये)।

ठाकुर श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा) : (१२५) मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनू में सड़कों का काम ढिलाई से करने पर चर्चा के लिये)।

(१२६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील उदयपुर वाटी (जिला झुंझुनू) में स्कूलों के नये भवन बनाने व पुराने भवनों के विस्तार पर चर्चा के लिये।)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (१२७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर डिविज़न में निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

श्री जुझारसिंह (चेचट):(१२८) मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा क्षेत्र के पुराने पुलियों (सड़क के अलावा) की मरम्मत नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

(१२९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रोड गैंग्स को अधिक व्यवहारिक ढंग से काम में लगाने व मौजूदा पद्धति की फिजूल खर्ची की ओर ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३.

श्री केदारनाथ (गंगानगर): (१३०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रू. कम कर दिया जाय (सरकार पढ़े-लिखे नौजवानों में बेकारी को रोकने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (१३१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मजदूरों को निर्धारित

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वेतन से कम वेतन मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(१३२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये)।

(१३३) मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भ्रमझार नदी की एप्रोच के निर्माण हेतु गलत भुगतान पर चर्चा के लिये)।

(१३४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज भवन झालावाड़ की सड़क बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१३५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सुलिया-सुनेल के माहु नदी के पुल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१३६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों को ठेके देने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

(१३७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (डग पच पहाड़, सीतामऊ, चोमेला रोड के निर्माण में घोटाले पर चर्चा के लिये)।

(१३८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरव नदी आहर ब्रिज के निर्माण में घोटाले के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.): (१३९) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा गीजगढ़ गोड़ की खान में काम कर रहे श्रमिकों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(१४०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निमाण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मांडारेज से ऊलांडी घाटी पर जो सड़क अभी तक पूरी नहीं की उसके विषय पर चर्चा के लिये)।

(१४१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सिकन्दरा से वाया गुडाचन्द्रजी गंगापुर सड़क पर डामर बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

(१४२) मांग संख्या २७, मुख्या शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सिकराय में सड़कों पर सरकार ने कुछ भी खर्चा नहीं किया, इस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : (१४३) मांग संख्या २७, मुख्य-शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कार्य को पूरा करने पर आवश्यकता से अधिक रुपया लगा देने पर चर्चा के लिये)।

(१४४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अकाल क्षेत्रों की सड़क अधूरी पड़ी है उनके निर्माण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३.

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : (१४५) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

(१४६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सड़क निर्माण पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) (१४७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार कम न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : (१४८) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (दौसा में स्थित सोप स्टोन कारखाना के मजदूरों को निर्धारित बोनस व सुविधाओं के न मिलने के कारण असन्तोष की बाबत पर चर्चा के लिये)।

(१४९) मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (दौसा स्थित सोप स्टोन कारखाना व सोप स्टोन खान में लेबर लीज़ के अधीन मजदूरों की सुविधायें व उनके लिये अस्पताल इत्यादि की व्यवस्था व होने की बाबत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बांदीकुई में बाणगंगा व मांवा नदी पर पुल न बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)-(१५१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ के आसपास के गांवों तक सड़क न बनाने पर चर्चा के लिये)।

(१५२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण कार्यों में पूंजी का सदुपयोग न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : (१५३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय न होने से जिले के लोगों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(१५४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सरकार चूरू जिले में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय चूरू में स्थापित करने में असफल रही है, पर चर्चा के लिये)।

(१५५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण हेतु चूरू जिले में ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाने पर चर्चा के लिये)।

(१५६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रू० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़क निर्माण हेतु ली गई रतनगढ़ से चूरू तक भूमि का मुआवजा किसानों को न दिया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

(१५७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू से रतनगढ़ तक सड़क पर कार्पेटिंग नहीं किया गया जिसके कारण सड़क टूट फूट गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

(१५८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू से मालेरी सड़क का निर्माण कार्य दस साल होने पर भी पूरा नहीं किया गया तथा बनी हुई सड़क की मरम्मत नहीं की गेई, इस पर चर्चा के लिये)।

(१५९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ११ बीकानेर से फतेहपुर के निर्माण में अनावश्यक एवं अत्यधिक देरी, इस पर चर्चा के लिये)।

(१६०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू से राजगढ़ सड़क निर्माण नहीं करवाने विषयक पर चर्चा के लिये)।

Page No 56

(श्री मोहर्रासह राठौड़)

(१६१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फतहपुर से रामगढ़ तक सड़क न बनाने विषयक पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(१६२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा चूरू में डाक बंगले की स्थापना न करने से होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (१६३) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज में नौकरियों को दिलाने में बरते जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

(१६४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर शहर पश्चिम) : (१६५) मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार बेरोज़गारों को नियोजन देने में असफल होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(१६६) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार अजमेर में स्कूल, कॉलेज व ऑफिस के भवनों का निर्माण करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४३

(१६७) मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०६—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पश्चिमी पाकिस्तान के पुरुषार्थियों को बसाने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : (१६८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) कम कर दिया जाय (सड़कों एवं भवन निर्माण के कामों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) (१६९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवली जिला टोंक में भारत सेवक समाज द्वारा ठेकों में संस्था का तथा निर्माण विभाग

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

का दुरुपयोग कर उप-ठेके देकर अनुचित प्रकार से धन कमाने से उत्पन्न कारणों पर चर्चा के लिये)।

(१७०) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उनियारा इन्द्रगढ़ मोड (जिला टोंक का अभी तक निर्माण न होने के उत्तरदायित्व पर चर्चा के लिये)।

(१७१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (टोंक नगर में सड़कों की समुचित मरम्मत न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

(१७२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (टोंक में महाविद्यालय का भवन अधूरा छोड़ देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): (१७३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में मूल निर्माण कार्य संचार साधन के विकास पर चर्चा के लिये)।

(१७४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन--सु.): (१७५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (खेडेला से खेलडली रोड का कार्य पूरा नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

(१७६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गाजीपुर से टोडाभीम जाने वाले रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(१७७) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला बोर्ड की बनाई हुई रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(१७८) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन से गंगापुर व हिन्डौन से सूरोठ जाने वाली सड़क पर नदी का पुल बनवाने पर चर्चा के लिये।

(१७९) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से

(श्री श्रवणलाल)

१००) रुपया कम कर दिया जाय (फैलीका-पुरा से कोटरी रोड निर्माण कार्य करवाने पर चर्चा के लिए)।

(१८०) मांग सख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हिंडौन धमान-धौलटा रोड निर्माण कार्य शुरू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (१८१) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८--श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा बेकारों को काम दिलाने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री शंकरलाल (सादडी) : (१८२) मांग संख्या, २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्व–जनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सड़कें और भवन निर्माण के कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : (१८३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में सड़कें बनाने में उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

(१८४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु. कम कर दिया जाय (झुंझुनू से गुढ़ा सड़क पर डामर डालने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

(१८५) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में मिड़िल स्कूल तथा हाई स्कूलों के निर्माण के लिये धन-राशि न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): (१८६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये सड़कों के अधूरे कार्यों को जहां पर मिट्टी का कार्य हो चुका है, को पूरा कराये जाने पर व उन पर मुरड डलवाया जाने पर चर्चा के लिए)।

१८७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु. कम कर दिया जाय (सोजत-जैतारण रायपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों में बनाई गई सड़को को जहां मिट्टी का कार्य हो चुका है पर मुरड डलवाया जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : (१८८). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ धरियावद का मार्ग निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१८९). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सलुम्बर से भीण्डर तक के मार्ग निर्माण जिला उदयपुर का कार्य नहीं होने से, पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (१९०). मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूरों की दयनीय स्थिति की ओर श्रमिक विभाग द्वारा ध्यान न देने पर, चर्चा के लिये) ।

(१९१). मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८—श्रम और नियोजन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के श्रम विभाग के करीब ५०-६० कर्मचारियों का सरकार में हजारों रुपया बकाया है, उस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

(१९२). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के निर्माण कार्यों के लिये कार्य पूरा हो चुका, सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर चर्चा के लिये) ।

(१९३). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्कूल भवन से तहसील भवन के सामने होती हुई पुलिस तथा पंचायत समिति ऑफिस के सामने होती हुई शाहपुरा जाने वाली सड़क में मिलाने के लिये बनाई जाने वाली सड़क का काम शुरू नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१९४). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटड़ी-भीलवाड़ा सड़क पर मंजूर शुदा ५० हजार रुपये खर्च नहीं किये गये, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु): (१९५). मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

(१९६). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(श्री विजयपाल कटरा)

५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर से साथना तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (१९७). मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में सड़कें बनाने में उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री विठ्ठल (बांसवाड़ा) : (१९८). मांग सं० २७, मुख्य शीर्षक ५३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में सड़क व भवन बनवाने पर जरूरत के माफिक पूंजी नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रकार से कल माननीय अध्यक्ष ने वाद-विवाद का क्रम निर्धारित किया था उसी प्रकार वाद-विवाद चलेगा। चार बजे तक वाद-विवाद चलेगा, उसके बाद सरकारी पक्ष से जवाब दिया जावेगा और वह क्रम रहेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पहले मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Jwala Prasad has spoken.

(विराम)

कोई ऐसा क्रम नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपके बाद में बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes Shri Jwala-Prasad! If you want to speak, then speak please.

नियम कल जैसे था उसी तरह से रहेगा। पार्टीज़ की तरफ से बोल लेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इन डिमान्ड्स पर तीन कट मोशन्स हैं। पहले श्रम मंत्रालय के बारे में बात कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज है। एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज के लिए आवश्यक है कि सरकारी नौकरी के लिए जितने भी कर्मचारी रखे जायं वे उसके मार्फत ही रखे जांय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बातचीत कम हो तो ज्वालाप्रसादजी क्या कह रहे हैं यह सुनाई दे सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सुनाऊंगा, चिन्ता न करिये।

एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज या काम दिलाऊ कार्यालय खुले हुए हैं। पहले यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन चलता था लेकिन आजकल राजस्थान सरकार और उसके श्रम मंत्रालय

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के अधीन चलता है। इसके कार्य-कलाप की चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज के जरिये ही सरकारी कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट होता है। उसको आप संरक्षण नहीं देते हैं। सवाल यह है कि इसमें नामों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो बेकाम लोग हैं, बेकार लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन के होने के बाद में सरकार के अफसरों को जब स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो वे उनके जरिये मांग करते हैं। मैं श्रम मंत्रीजी से कहता हूं कि यह बड़ी इम्पोर्टेन्ट बात है, आप इसको कृपा कर सुनिये तो सही ध्यान से।

श्री भीखा भाई (श्रममंत्री) : आप तो बोले जाइये, मैं यहीं से सुन रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो लदे हुए जा रहे हैं। न जाने कहां जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है कि श्रम मंत्रीजी आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई : बराबर ध्यान दे रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भगवान बैठा तो दे आपको वहां पर।

तो मैं यह कह रहा था कि सरकारी कर्मचारियों का रिक्रूटमेन्ट काम दिलाऊ कार्यालय के जरिये से होता है। इस कार्यालय का तरीका यह है कि किसी अफसरसे मांग आती है, जो प्रायोरिटीज़ में होते हैं जिनके नाम लिखे जाते हैं उनकी एक लिस्ट बना कर इस विभाग के द्वारा उनके पास भेज दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनको खबर दे दी जाती है। वे सब उन अफसर के पास जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में, एक लिस्ट नहीं, दो लिस्ट नहीं, तीन लिस्ट नहीं बल्कि जब तक वह अफसर रिक्रूटमेंट नहीं करता है, जब तक कि उनके अपोइन्ट आदमियों के नाम नहीं जाते। एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज यह नहीं देख पाता पहले एक दफा एक लिस्ट के आदमियों को भेज दिया उनमें से किसी को पसन्द किया जाय। फिर दूसरी लिस्ट मांगी जाती है। कोई बड़ी क्वालिफिकेशन की भी बात नहीं है। मेट्रिकुलेट, हायर सैकन्डरी पास मांगते हैं। अजमेर के मामले में मैं जानता हूं। वहां पर पांच पांच दफा लिस्टें मांगी जाती हैं। एक जाती है रिजेक्टेड, दूसरी जाती है यह भी रिजेक्टेड। फिर तीसरी दफा जाती है वह भी रिजेक्टेड। इतने आदमियों को बुलाया जाता है, आखिर उनका खर्चा होता है और फिर भी उनका रिक्रूटमेन्ट नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, रिक्रूटमेन्ट किनका किया जाता है ? मैं बड़ी शर्म के साथ यह बात कहना चाहूंगा कि आप जानकारी प्राप्त कर लें कि लोकल फन्ड ऑडिट के जो अफसर हैं उन्होंने सन् १९६३-६४ में कितनी दफा लिस्टें मंगायीं और कितने आदमी गये और रिक्रूटमेन्ट किस स्टेज पर हुआ ? मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे सदन के अन्दर कोई दिक्कत पैदा हो। मैं चाहता यह हूं कि आप इसकी जांच करें। जांच करते हैं तो आपको

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसके बाद मालूम होगा कि लड़कियां भरती की जाती हैं, जब कि लड़कों को छः छः बार बुलाया जाता है और लिस्टों में संशोधन किया जाय, बजाय इसके कि जो अफसर इस तरह की चीज़ करते हैं उनको कह दिया जाय कि उस लड़की को मांग लें जिसको चाहा जाता है तो यह बात समझ में आ सकती है। आप कानून से तो ऐसे भेज नहीं सकते। लड़की यदि बाद में नाम लिखाती है तो वह जूनियर होती है और आपके कानून के मातहत उन्हीं को उन टोलियों में बुलाया जाता है जिनका नाम पहले रजिस्टर हो चुका है। फिर वे लोग जिनको बुलावा जाता है वे खर्चा करके आते हैं और रिक्रूट वे ही होते हैं जिनको वे लोग चाहते हैं।

मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि १२ पोस्ट्स के लिये छः लड़कियों को भरती करते हैं। उस अफसर ने एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के साथ यह बर्ताव किया कि उस लड़की का नया नाम लिखाया। यदि आप उस लड़की का नाम चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूं। सरकार बड़े मजे से चलती है। वहां पर एक लड़की को भरती किया गया जिसके बगैर शादी के लड़का है। वह उसको ओन करती है। उसको भरती किया गया। उसका नाम है मिस एने। वे बेचारे क्या बतायेंगे, मुझसे पूछिये।

श्री भीखाभाई : Who is the employer?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एम्प्लोयर हैं श्री बिलायतरामजी मशहूर हैं जो आपके भीलवाड़ा तहसील में ट्रेज़रार रह चुके हैं जनाब। उनको सब जानते हैं वे किनके लिये रिक्रूट करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्रम मंत्री महोदय ! सरकार ने कानून बनाया है, कानून के मातहत ही इस क्वालिफिकेशन की टोलियां भेजी जायं, जब भेजते हैं उनको इन्कार कर दिया जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन पर तो महरबानी कीजिये, ख्वामख्वाह उन बेचारों को आने-जाने की दिक्कत हो। होता क्या है, एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में जो जूनियर लड़की है जिसका नाम आया है उसको आप ले लेते हैं। तब तक बेचारे उम्मीदवारों को भटकना पड़े, यह बड़ी गलत बात है। एम्प्लॉयमेन्ट को रक्षण मिलना चाहिये। काम दिलाऊ दफ्तर खोलते हैं, लेकिन काम उखाड़ू काम करते हैं, यह गलत बात है।

इस विषय पर मैं अधिक रोशनी डाल सकूंगा अगर मंत्री महोदय अजमेर से रेकर्ड मंगालेंगे, कितने रिक्रूटमेन्ट हुए हैं, लोकल ऑडिट फन्ड में कितनी लिस्टें भेजी गईं; किसको रिक्रूट किया गया; वहां पर नौकरियों में रहे हैं वे कितने बगैर सर्टिफिकेट के रहे हैं। ए० जी० की तरफ से तनख्वाहें रुकी रही हैं। श्रम मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि आप उसको मंगा लीजिये आज नहीं तो कल या परसों मंगा लीजिये। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं आपके यहां एम्प्लॉयमेन्ट का जो हाल है उसके अनुसार तीसरी योजना के अन्त तक जितने लोगों को नौकरी देना चाहिये था वह नहीं दे पा रहे हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जितना आपका नौकरी देने का प्लानिंग था उतना नहीं दे पायेंगे तो चौथी योजना में उनका अतिरिक्त वजन बढ़ जायगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आप चौथी योजना में इस तरफ का प्रोवीज़न करवाने की कोशिश करें जिससे तीसरी योजना की कमी भी पूरी हो सके और आगे के लिये भी एम्प्लोयमेन्ट दे सके।

अब मैं निर्माण विभाग की बात करना चाहताहूं। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अजमेर का जिस समय मर्जर हुआ उस समय फर्स्ट प्लान चल रहा था जो उसके लिये प्रोवीज़न था, जो काम शुरू हुए थे उस समय में उन सब कामों के बारे में स्पष्ट था कि दूसरी योजना में उस रुपये को खर्च किया जायगा और वह काम पूरे किये जायेंगे जो अभी तक नहीं हुए। हम कोई राजस्थान की तरफ से मांग नहीं करते। फर्स्ट प्लान जो अजमेर के लिये बना था, जो अजमेर में लगाने की बात थी उस रुपये का क्या किया गया? उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फर्स्ट प्लान में जो सड़कें ली गई अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, वे भी पूरी नहीं कर सके हैं। बड़ा अफसोस होता है यह कहते हुए कि उन रोड्स पर कितनी ही दफा मिट्टी गिर गई, पत्थर गिर गये और बिखर गये फिर भी आज तक फर्स्ट प्लान की सड़कें पूरी नहीं हो पा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा इस तरह से गुड़ का नाम लेने से मुंह मीठा होता रहा है लेकिन अब तो काम से ही मुंह मीठा होगा। आप चारों तरफ से चैक करें आपके विभाग के खिलाफ क्या क्या कहा जा रहा है? मैं खाली अजमेर के लिये नहीं कहता, सारे राजस्थान भर के लिये कह रहा हूँ। जो बातें कही जायं वे वक्त पर पूरी होनी चाहिये।

एक बात और इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर जो इलेक्ट्रिक एमल्गमेटेड कम्पनी है उसका नेशनलाइज़ेशन हो जाना चाहिये था; अजमेर गवनमेन्ट के समय उसके लिये प्लान बन चुका था। उस पर एक बात निकाल कर कम्पनी वाले सुप्रीम कोर्ट तक चले गये एक नोटिफिकेशन के मामले को लेकर। आपको यह उम्मीद थी कि कम्पनी कभी नहीं जीत सकती, लेकिन अफसोस है कि उस कम्पनी के खिलाफ फैसला नहीं होने दिया आपकी सरकार ने। मैंने उस वक्त भी सवाल उठाया था। आज उसके साथ राजीनामा कर लिया गया है दस साल तक अजमेर की जनता को लूटो और खाओ। अजमेर के लोग जिस कम्पनी से परेशान थे, अजमेर में उसके लिये प्रोपेगेन्डा करके उस कम्पनी के पावर हाउस को स्टेट का पावर हाउस बनाने की बात कही जा रही थी आज उसी कम्पनी को दस साल के लिये और लीज दे दिया गया है। लेकिन आपने उस वक्त कहा था कि जो रुपया बचा है, अजमेर प्लान से रुपया बचा है उस रुपये को और जगह युटिलाइज़ करेंगे अजमेर के लोगों के फायदे के लिये करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपकी राय होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जायेंगे आप उसका नेशनलाइज़ेशन नहीं कर सके। जब कि स्टेट में जितने भी पावर हाऊस चल रहे हैं आप उन सबको कोर्पोरेशन के अधीन लेना चाहते हैं लेकिन अजमेर में उसी कम्पनी को दस साल के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लिए और लीज दे देते हैं। अजमेर के लोगों की तरफ से मैं अपको निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप उन रूल्स की तरफ देखिये उस कम्पनी ने किस प्रकार से लूट मचा रखी है। वह कम्पनी एडवान्सेज पर व्याज नहीं देती; इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत व्याज चाहिये। जनता की तरफ से शिकायत है कि उनके साथ रूल्स के तहत व्यवहार नहीं होता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): यह क्या बिजली की डिमान्ड है क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पैसा जो निकल गया है उसी का जिक्र कर रहा हूं। पब्लिक वर्क्स से इसका ताल्लुक है। आप ज्यादा समझदार हैं, आपसे मैं क्या कहूं।

श्री हरिश्चंद्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कहा फर्स्ट प्लान की रोड्स कम्पलीट नहीं हुई, उनका नाम तो बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अराई सेसरवाड़। श्रीनगर से रामसर; और भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है, उनको ले लिया था। दो-एक मुझे याद थी वह आपको अर्ज कर दी।

हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। फर्स्ट प्लान में जितने भी सार्वजनिक निर्माण के वर्क्स थे उसका रुपया शिफ्ट करके न जम कहां लगाया। पॉवर हाउसेज की वलाइज़ेशन की पोलिसी थी उस आपने दस साल के लिये और लीज़ दे दिया; राजीनामा कर लिया है, इस सिलसिले में भी जानना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की तहत जो भी चीजें आपको करनी चाहिये थीं, व्याज लेना चाहिये उस सब के बारे में क्या हुआ?

इसके साथ साथ मैं एक बात और नोटिस में लाना चाहता हूं मैंने इस बारे में पहले भी निवेदन किया था कि १ लाख ८ हजार के घपले के बारे में तार देकर रिपोर्ट की थी। अजमेर के अन्दर जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है उसमें १ लाख ८ हजार का घपला है उसकी खबर लेना चाहता हूं। ८० हजार के घपले के लिए तो ए.जी. ने भी रिपोर्ट की। आपने उसको खत्ते में डालने वाले डिपार्टमेन्ट यानि इन्क्वायरी कमिश्नर के पास वह रिपोर्ट भेज दी। उसको क्या सजा दी, वे रिटायर होगये, उसके बाद भी फैसला नहीं हुआ। इसी संबन्धित दो, चार, छः केसेज़ जानता हूं। आपके पास जी० ए० डी० है।

अपोइन्टमेन्ट होगा। नहीं है आपके पास? खैर, किसी के पास तो है। मुझे शिकायत है। अकेले बैठे होते हैं; कहते हैं, वे यहां क्यों नहीं, तब तो सारी सरकार के ठेकेदार हो जाते हो कि हम बैठे हैं यहां सब की तरफ से और सवाल उठाते हैं तो कहते हैं यह मेरा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका रूलिंग हो चुका है इस मामले में। तो मुझे इससे ताल्लुक नहीं कि आपका यह विभाग है या नहीं है? मुझे सरकार से ताल्लुक है। तो एक लाख आठ हजार का घपला बिल्डिंग में अजमेर में। एन्क्वायरी कमिशन के पास मामला चला जावे। पर एन्क्वायरी कमिश्नर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तीन तीन महीने में बदलता रहे, चार्ज शीट की बात कहते हैं तो कहते है दे दी गई है। पर वे कागज दबे रहे और इसी हेराफेरी में बेचारे की डैथ हो गई और इसके बाद आप क्या चाहते हैं ? कब तक इन्तजार करना चाहते हैं ? दूसरे लोगों की क्यों नहीं एन्क्वायरी शुरु हुई। इसके बाद यह भी जानना चाहूंगा कि नतीजा क्या है ?

हम यह भी जानते हैं रूल्स और रेगुलेशन्स से सरकार चलती है। हमारा काम लेजिस्लेशन वर्क के अलावा यह भी है कि जो कानून–कायदे हम यहां बनाते हैं उनको आप किस तरह चलाते हैं, यह देखें। यह हमारा कर्त्तव्य है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस ७९ हजार एक लाख के घपले में आपने क्या निर्णय लिया। आपने प्राइमा-फेसी मान लिया। पर फिर भी उसका फैसला आप दो दो साल तक न करें, इसको किस तरह आप जस्टिफाइ करते हैं ?

यह टैक्स पेयर का रूपया है। इसमें आपके किन अधिकारियों ने, किन कर्मचारियों ने ठेकेदारों से मिल कर गड़बड़ की है, आप इसका पता लगाए। एन्क्वायरी कमीशन बैठता है, दो दो साल हो जाते हैं कमिश्नर बदलते रहते हैं। क्यों इनको बदला जाता है समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं यह केस क्वाज़ी जुडीशियल हो गया, अदालती ढंग का हो गया। कई किस्म की तो आपने अदालतें खड़ी कर रक्खी हैं। कोई क्वाजी जुडीशियल है, कोई कैसी है। उसी में वक्त निकाल देते हैं। मुझे किसी की सजा में कोई दिलचस्पी आपने नहीं ली है, सजा की बात मैं नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि टैक्स पेयर का ७९,०००) रुपया कहां गया, कैसे गया, किनके पास गया और उन लोगों को आपने क्या सजा दी, कौन रेस्पोन्सिबल था ? अजमेर में इतना वर्क हुआ। सरकार ने अपनी इच्छा से काम शुरू किया और उसमें इतना घपला हो गया इतने से अरसे में ! आपको उसकी जानकारी हो गई। मैं फिर एक बात पूछना चाहता हूं मिनिस्टर महोदय से कि जब आपको जानकारी हो गई तब एक्शन क्यों नहीं लिया, किस तरह से वह ठेकेदार अपने सब एरियर पी. डब्लू. डी. में से निकाल कर ले गया, पटा कर सब अपना रुपया निकाल कर ले गया ? इसके बाद कमिश्नर साहब क्या फैसला देंगे ? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा टैक्सों के जरिये सरकार ने इकट्ठा किया। मैं पूछना चाहता हूं। याद है मैंने कहा था कि मैं सजा में इन्टरेस्टेड नहीं हूं। मैं तो इसमें इन्टरेस्टेड हूं कि जनता का वह टैक्स के रूप में आपके पास आया पैसा, अगर उसका किसी ने घपला किया है तो उनके पेट में से वह उबलवा लिया जावे, पर आपकी तो पॉलिसी यह है कि धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जावे तब तक "न रहे बांस न बजे बांसुरी"। इस सरकार पर मैं नैग्लीजेन्स का चार्ज लगाता हूँ। आपको रुपया वसूल करने में भी उसी तरह से ध्यान देना चाहिये जैसे लेने में देते हैं। जितना सख्ती से इस बारे में आपको सोचना चाहिये, आप नहीं सोचते। आश्चर्य तो यह है कि आपने तकाजा नहीं किया। उस घर से उस घर भेज दिया, बस। कहा तो आपने कह दिया, इस विभाग का नहीं, उस विभाग का काम है। अपनी खिड़की से दूसरे की खिड़की में घुसेड़ दिया। पर डिपार्टमेंट तो सभी आपके हैं। आपके यहां गलत लोग लग गये हैं। उनको सजा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं होती ।आप तकाजा नहीं करते । कमिश्नर क्या कर रहा है, यह नहीं पूछते । आप यह चाहते हैं कि उनकी बचत होनी चाहिये । यह ठीक नहीं है ।

इसके बाद दो-तीन दफा घन्टी बजाई इसलिये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : श्रम और नियोजन के बारे में मैंने ११ कटौती प्रस्ताव दिये हैं । मेरी मान्यता है कि श्रमिक की सुरक्षा...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! मैं बीच में निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्यों के समय का जिस प्रकार से निर्धारण किया गया है, अपनी अपनी पार्टियों का सभी समय तो अलग अलग है ही, इसके अलावा भी इस दृष्टि से कि काफी तादाद में जो बोलना चाहते हैं वे बोल पावें इसलिये माननीय सदस्यगण स्वयं ही १५ मिनट से अधिक न बोलने का यदि संयम रक्खें तो किसी को ऐसा एतराज नहीं रहेगा कि उनको समय नहीं मिला और यथा समय कार्य भी समाप्त हो सकेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यहां अगर दस दस मिनट दें तो भी हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रयत्न करूंगा इसके बावजूद भी और घंटी भी बजाऊंगा, पर फिर भी समय का ध्यान रखना, यह आपका भी काम है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे पी. डब्लू. डी. के कर्मचारी हों, चाहे राणा प्रतापसागर के मजदूर हों । सिंचाई विभाग के मजदूर हों, सभी असन्तुष्ट हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि चारों तरफ भयंकर मंहगाई के कारण असन्तोष बढ़ता जा रहा है । दूसरी तरफ देश के संकटकाल को देख कर नारा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जावे ।

आज ऐसा मालूम पड़ रहा है, सरकार और पूंजीपति आपस में मिलकर ऐसी लाइन बनाते जा रहे हैं कि सारे राजस्थान के श्रमिक समाज में असन्तोष फैल गया है ।

सबसे पहले राज्य कर्मचारियों के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । आपने जो थोड़ी सी वृद्धि उनको दी है उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं और जिस प्रकार के समाचार अखबारों में पढ़ रहे हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है बहुत जल्दी एक विशाल प्रदर्शन उनकी तरफ से इसके लिये होने वाला है और इसके बाद में ३१ मार्च को सांकेतिक छुट्टी करने जा रहे हैं । इस प्रकार का वातावरण हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के बारे में क्या कहूं । आज तो बाड़ खेत को खा रही है । श्रम विभाग ढीला होता जा रहा है । मजदूरों में यह सुनने को मिलता है कि जितने श्रम अधिकारी और श्रम विभाग के कर्मचारी हैं वे मिल मालिकों के इशारों पर नाचते हैं, वे जब बड़े बड़े कारखानों का दौरा करते हैं तो मिल मालिकों की हां में

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हां मिलाते हैं, उनके जंगलों पर ठहरते हैं, उनके यहां खाना खाते हैं मुफ्त में और यह तो हाल है इन अधिकारियों का। दूसरी तरफ मिनिस्टर लोग जब हमारे बीच में आते हैं तो बहुत बातें करते हैं हमने मजदूरों के लिये यह किया वह किया । पर करते कुछ और हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चुनावों के समय में लाखों का फण्ड उन सेठों से मिल मालिकों से वे वसूल करते हैं, उनकी मोटरों और जीपों से वे चुनाव लड़ते हैं। और यहां आकर कहते हैं, हम मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं । यह कहना उनका कोरी विडम्बना है ।

मजदूरों की समाज कल्याणकारी योजना भी चलाते हैं। मजदूरों के आवास और मकान की योजना भी है । विभागीय रूप से ये सब कहने को हैं। लाखेरी का मामला है। मुझे मालूम है। वहां पर श्रमिकों ने मिलकर सहकारी समिति बनाई इसके लिये। निजी पैसे से इस योजना को उन्होंने चलाया है। पर आज तक श्रम विभाग उनको प्रेरित नहीं कर सका। जब कि लाखों का प्रावधान सरकार के पास है वह लैप्स हो जाता है जैसा कि अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पर सरकार उनको प्रेरित नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्रम विभाग के कार्य विवरण को पढ़ा है । मैंने कारखाने के अधिनियम के बारे में अपने विचार रक्खे। मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंट होते हैं कारखानों में, हाथ पैर टूट जाते हैं मजदूरों के। आंखें फूट जाती हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिये कानून के तहत, पर नहीं मिलता । पहले तो मिल अधिकारी एक्सीडेन्ट मानते ही नहीं, मानते भी हैं तो श्रमिक की केस नहीं लड़ सकने की कमजोरी का नाजायज़ लाभ उठाते हैं, सरकार कुछ करती नहीं, विभाग श्रमिक की तरफ से लड़ने की व्यवस्था नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने देखा कि ६३–६४ में १०६६ केस दर्ज हुए पर ६४ मामलों में केस सक्सेसफुल हुए ।

इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि आपने न्यूनतम वेतन लागू किये हैं और आप कुछ उद्योगों में फिर से करने जा रहे हैं, लेकिन मैं खास तौर से खेतीहर मजदूरों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जो बेचारे ६ आना रोज में बड़े बड़े पटेलों के यहां हाली के रूप में रहते हैं और उनका भयंकर शोषण होता है। आपने इन खेतीहर मजदूरों के लिए भी मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू किया है, लेकिन आपके इन्सपेक्टर जाते नहीं हैं और इस कारण जो उन मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि श्रम विभाग को ज्यादा जागृत होना चाहिए। इसी प्रकार से सीमेन्ट के उद्योगों के नाम पर भारत सरकार की ओर से और राजस्थान ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं और सीमेन्ट वेज बोर्ड लागू किया है। यह सीमेन्ट वेज बोर्ड सारे देश में घूमा और उसने अपनी पहली सिफारिश प्रस्तुत कर दी और मुझे कहते हुए ताज्जुब होता है कि हमारी राज्य सरकार उस वेज

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करा पाई। हालांकि उन्होंने बताया कि छोटे मजदूरों को ६३ रुपये मिलेंगे, लेकिन यह देखने की कोशिश नहीं की कि जो सुविधायें मजदूरों को पहले मिलती थीं वे वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होने के बाद कम हो गई हैं। राजस्थान में सीमेन्ट के दो बड़े उद्योग हैं एक तो सवाई माधोपुर में और दूसरा लाखेरी में। पहले मजदूरों को ७५ रुपये मिलते थे और बाद में ६३ रुपये मिलने लगे लेकिन उसके बाद में ८ रुपये की झोंपड़ी का किराया काटा जाता है। आप लाखेरी और सवाई माधोपुर में जाकर देख लो। मंत्री महोदय ने भी देखा है, वहां पर उन झोंपड़ियों को बस्ती में न तो कोई सेनीटेशन की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है और न पानी की व्यवस्था है और ८ रुपये माहवार झोंपड़ी के किराये के रूप में और काट लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वेज बोर्ड लागू होने के पहले लाखेरी में ४।। सेर के गेहूं और ५।। सेर की ज्वार वहां के उद्योगपतियों को देना अनिवार्य था और वे ग्रेन शोप्स चलाते थे लेकिन वेज बोर्ड लागू होने के बाद में वह व्यवस्था खत्म हो गयी और इस कारण १० रुपये महीने का मजदूरों को कम पड़ता है। इसी प्रकार से ग्रेडेशन का सवाल है। 'सी' ग्रेड के आदमी से 'ए' ग्रेड का काम लिया जाता है और उसको उसका वेतन नहीं दिया जाता। उनकी ओर इस बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि बोनस के लिए मजदूरों को संघर्ष करना पड़ता है। लाखेरी में आन्दोलन हो रहा है और जिस उद्योग में ३ महीने का बोनस मिलता था इस साल में १४ दिन का बोनस दिया जा रहा है। जब कि वहां का उत्पादन बढ़ा है। जहां प्रोडक्शन बढ़ा है और जहां मुनाफा ६ परसेन्ट का देते थे वहां १२ परसेन्ट का दिया है और फिर समझ में नहीं आया कि १४ दिन का बोनस कैसे मिला? मेरी तो वहां लोगों से बातचीत हुई। वे लोग कहते हैं कि हम कहां कहां दें। भारत सरकार के मिनिस्टरों को चन्दा देना पड़ता है, राजस्थान सरकार को देना पड़ता है। वे कहते हैं कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। जब ये बातें देखते हैं तो हमें इसका सन्देह होना चाहिए और सन्देह होना लाजिमी है कि राजस्थान के मंत्री अपने स्वार्थों के कारण उधर ध्यान नहीं देते और जो काम उन्हें करने चाहिए वे नहीं कर पाते हैं ....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आप गोलमाल बात कह रहे हैं कि बोनस इसलिए नहीं दिया कि वे चन्दा देते हैं। कौन मिनिस्टर प्रलोभन में आता है? आप कह रहे थे कि आपकी उनसे बातचीत हुई इसलिए उन्होंने ऐसा कहा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने चन्दा लिया है। मीखाभाई जी खुद इन्कार कर दें कि उनके यहां प्रत्येक इलेक्शन में जीपें नहीं आती हैं। सवाई माधोपुर फैक्टरी से ५ जीपें आती हैं, सीमेन्ट फैक्टरी लाखेरी से ३ जीपें आती हैं। वे आपको एम० एल० ए० बनाते

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हैं और उनकी बदौलत ही आप इस कुर्सी पर बैठते हैं। इसके अलावा प्रमुख और प्रधान बनवाने में उन्होंने पूरा काम किया है। आप मैनेजमेंट का अहसान लेते हैं।......

श्री परसराम मदेरणा : किसी को चन्दा दिया है क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भीखाभाई कह दें कि उनके डूंगरपुर क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में जीप नहीं गई। आप कह दें अभी बदरी प्रसाद जी को जिताने नहीं गईं। कौन सी जगह है जहां सीमेन्ट फैक्टरी के दम से आपको जीपें और चन्दा नहीं मिलता। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि सीमेन्ट वेज बोर्ड के अन्दर आपने एक श्री त्रिवेदी, जो कि इन्टक के थे उनको रखा और बृजसुन्दरजी को रखा और इन्होंने सब जगह जाकर इसका अध्ययन किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपने दूसरा वेज बोर्ड इसका इसलिए लागू किया है कि पहले जो मिलता था उससे ज्यादा मिलना चाहिए; तो क्या श्रम विभाग ने जांच की है कि मैनेजमेन्ट के द्वारा वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू की गई हैं या नहीं ? अगर नहीं की गई हैं तो आपको उन अधिकारियों को सजा देनी चाहिए जो कि इसके लिए जिम्मेवार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वेज बोर्ड में जो सबसे बड़ी मुल्य बात थी वह यह थी कि ठेकेदारी प्रथा का अन्त होना चाहिए क्यों कि इस प्रथा से ज्यादा शोषण होता है। परन्तु जब से वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हुई हैं तब से यह प्रथा और भी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे यहां एक ठेका है आप इसको नोट कर लें कि उसके अन्दर श्री हंसराज जी का साझा है और ठेकेदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रम कल्याण केन्द्र के बारे में कहना चाहूंगा..................

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : आप यह बता दें कि किसका साझा है और किसमें साझा है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप तो यह पहले बता दें कि मैंने जो पहला चार्ज लगाया कि आपने सीमेन्ट फैक्टरी की मोटरें और गाड़ियां चुनावों में मंगाईं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चार्ज तो आप ने लगाया ही नहीं। सारा वेग चार्ज ही लगाया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह कहें कि आपने मोटरें नहीं मंगवाईं और मेरे क्षेत्र में नहीं आईं, वर्ना "अन्धे के आगे रोयें और अपने नैन खोयें।" आप मेरी बात का जवाब देना चाहते हैं तो बता दें कि आपने मोटरें नहीं मंगवाईं। मैं समझ गया, आप जवाब नहीं देते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्रम कल्याण केन्द्र के बारे में कहना चाहूंगा। ये केन्द्र जिस प्रकार से चलने चाहिए

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उस तरह से नहीं चल रहे हैं। सिर्फ कैरम हो जाय, वॉली बॉल हो जाय, टेबल टेनिस हो जाये; यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। आपको देखना यह है कि मजदूर दिन भर काम करने के बाद में शराब पीते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं–हमारा श्रम विभाग किस प्रकार से उनकी आदतों को छुड़ाये जिससे उनका पैसा बेकार न जाये। आपको ऐसी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। १ लाख रुपये लाखेरी की कल्याणकारी केन्द्र की योजना थी लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं चलता और स्टाफ यहां पर यथावत् चलता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं कुछ शब्द आपको एम्प्लॉयमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं। एम्प्लॉमेन्ट के बारे में जो धांधली, मनमानी और पक्षपात है उसके कारण लोगों में भयंकर असंतोष है। जिसको चाहे कार्ड मिल जाये और जिसकी कोई सिफारिश नहीं वह बेकार हो जाये। इस विभाग में उच्च अधिकारी भी परेशान हैं। मुझे सूचना मिली है कि एक सब-डिवीज़नल एम्प्लॉयमेन्ट ऑफिसर, श्री आनन्द स्वरूप ग्रोवर सीनियर व्यक्ति को आना चाहिए था उसकी जगह पर श्री बाजपेयी को लाने की कोशिश की गई। मुझे पता चला है श्री वाजपेयी भीखाभाई के अभिन्न मित्रों में से हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): वे तो जन-संघी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको तो सब जनसंघी ही नजर आयेंगे।

तो मैं यह कहना चाहता था कि जो आनन्दस्वरूप ग्रोवर सीनियर थे उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया और उसकी जगह पर श्री वाजपेयी को भेजा गया।

इसी प्रकार से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलते हैं। ६० हजार आदमी बेकार हैं, ये आपके श्रम योजना के आंकड़े हैं। आपके १८ जगह केन्द्र चलते हैं जबकि ये २३ जगह चलने चाहिये थे और आपकी रिपोर्ट के अनुसार ४,०९६ विद्यार्थियों को एडमिशन मिलना चाहिए था उसकी जगह अभी तक आप सिर्फ १,८१७ आदमियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ४,०९६ का टार्गेट होते हुए इतने कम आदमियों को प्रशिक्षित करें और ४५ लाख रुपये का सालाना खर्चा करते रहें तो यह शर्म की बात नहीं है तो और क्या है? इसके लिये भारत सरकार ने साफ तौर से लिखा है कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए लेकिन नहीं करते। मैं चार्ज लगाकर पूछना चाहता हूं.........

(१. म. प.)

कुछ दिनों के पहले एम्प्लॉयमेंट डाइरेक्टर, श्री चन्द्रधेर ईसर थे, सन् ६० में सरकारी रुपये का गबन इनके पास पाया गया करीब ३–४ हजार रुपयों का। उन रुपयों की वसूली नहीं हुई। आप बताना जवाब में कि क्या कारण थे?

इसी प्रकार इस समय जो डाइरेक्टर हैं श्री बी. डी. शर्मा इनकी एक अजीब कहानी है। आप ६४ में डिप्टी डाइरेक्टर थे। इनके खिलाफ सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स की जांच आई। इन्होंने सरकारी खजाने से हजारों रुपयों का

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

गबन और गोलमाल किया है इस बात को लेकर, लेकिन सारी कार्यवाही खत्तं में डाल दी गई, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वे आपके सहपाठी हैं, आपके साथ अजमेर में पढ़े हैं और भीखाभाई के मित्र हैं। उनको आप डाइरेक्टर बनाने की सोच रहे हैं। बना दिया डाइक्रेटर यह सूचना मिल गई है और उसकी जांच लेबर कमिश्नर के पास भेज दी है। तो, मैं कहता हूं कि इस प्रकार की धांधलियां, इस प्रकार की मनमानियां श्रम विभाग में जहां कि मजदूरों के हित की रक्षा के लिए काम किये जांय वहां हों तो अनर्थ नहीं तो क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं औद्योगिक विवाद के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। वह प्रगति रिपोर्ट आपकी मैंने देखी है। आज कहीं मजदूरों को निकालना है तो सब से पहले तो उसकी जिन्दगी को लेकर खिलवाड़ करते हैं उसको चार्जशीट दी जाती है, वार्निंग दी जाती है और प्रगति रिपोर्ट में यह बताया है कि आप वर्कर्स कमेटियों को पॉवरफुल करना चाहते हैं, हरेक उद्योग में वर्कर्स कमेटियां बनाना चाहते हैं। उनमें मजदूरों के प्रतिनिधि रखना चाहते हैं, कारखानों के प्रतिनिधि रखना चाहते हैं और व्यवस्था ऐसी करते हैं कि उनमें ३ आदमी मैनेजमेंट के होते हैं और दो आदमी मजदूरों के होते हैं। और जो ऑफिसर्स वहां रखे जाते हैं कोई मैनेजमेंट वगैरह को देखता नहीं है। कितने लेबर ऑफिसर्स ने वर्कर्स कमेटियों की मीटिंग को देखा है, कितनों ने मजदूरों के अभावों पर ध्यान दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

मैं कुछ औद्योगिक विवादों के बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहले कन्सीलियेशन होता है तो किस प्रकार से वह ऑफिसर के पास जाता है। अच्छा तो यह हो कि संकटकाल में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे न चलें। मजदूर मुकद्दमों में कामयाब नहीं हो सकता है। पूंजीपति अपना भत्ता बचाने के लिए ज्यदा से ज्यादा मुकद्दमे करता है। उनको ट्रिब्यूनल तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता है, मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उनमें पैसा खर्च करके लड़ने की शक्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ट्रिब्यूनल के काम की स्थिति बताना चाहूंगा। आप कम से कम चलता-फिरता ट्रिब्यूनल कायम करें जो हर डिविज़न के हैडक्वार्टर्स पर जायें और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन कर दूं। खास तौर से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मजदूर के बारे में आप यह न देखें कि वह इन्टक की यूनियन है, या जनसंघ की यूनियन या सोशियलिस्टों की यूनियन है; पर आप यह देखें कि कौन से लोग उसका सही नेतृत्व कर रहे हैं, सच्चाई के लिए कौन लड़ रहा है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि लाखेरी में फेडरेशन जो इन्टक से सम्बन्धित

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हैं उनका एक सालाना अधिवेशन हुआ। लाखेरी की यूनियन इन्टक से सम्बन्धित है। वहां के अध्यक्ष ने हमारे श्रम मंत्री को इस बात के लिए वहां उद्घाटन के लिए बुलाया। हमारे श्रम मंत्री के पार्टी के लोगों ने यह बता दिया कि लाखेरी की यूनियन इन्टक से सम्बन्धित जरूर है, लेकिन फिर भी इसमें जनसंघ के आदमी हैं। आप वहां पर न जायें। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर वह जलसा हुआ और सीमेंट फैक्ट्री के सारे प्रतिनिधि वहां आये और जब वह जलसा हुआ तो अध्यक्ष थे, श्री त्रिवेदी, उन्होंने सरकार के बारे में जो प्रस्ताव रखा तो सबसे पहला यह रखा कि राजस्थान का श्रम मंत्री निकम्मा है जो इतना सा नहीं समझता है कि हमसे कहा कि जनसंघ की यूनियन में नहीं आ सकता जब कि फैडरेशन इन्टक का है और फैडरेशन का अधिवेशन हो रहा है।

श्री भीखाभाई : रिजोल्यूशन की प्रतिलिपि तो रख दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह भी लाऊंगा, वह यूनियन मेरे हाथ में है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसके बाद तो अपने आपको अयोग्य मानकर इस्तीफा दे देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फैडरेशन इन्टक का था। उनके अधिवेशन का यह नियम है कि जिस प्रान्त में वह हो तो उद्घाटन के लिए वहां का मुख्य मंत्री या श्रम मंत्री जाये ताकि श्रमिकों या मजदूरों की जो अड़चने हैं वे उनके सामने पेश की जायें, और मजदूरों में एक स्वस्थ वातावरण बने, लेकिन ऐसे आयोजन में यह कहकर टाल देना कि जनसंघ की यूनियन है मैं नहीं आता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सेन्टर के मिनिस्टर श्री मालवीया पर चार्ज है। वहां लाखेरी में मालवीया साहब के लड़के, जो कि वहां फोरमैन थे उनकी शादी हुई तो मैनेजमेंट ने उनको पार्टी देने की दृष्टि से एक पार्टी दी और पार्टी देने की वजह से वे लाखेरी पधारे और हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री नन्दवाना साहब भी पहुंच गये सारे लवाजमे के साथ। एक तरफ तो संकट-काल चल रहा था और यहां पार्टियां हो रही थीं। भीखाभाई भी पधारे और पार्टी खाकर जाने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप मजदूरों के मिनिस्टर हैं तो लाखेरी किस लिए गये थे और पार्टी खाने के बाद वापिस क्यों हो जाना था ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, ये खुद भी मौजूद थे और मैं कहता हूँ कि मैंने कोई पार्टी खाई नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पार्टी में गये और पार्टी खाते ही रवाना होने लगे। जब आने लगे तो वहां के मजदूरों के नेताओं ने आपको चैलेन्ज किया कि भीखाभाई आप मजदूरों के मिनिस्टर हैं। हम आपको हमारी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बस्ती को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहां किस तरह की बद्इन्तजामी है उसको अपनी आंखों से देखिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आप नहीं देखेंगे तो हम आपकी मोटर के सामने पिकेटिंग करेंगे और नहीं जाने देंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष :Thats all, please

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं अभी खतम कर रहा हूं । मैं कहना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Shrimati Nagendra Bala.

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०, सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर मेरे विचार हैं । खास बात कहने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी । जैसा कि हम प्रायः महसूस करने लगे हैं । एक कहावत है उपाध्यक्ष महोदय, लोहे से लोहा टकराना । प्रायः जो युद्ध से भाग कर लोग आ जाते थे उनके बारे में यह कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति लोहे से लोहा टकराने की आवाज से डरता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि आजकल हमारी सरकार के मंत्रीगण इस सदन में बोली जाने वाली तेज और तीखी भाषा से परेशान होने लगे हैं, कुछ झुंझलाने लगे हैं। हो सकता है, क्योंकि कठोर होती है । कठोरता कर्णप्रिय भले ही न हो लेकिन यह बिल्कुल सचहै कि वह लाभप्रद अवश्य हो सकती है यदि ध्यान से समझी जाय जो कुछ सहन करके समझी जाय तो । मैं बहुत ही विनम्र भाषा में कहना चाहती हूं कि जो समस्याएं सदन में रखी जाती हैं, जो कठिनाइयां आपके सामने हम आकर रखते हैं, जो सामयिक परिस्थितियां यहां उठती हैं, वे किसी न किसी तथ्य को लेकर होती हैं । यदि आप उनको ध्यान से सुनें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, उचित कार्यवाही यदि उन पर की जाय तो ऐसी मेरी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि संतोष का वातावरण बन सकता है ।

बार बार यह कहा जाता है सरकार ने बहुत कुछ किया है । किन्तु वह शायद हमारे ध्यान में नहीं आता हो, ऐसी बात नहीं है । यह सब मानते हैं, हम कहते हैं, जनता कहती है, देखने वाले कहते हैं और शायद मैं समझती हूँ कि सुनने और समझने वाले, वे, भी कहेंगे कि आपने वहुत कुछ किया है । आप इस प्रजातन्त्र पद्धति के जिन साधनों और अधिकारों को लेकर बैठे हैं उसके बाद ये जो कुछ यहां विकास-कार्य हुए हैं होने चाहिए थे, आवश्यक था । लेकिन उसके बाद जो काम नहीं होता है, उसके बारे में क्या है कहते हैं कि बांध बने हैं, नहरें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल बनी हैं, औषधालय खुले है और इन सबके बावजूद, प्रशंसा से प्रेरणा मिलती है । मैं ऐसा भी मानती हूं यह मानव प्रकृति है, लेकिन प्रेरणा किसी सीमा तक, प्रशंसा किसी सीमा तक । सरकार भूल गई है कि सरकार के कार्यो की प्रशंसा की पुनरावृत्ति तो कई बार होती रहती है, यहां

(श्रीतमी नगेन्द्रबाला)

कहा जाता रहता है। उसके बाद आलोचना इस बात की है कि जो विकास आपने किया, जो योजना आप सफल करने जा रहे हैं इनमें खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, कहां न्यायसंगत कार्य नहीं हो रहा है ? और एक विशेष बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इतने विकास के साथ साथ जो उपरोक्त यह बात कही जाती है उसके बाद यह विचार क्यों नहीं किया कि जो आज के प्रजातन्त्र में हो रहा है। प्रजातन्त्र की जो सुखद और सुदृढ़ शासन पद्धति है उसमें यह क्यों हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। यह चोर बाजारी क्यों बढ़ी, रिश्वतखोरी क्यों बढ़ी ? किसने चापलूसी और जी हुजूरी को स्थान दिया ? अवश्य इसके साथ में कोई न कोई चीज चल रही है। मैं निर्माण कार्यों के बारे में बताना चाहती हूं। कोटा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि निर्माण विभाग के द्वारा जितनी लापरवाही और उपेक्षा की गई है उतनी शायद दूसरी जगह नहीं है, और किसी विभाग की नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें टूट चुकी हैं उनकी मरम्मत नहीं है, जो कच्ची हैं वे पक्की नहीं हो रही हैं। जहां डामर रोड बन जानी चाहिये थीं, टार रोड होनी चाहिये थी वहां बनी बनी। श्रमदान में विकास के काम के साथ जिन नागरिकों ने और ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़कें बनाई वे बरबाद होकर खत्म हो गई लेकिन सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, निर्माण विभाग ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कोटा से शाहबाद होकर शिवपुरी तक सड़क जाती है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाती है उसकी हालत के बारे में यहां कई बार चर्चा हो चुकी है उसकी इतनी खराब हालत है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि उस पर सफर करे तो शाम तक बीमार पड़े बिना नहीं रहेगा। वह मुख्य सड़क है, साथ में और कोई सड़क नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि इस सड़क के किनारे किनारे डामर के ड्रम्स रखे हुए हैं आज से नहीं, मैं ऐसा मानती हूं कि ८-१० साल से ये वहां पर रखे हुए हैं उनमें से कई टूट चुके हैं और डामर खराब हो गया है, पानी में बह गये हैं और कई अब तक पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह सरकारी माल और धन का दुरुपयोग नहीं है ? ये क्यों रखे गये ? यदि रखे गये तो इनका उपयोग क्यों नहीं हुआ ? वहां नहीं तो किसी दूसरी जगह उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया ? जैसा कि योजनाओं में कई बार होना बताते हैं एक जगह के लिए धनराशि रखते हैं उसको दूसरी जगह काम में ले लिया जाता है। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

इसके साथ साथ बारां सब डिविज़न को निर्माण कार्य के लिये झालावाड़ के साथ मिला दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि रामगंज मंडी झालावाड़ के बहुत नजदीक है उसको झालावाड़ के साथ क्यों नहीं मिलाया ? लेकिन मिलाने का कारण कुछ और है। जब एक प्रश्न आता है कि पैसे का उपयोग तो करना है लेकिन इस स्थान पर नहीं किसी दूसरे स्थान पर करना है तो कैसे किया जायगा, बारां सब डिवीज़न में काफी पैसा मरम्मत के लिये मिलता है, बारां को यदि कोटा डिस्ट्रिक्ट के साथ रखते हैं तो वह

(श्री नगेन्द्रबाला)

पैसा कोटा की सड़कों के लिये ही खर्च किया जा सकता है लेकिन जब इसको झालावाड़ के साथ मिला दिया गया तो जो पैसा वहां के लिये मिलता है उसका उपयोग होता है झालावाड़ के लिये, क्यों कि बारां झालावाड़ के साथ मिला हुआ है। रामगंज मंडी की केवल एक ही मुख्य सड़क मिली हुई है लेकिन आस-पास की सड़कें मिली हुई नहीं हैं। यदि मंत्री महोदय स्वयं जाकर देखें तो पता चलेगा कि उन सड़कों पर ज्यादा काम हुआ है जो झालावाड़ में हैं और जो कोटा में है उन पर काम नहीं हुआ। मरम्मत का पैसा बारां सब-डिविज़न के लिए मिला है उसका उपयोग झालावाड़ में होता देख कर दुख होता है लेकिन जब पीछे हटते हटते दीवार आ जाती है तो कहना पड़ता है।

इसके साथ साथ कुछ धन राशि निश्चित की गई थी ६३–६४ के बजट में किशनगंज में दीनोद होती हुई रामगढ़ तक सड़क होगी, इस बात को कई बार यहां दोहराया गया कि यह सड़क क्यों नहीं शुरू हुई, बजट लैप्स हो जायगा, सत्र समाप्त होने जा रहा है, जब इसको ज्यादा परस्यु किया गया तो संतोषप्रद जवाब मिलता है कि टेन्डर मांगें गये हैं, अब शुरू होने वाली है, दो महिनों में खत्म हो जायेगी लेकिन पता नहीं वह समय कब आयगा जब वह शुरू होगी और किस अवधि में खत्म होगी ?

निर्माण कार्यों के बारे में मैं कहूँगी जो बिल्डिंग्ज़ बनती है वे इतनी कमजोर बनती हैं कि आज बने और कल टूटे। शाहबाद का स्कूल टूटा, कोटा की कलेक्टरी की बिल्डिंग टूटी, इस ओर न इंजीनियर ध्यान देते हैं और न कोई दूसरे और न मंत्री जी कोई सख्त कार्यवाही करते हैं। इसका कारण क्या है कि ऐसा कमजोर काम किया जाता है बल्कि ठेकेदारों को पेमेन्ट भी कर दिया जाता है ? ऐसी कमजोर इमारतें बनने पर भी उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं। पहले भी मजदूर होते थे, कारीगर होते थे जिनके द्वारा बनी हुई इमारतें और किले आज भी वैसे के वैसे खड़े दिखाई देते हैं। क्या हुआ सैकड़ों वर्षों के बाद कोई हिस्सा टूट गया तो ? लेकिन आज जो इमारतें बनती हैं वे कल टूट जाती हैं। यह कमजोरी १० साल बाद और भी नुकसानदायक सिद्ध होगी।

सड़कों के बारे में कहते हैं तो जवाब देते है कि ट्रैफिक हैवी होने के कारण टूट गई लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी आज भी मौजूद हैं उनको भी यही विभाग बनाता है लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं जो आज बनती हैं और कल टूट जाती हैं, इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वे टूट जाती हैं, अधिक ध्यान में नहीं आतीं।

इसके साथ साथ एक निवेदन मैं और करना चाहती हूँ जिस पर मेरा सुझाव है ध्यान आकर्षित करने के लिये। स्कूलों के बारे में हमारे यहां काफी बड़ी समस्या है। प्राइ-मरी स्कूलों के लिए बिल्डिंग्ज़ नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को तकलीफ होती है नुकसान उठाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि निर्माण विभाग इनके लिये धनराशि निश्चित करे जिससे प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाये

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

जायं ताकि छोटे छोटे बच्चे स्वच्छ जगह बैठ कर विद्याध्ययन कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : मेरा भी कट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन नम्बर से आ रहे हैं ।

श्री गंगासिंह परिहार : मेरा भी कट मोशन है, डिविजन नं० ४४.

श्री गंगासिंह राठौड़ : मुझे पहले बोलने की इजाजत मिली है ।

उपाध्यक्ष महोदय, काम की बहतरी के लिए और काम की उन्नति के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य भी अपना एक स्थान रखता है । इससे सम्बन्धित यह जरूरी है कि यदि प्रान्त को चौमुखी मजबूत बनाना है तो निर्माण कार्यों की ओर सरकार को पूरा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के स्वतन्त्र होने के बाद में कांग्रेस सरकार ने निर्माण कार्यों के रूप में क्या क्या कार्य किया है, वह हम सबके सामने है । कुछ कार्य जरूर हुए हैं लेकिन देश की इस गति को देखते हुए तथा हम पहले पिछड़े हुए थे और अब किस हद तक हम बने हैं उसकी गति को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हमारा निर्माण कार्य भी बहुत प्रगतिशील हो और प्रगति भी बहुत जल्दी से जल्दी होना जरूरी हो जाता है । निर्माण कार्यों के लिए जो धन राशि हम हमारे प्रान्त में लगाते हैं उसको हम ध्यान में रखें तथा पिछले बजट जो सदन में पास हुए हैं उनको मद्दे नजर रखें तो हमें मालूम होगा कि इस ओर सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि जो कुछ धन राशि दे रही है उससे जो प्रायोरिटीज़ तय की जाती हैं वे गलत तय की जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य के लिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रान्त की बहतरी के लिए कौनसा कार्य पहले लिया जाय, कौनसी सड़क पहले ली जाय, कौनसे मकान पहले लिये जायं ,जिससे कि राजस्थान की चारों तरफ से उन्नति हो सके। जो प्रायोरिटी अभी तक और पिछली सालों में दी गई है वह कई जगह तो पोलिटिकल इन्फलूएन्स के कारण दी गई है या किन्हीं जगहों से यह जो कांग्रेसी सदस्य जीत कर आये हैं या किसी जगह के मंत्री महोदय हैं तो उनको मद्दे नजर रखते हुए प्रायोरिटी का निर्माण किया गया है । अगर राजस्थान की चहुंमुखी प्रगति नहीं हुई और चारों तरफ निर्माण कार्य करने की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो एक तरफ आप चाहे कितनी भी उन्नति कर लें और चाहे राजस्थान की बेहतरी हो जाय तो उसका कोई मतलब हल नहीं होगा । यदि चारों तरफ राजस्थान में विकास नहीं हुआ तो हमें करना चाहिए वह हम नहीं कर सकते । इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम

(श्री गंगासिंह राठोड़)

से कम जो प्रायोरिटी आप फिक्स अप करें उसमें यह ध्यान रखें कि राजस्थान की उन्नति किस किस चीज को ज्यादा करने से होगी और किस किस चीज को ज्यादा बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका है वह रेगिस्तानी इलाका है इस इलाके के लिए अगर देखा जाय तो पिछले जो बजट पेश हुए हैं उनमें इस इलाके के अन्दर सड़कों के लिए और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए पैसा रखा गया है और जो प्रोवीजन्स रखे गये हैं–ये बहुत कम रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि गम्भीरता से इसे देखा जाय तो हम इस इलाके को भूल नहीं सकते हैं। वैसे यह इलाका आपको कुछ ज्यादा प्रगतिशील नजर नहीं आता है परन्तु जो रुपया यहां पर खर्च होना चाहिए था वह भी नहीं हो सका है। जहां तक दूसरे इलाकों का सवाल है वहां पर नहरों को बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने में और बांधों का निर्माण करने में काफी पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन इस एरिया के अन्दर सिवाय कुछ कूए खोदने के और कुछ सड़कों का निर्माण किये जाने के और कोई काम नहीं हुआ है जिसके कारण इस एरिया का भी कुछ विस्तार हो सके। इसको मद्दे नजर रखते हुए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि यह जो इलाका है–जोधपुर का, बाड़मेर का और नागौर का इलाका है–उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा रुपया सड़कों के निर्माण के ऊपर खर्च करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसी इलाके के अन्दर पाकिस्तान की बोर्डर लाइन आ जाती है। लेकिन उस बोर्डर पर अभी तक भी सड़कों के निर्माण का सुचारु रूप से काम नहीं चल रहा है। इसके सिवाय जो सड़कें बनी हैं वे ऐसी हैं जिनकी थोड़े से समय के अन्दर टूटने की सम्भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बोर्डर लाइन की जो सड़कें हैं तथा इस रेतीले स्थान पर जो मेन सड़कें हैं उनका निर्माण इस तरह से नहीं हो सकता कि जो मेन सड़कें हैं उनको छोटी छोटी सड़कों से मिलाया जाय तब तक यह जो ढांचा है हमारे डिफेन्स का वह कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि पहले इस ओर ध्यान दिया जाय और सड़कों का निर्माण पहले कराया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर डीडवाना से नागौर तक की सड़क को डामर की सड़क बनाया जा रहा है लेकिन तीन चार मील सड़क एक साल में डामर की जा रही है। हालांकि आश्वासन यह दिया गया था कि सरकार एक साल में इस सड़क को बनवा देगी किन्तु पांच–छः साल, या सात-आठ साल का अर्सा हो चुका है लेकिन अभी तक यह सड़क कम्प्लीट नहीं हुई है। इसके लिए जो पिछली साल पैसा रखा था उसके लिए प्रोवीजन रखा था कि १०–१२ मील का टुकड़ा इस सड़क का जल्दी बनाया जायगा। लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर ने वह पैसा वहां से हटा कर अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में लगा दिया। इस स्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि जो यह

(श्री गंगासिंह राठोड़)

सड़क बन रही है इसके लिए जो प्रोवीज़न रखा जाय वह इसके ऊपर ही खर्च किया जाय। और इसके साथ ही जो सड़कें अधूरी है उनको भी पूरा किया जाय। सात साठ सड़कें मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में ऐसी हैं जो फेमिन लेबर के द्वारा बनाई गई थीं और उस समय करीब दस बारह लाख रुपया इन सड़कों के ऊपर खर्च हो चुका है। उन पर अर्थ वर्क बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो दस-बारह लाख रुपया जो पिछली साल खर्च हो गया है, वह सारा का सारा रुपया फालतू चला जायगा क्योंकि इस समय जो हवा चलेगी उससे वह सारा अर्थ–वर्क नष्ट हो जायगा और जो दस-बारह लाख रुपये की राशि इस पर लगी हुई है उसका आप बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि खाटू से टारनाओं, डेह से मार्यालोड, जायल से खिनयाला, चाऊ से झोर्डा, मंडावा से कुछेरा और खींवसर से डेऊ तक की जो सड़कें हैं इन सड़कों की ओर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इन सड़कों पर कार्य आरम्भ करा दें वरना जो पैसा लगाया गया है वह फालतू चला जायगा......

श्री मथुरादास माथुर (विधी मंत्री): आपके यहां जो खर्च होगा वह दूसरी जगह का होगा ?

श्री गंगासिंह राठोड़: इसके साथ ही अर्ज है कि कुछ बिल्डिंगों की कमी है इसके लिए सरकार से बराबर अनुरोध किया गया है और सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि अगले बजट में इसका प्रोवीज़न रखा जायगा। किन्तु जो बजट पेश किया गया है उसके अन्दर कोई प्रोवीज़न नहीं है, जिसके लिए सरकार ने पहले आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर के अन्दर गर्ल्स स्कूल्स हैं वे ऐसे मामूली मकानों के अन्दर है जो किसी स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने मंजूर किया था कि यह बिल्डिंग स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं है और आगामी वर्ष के अन्दर जब कभी धन उपलब्ध हो जायगा, तब उस बिल्डिंग को बनाया जायगा। मुझे उम्मीद थी कि इस साल कुछ न कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए प्रावधान होगा और वह गर्ल्स स्कूल तैयार हो जायगा। अभी क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल है नहीं इसके कारण वहां की लड़कियों की पढ़ाई नहीं चल रही है। और पेड़ के नीचे और बरामदे के अन्दर लड़कियां पढ़ती हैं–ऐसे स्थानों पर पढ़ाई का एटमोसफिअर नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप जो पिछली साल इम्तिहान हुआ था उसके अन्दर सब की सब लड़कियां फेल हुई। जब हमने यह अनुरोध किया था कि पढ़ाई के लिए उपयुक्त एटमोसफियर बनाने वाली बिल्डिंग्ज़ नहीं थीं तो यह आश्वासन दिया गया था कि इस ओर ध्यान दिया जायगा। किन्तु इस साल का जो बजट पेश हुआ है उसके अन्दर भी इन बिल्डिंग्ज़ को तैयार करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जायल में एक हाई स्कूल बन रहा है।

(श्री गंगासिंह आठोड़)

उसके सम्बन्ध में वहां के प्रधान ने तथा मैंने भी सरकार को एक पत्र लिखा था और यह प्रार्थना की थी कि इस स्कूल के लिए काफी पैसा पंचायत समिति दे रही है, यदि कुछ पैसा गवर्नमेंट दे दे तो यह कम्प्लीट हो जायगा और इसी साल से कार्य आरम्भ हो सकता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सरकार वैसे अन्धाधुन्ध तरीके से चाहे जितना खर्च कर दे किन्तु इस बिल्डिग के अन्दर जो इतना खर्चा हो रहा है इसके लिए भी कुछ ग्रान्ट इन एड के तौर पर दे दे......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह तो कल आ रहा है शिक्षा का प्रश्न। आप शायद कल होंगे नहीं, इसलिए बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : बिल्डिग के बारे में कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा की बिल्डिंग।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन जवाब देगा, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री गंगासिंह राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें जो बन रही है और बिल्डिगों का जो कार्य हो रहा है वह पी. डब्ल्यू. डी. की मशीनरी के जरिये हो रहा है। अगर वह काम सुचारु रूप से होता है तो वह बिल्डिग्ज़ और सड़कें काफी अर्से तक ठीक रहती हैं। किन्तु देखा यह गया है कि अभी जो बिल्डिग्ज़ या सड़कें तैयार की जा रही हैं, उनमें चाहे किसी इन्जीनियर की गलती हो और चाहे किसी ठेकेदार की गलती हो-कुछ भी हो लेकिन जो सड़कें बन रही हैं वे दो तीन साल से ज्यादा चलती नहीं हैं, आगे आगे सड़कें बनाते जा रहे हैं और पीछे बनी हुई सड़कें टूटती जा रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसके लिए सरकार द्वारा कुछ न कुछ सक्रिय कदम उठाना जरूरी है वर्ना गवर्नमेंट का लाखों रुपया जो लग रहा है वह फालतू चला जायगा और उनकी मरम्मत साल के साल होने से गवर्नमेंट फंड का दुरुपयोग होगा। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि जो सड़कें हमारे यहां बन रही हैं और जो सड़कें बिना मरम्मत की हुई पड़ी हैं उनकी ओर अधिक तवज्जोह देकर उन सड़कों को बनाया जाय और उन सड़कों की मरम्मत करने के लिए प्रोवीज़न रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह परिहार !

श्री गंगासिंह परिहार (हिंडोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण कार्य के संबंध में और सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा इस विभाग के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। उसके बाद निर्माण कार्य और सड़कों का विवरण बताऊंगा। मेरा निवेदन करना यह है कि निर्माण विभाग के द्वारा जो उचित मात्रा में निर्माण होना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ ? इसके जो कारण सामने आये हैं उनके बारे में मैं थोड़ा अर्ज कर देना चाहता हूँ। पहला जो कारण हमारे सामने आया वह यह है कि जो चीन का हमला हुआ उसके कारण हमारे निर्माण विभाग के बजट में से काफी काट दिया गया। उस समय हमारे सामने और हमारी

(श्री गंगासिंह राठोड़)

सरकार के सामने यह दिक्कत आई कि बजट में हमें सबसे पहले देश की रक्षा करने लिए व्यवस्था करना जरूरी है। इस कारण से मैं समझता हूं कि हमारे बजट में जो काफी प्रावधान किया हुआ था वह बहुत सारा काट दिया गया। दूसरा कारण हमारे सामने आया कि हमारे यहां कहीं अधिक वर्षा होने के कारण और कहीं कम वर्षा होने के कारण राजस्थान के काफी हिस्से के अन्दर अकाल पड़ा और उसके कारण भी हमारे सामने राहत कार्य के लिये व्यवस्था करने की समस्या आई और साथ ही हमारी सरकार को अन्न की व्यवस्था करने के लिए और शक्कर की व्यवस्था करने के लिए खर्च की व्यवस्था करनी पड़ी। इन सब कारणों से, मैं समझता हूं कि सड़कों और भवन निर्माण के बजट में कमी आई। मेरा निवेदन करना यह है कि यह भी हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए तथा और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा और अधिक गन्ना को मन्डियों तक पहुंचाने का कारण आवागमन की सुविधाओं की कमी है और इसी कारण समय पर हमारा सामान पहुंच नहीं पाता इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा निर्माण मंत्रीजी से कि वे इस पर पूर्णतया विचार करें कि जो पिछड़ा एरिया है, जो जंगली एरिया है और जो पहाड़ी और नहरी एरिया है वहां से हमारा गन्ना शुगर फैक्ट्रीज़ तक आवागमन के साधनों की कमी के कारण नहीं पहुंचाया जा सकता। इसका कारण यह है कि नहर के कारण १०, २० कोस तक रास्ता नहीं मिलता और इस कारण गन्ने के हजारों बीघा जिनमें आज भी गन्ना मौजूद है और उनको बेचने के लिये कोई भी तरीका काम में नहीं लिया जा रहा है कि जिससे वह किसान अपना गन्ना बेच सके और उत्पादन का सही लाभ उसको मिल सके, इसका खास कारण यही है कि हमारे यहां सड़कों की कमी है और हमारे यहां का एरिया पहाड़ी और नहरी एरिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपको तो मदद देते है।

श्री गंगासिंह (परिहार) : आपको भी मदद देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम उनको सुना रहे हैं और फिर आपको सुना देंगे। वे आप लोगों को कितनी मदद देते हैं और हमारे लिये कितनी मदद देते हैं यह भी मैं अभी बता दूंगा।

जहां जहां पर सड़कें हैं और खराब हैं उनको ठीक कराने की बहुत जरूरत है। मैं यह समझता हूं कि आपको सरकार ने लाखों रुपयों की मदद दी है और पिछड़े हुए एरिया में सरकार कमी करती जा रही है। जैसा मैं आपको निवेदन करूंगा, हिन्डोली में जो मेरा क्षेत्र है वह पिछड़ा हुआ है जिसमें एक सड़क मंजूर हुई, तीन कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ को शामिल कर और उसके लिये १५ लाख ६० हजार रुपया मंजूर हुआ है। यह सड़क जहाजपुर से विजयगढ़ थाना होती हुई हिन्डोली, चेता, बालापुर, शुगर फैक्ट्री, घोवड़ा, गोटड़ा, नैनवी, उनियारा। इसके लिये १५ लाख ६० हजार रुपये मंजूर हुए थे। ७० हजार रुपये गत वर्ष इस पर लगाने के लिये मंजूरी हुई थी और ७० हजार रुपया

(श्री गंगासिंह परिहार)

इस पर लगना चाहिये था, मगर वह रुपया बिल्कुल इस साल उड़ गया। न मालूम वह रुपया ७० हजार कहां गया? अब इस साल आपने सिर्फ ४० हजार रुपया रखा है......

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : क्या इसके लिये बजट में प्रोविज़न था?

श्री गंगासिंह परिहार : जी हां, था।

एक माननीय सदस्य : आपने बजट देखा भी था क्या?

श्री हरिश्चन्द्र : उसमें प्रोविज़न है क्या?

श्री गंगासिंह परिहार : गत साल ७० हजार था, इस साल नहीं है। इस साल वहां के लिये ४० हजार रुपया रखा गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : तो इस साल रखा गया है।

श्री गंगासिंह परिहार : ४० हजार रखा है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये तो धन्यवाद देना चाहिये।

श्री गंगासिंह : परिहार इसके लिये तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इसके लिये धन्यवाद नहीं मिलेगा।

श्री गंगासिंह परिहार : इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि वह जो सड़क रखी गई है जहाजपुर से विजयगढ़ थाना वाया हिन्डोली, चेता, बालपुरा शुगर फैक्ट्री गोटड़ा धोवड़ा होती हुई नैनवा आदि गांवों के आवागमन के साधन भी इससे हो सकते हैं। ताकि कम से कम इन एरिया के लोगों को फायदा हो सके। आपने यह जो सड़क दी है इसके लिये आपका बहुत बहुत आभारी हूं लेकिन पहले के ७० हजार रुपये रखे गये थे वे यों के यों उड़ गये उसी तरह से कहीं ये ४० हजार रुपये इस सड़क के लिये इस साल रखे गये हैं वे भी न उड़ जावें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूं कि इन ४० हजार में क्या काम होगा?

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि देवली कैम्प है उससे पहले उमर की दो मील की सड़क का टुकड़ा बना था उस समय मैंने निवेदन किया था कि उसको डामर करवा दिया जावे मगर उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। देवली में चीनियों के लिये कैम्प बना, उमर से हजारों लाखों ट्रक पत्थर के गये और वह सड़क बिल्कुल साफ हो गई। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र के हजारों आदमी फौज में गये हैं। उनके मनिआॅर्डर हजारों रुपयों के आते हैं। रोड वेज डाक लेकर आती जाती है। जो परेशान हैं। सड़कें खराब होंगी तो तनख्वाह लोगों को समय पर मिलनी मुश्किल हो जावेगी। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इस सड़क को डंबर करते हुए उमर से आंवा तक मिला दी जावे बीच में ५ या ६ मील का टुकड़ा रहता है इसको बना दिया जाए। इससे बून्दी, कोटा से जयपुर और टोंक आने-जाने वालों को और ट्रैफिक के लिये १८ तथा १६ मील का

(श्री गंगासिंह परिहार)

चक्कर मिट जावेगा। यह रोड दूनी से आंवा तक बनी हुई है और मेन रोड से मिली हुई है; सिर्फ ६ या ७ मील का टुकड़ा रह जाता है, उसको मिला दिया जावे। यह फौजी एरिया है। अकाल के समय में आंवा तक बन चुका है। पहले दूनी तक बन चुकी थी और गत साल आंवा तक बनी है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि खास तौर से वह मेरा ही क्षेत्र है वहां औवनबसौली की सड़क पुराने स्टेट के जमाने की कुछ बनी हुई सड़कें हैं जो अलोद, डबलाना, बांसीदुगारी जाती है। बांसी देई तक में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वहां सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं। इसलिये यह निवेदन है कि औवनबसौली की सड़क को सतूर मेन रोड पर मिला कर अलोद,डबलाना, बांसी दुगरी होती हुई देई से इन्द्रगढ़ जाने वाली सड़क में मिला दी जावे तो मैं समझता हूं कि मेरे एरिया की समस्या हल हो सकती है। जिला लेवल पर सड़कों की क्या पोजिशन है उसके लिये बिल्डिंग्ज के बारे में मैं फिर बाद में अर्ज करूंगा, पर निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरा गांव उमर है वहां उसके आस-पास पर १०–१२ प्राइमरी स्कूल्स चल रही हैं।

मैं उमरस्कूल की बिल्डिंग के लिये निवेदन करना चाहता हूं। मेरे गांव में सिर्फ २२० घरों की आबादी है जिसमें से २०५ आदमी इस वक्त फौज में मौजूद हैं और उन्होंने व हमने कई मर्तबा हमारे शिक्षा मंत्री के पास और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के पास भी हमने और उन्होंने प्रार्थनापत्र भेज कर मांग की, मगर बिल्डिंग की कमी के कारण या यों कहिये कि शिक्षा मंत्रीजी की लापरवाही के कारण पहले वाले शिक्षा मंत्रीजी तो बुजर्ग थे, उनकी तो मैं नहीं कहता लेकिन उप-शिक्षा मंत्रीजी की लापरवाही के कारण यह हुआ कि वहां के बच्चे पांचवी कक्षा तक शिक्षण प्राप्त करने के बाद परेशान होते हैं...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बातें और निवेदन करनी हैं। थोड़ा सा मसाला तो और बताना ही है।

उन फौजियों की बात कहता हूं। वे लोग आज फौज में अपने प्राण देने के लिये तैयार हैं इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि निर्माण मंत्रीजी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये वहां पर भवन निर्माण की व्यवस्था तो कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,-शिक्षा) : यह हमारी लापरवाही नहीं हुई।

श्री गंगासिंह परिहार : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी बोल रहे थे तेजी से कि वे हमारी सुनते हैं, वास्तव में सुन नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी वे सुनते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं कारण कि वे उनको गालियां देते हैं और इसीलिए उनके क्षेत्र में जो सड़कें हैं और उनके लिये मंजूरी हुई है वह ३१ लाख ७३ हजार की उनके एरिया की सड़कों के लिये हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह क्यों हुआ। ठीक है, वह भी हमारा ही क्षेत्र है। पाटन बूंदी हमारा

(श्री गंगासिंह परिहार)

ही क्षेत्र है । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ३१ लाख ७३ हजार उनके एरिया के लिए मंजूरी है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने बजट नहीं देखा होगा ।

श्री गंगासिंह परिहार : बजट मैंने देखा है तभी तो यह आपको बता रहा हूं । मैं आपको नाम वाइज बता सकता हूं...

(१) इटावा लाखेरी को लबान होती हुई पक्की सड़क...... ३,७५,०००

(२) केशोरायपाटन से लबान तक पक्की सड़क...... ७,००,०००

(३) जब विकास निर्माण कार्यों को सम्मिलित करते हुए गैंडोली होती हुई बूंदी से लाखेरी तक बची हुई सड़क को पक्की करना... ५,०८,०००

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मुझे इससे कोई रोष नहीं है । यह मेरा जिला है और मेरे जिले में ही है । इस लिए मेरा निवेदन करना है कि काफी सड़कें होनी चाहिये । हुई हैं; मगर कमियें हैं उनके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि खटकड़ के पास से पाटन जाने वाली सड़क का गन्ना नहीं ले जा पाते अनाज नहीं ले जा सकते । इसी तरह नमाना डाबी बरड एरिया में जहां से पट्टियां वगैरह निकलती हैं । मैं जिला लेवल की बात कहता हूं । इसी तरह से आपसे निवेदन करूंगा कि पट्टियों का बूंदी जाने के लिये कोई साधन नहीं है । इसी तरह से गनेशघाटी से बालापुरा का ७ मील का टुकड़ा है और बहुत अर्से पहले जिसके लिये मंजूरी हो चुकी थी वह अभी तक भी नहीं हो पाया है । वह बालापुरा फैक्ट्री से अब तक नहीं हुई है; आकोदा से डाबेटा जाने वाली...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । मेरे माननीय साथी हैं उनको बड़ा दर्द पैदा हुआ । उनको ख्याल हुआ कि उनके यहां ३१ लाख ७३ हजार मंजूर हुए हैं और मेरे एरिया में १ लाख २० हजार की मंजूरी हुई और वह भी पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये दूसरी कोई नई सड़क के लिये नहीं । इसी तरह बूंदी क्षेत्र के लिये दो सड़कें हुई हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी तरफ देखा जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि ठीक तरह से बंटवारा किया जाए ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी तो उपस्थित नहीं हैं, मंत्रीजी उपस्थित होते तो जवाब देते ।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : हम बोलते हैं तो आप उपस्थित नहीं होते हैं, आप बोल कर चले जाते हैं । आप कभी रहते ही नहीं हैं. हमेशा बोल कर चले जाते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास करके सरकार की श्रम नीति पर अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे यहां श्रम नीति हमारे देश के लिये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में अगर देश के अर्थ को बढ़ाने वाला कोई वर्ग है तो वह है श्रम वर्ग और अर्थ के बढ़ने से देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिये देश के अर्थ को बढ़ाने के लिए जब तक सरकार की श्रम नीति ठीक नहीं बनती तब तक मेरी यह मान्यता है कि वे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। न वे देश की आय ही बढ़ा सकते हैं। आप मिट्टी को ही ले लीजिये उसकी कीमत मिलती है जब एक किसान उस मिट्टी को पका कर बर्तन के रूप में कर देता है। जब उसे बर्तन के रूप में कुम्हार कर देता है तो उस मिट्टी की भी कीमत हो जाती है और अगर वह उसकी शक्ल नहीं बदलता तो वह मिट्टी की मिट्टी रह जाती है और उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। इसलिये आज हमारे श्रम का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। श्रम की हालत के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर सही तरीके से श्रम के हर मुद्दे को सही तरीके से आगे बढ़ावें तो देश में शांति रह सकती है। और वह श्रम के बारे में नीति कहां तक कामयाब हुई है उसको देखने का माप दंड यह है कि आज तक सरकार कितने लोगों को काम दिला पाई, कितनी हड़तालें हुई ? मैं यह कह सकता हूं कि गत दो वर्षों में हमारे राज्य में ये हड़तालें बहुत अधिक हुईं और अधिक दिनों तक हड़तालें होने से लोग काम नहीं कर पाये और इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहां बढ़ीं। अब सबसे पहले यह देखना होगा कि सरकार ने इस श्रम नीति को कहां तक कार्यों में प्रतिपादित किया है। आज श्रम नीति में यह दृष्टिकोण बना हुआ है कि एक ओर सरकार मजदूरों का हित करने का दावा करती है और दूसरी ओर सेठों से मिली हुई है और सेठों से अपना संबन्ध बनाये हुए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार साहू जैन, बिड़ला और टाटा से संबन्धित है तब तक श्रमिक मार दिये जावेंगे और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी जो पूंजीपति हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं बॉल बियरिंग की हड़ताल के सम्बन्ध में प्रश्न आया था। एक मजदूर था उसको वेलफेअर ऑफिसर के जरिये बुरी तरह से मारा गया। प्रश्न आया कि वेलफेअर ऑफिसर को हटाया जावे। उस समय मंत्रीजी ने कहा कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और आखिर मंत्रीजी के आश्वासन पर वह स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई। उस समय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया कि सारे आदमियों को काम पर ले लिया जावेगा। एक आदमी को नहीं लिया जावे तो उसके लिये मैं नहीं कह सकता। एक ओर बिड़ला और दूसरी ओर सरकार। मगर आप चुप बैठे रहे जब गरीब श्रमिक को मारा गया और उसका सिर फोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब दोनों मालिक और मजदूरों ने बैठ कर फैसला किया कि जहां पर मजदूरों और मालिकों के झगड़े होंगे तो उसका पंच फैसले से निर्णय होगा। क्या इस मामले में पंचायत फैसले के लिए कोई नियुक्त हुआ है ? क्यों नहीं मानते ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्यों नहीं मानते वे आपके फैसलों को ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

बिड़ला चीफ मिनिस्टर के चुनावों के क्षेत्रों में जीपें भेजते हैं । साहू जैन की जीप गई थी...

श्री भीखाभाई : लाखेरी की बात करते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास जीपें आईं । आपके नेता, जो श्री मोहनलालजी सुखाड़िया हैं उनको साहू जैन २ लाख ८० हजार पर्सनल दे सकता है तो क्यों नहीं ।

श्री नाथुराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की वेबुनियादी बातें यहां न कहें तो अच्छा हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इससे इन्कार कर दीजिये कि नहीं दिये गये ।

श्री नाथुराम मिर्धा : नहीं दिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कहते हैं कि नहीं दिये, तो आप भी लिख कर दे दीजिये और मैं भी लिख कर देता हूं कि अगर नहीं दिये तो मैं इस्तीफा देता हूं और दिये हों तो आप दे दें ।

एक माननीय सदस्य : पहले आप झगड़ा खत्म करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप भी लिख कर दे दें, मैं भी लिख कर देता हूं । मैं यह कहता हूं कि साहू जैन ने दिये हैं ।

श्री नाथुराम मिर्धा : आप हमेशा यहां इस प्रकार की बातें कह कर चले जाते हैं । किस वक्त रुपये दिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह दीजिये कि नहीं दिये ।

श्री नाथुराम मिर्धा : आप बता दें कि किस वक्त दिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि २ लाख ८० हजार रुपये दिये । मेरे पास सारी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं सारी बातें कहता हूं ।

श्री नाथुराम मिर्धा : आप अपनी बातें कहते जावेंगे और दूसरे की बात सुनेंगे नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहता हूं कि आप इन्कार करते हैं क्या ?

श्री नाथुराम मिर्धा : मैं यह इन्कार करता हूं कि किसी तरह से पर्सनली नहीं दिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : पर्सनली दिया गया है, देने वाला खुद कहता है स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास की रिपोर्ट में जो कि कांग्रेस को दी गई उसमें यह लिखा हुआ है, साहू जैन ने खुद ने कहा है कि मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया को २,८०,००० रुपया दिया है ।

श्री नाथुराम मिर्धा : किस चीज के लिए दिया ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तो आपने कहा कि नहीं दिया । अब मैं कहता हूं तो आप पूछते हैं कि किस चीज के लिये दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेबुनियाद बातें सदन में इस तरह नहीं रखी जायं। चेअर की तरफ से कई दफा आदेश हुए हैं कि इस प्रकार की बेबुनियाद बातें सदन में नहीं रखी जायं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज़ ! मैं थोड़ी सी बात निवेदन कर दूं कि सदन में जहां तक हो सके इस प्रकार के अगर रेफेरेंसेज़ दिये जायं तो रूल २७३ इसीलिये बनाया गया है कि आसन को पूर्व सूचना दें; पूर्व सूचना देने से तथ्यातथ्य सामने आ सकें। तो इस प्रकार की बात कहनी है तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उसकी पूर्व सूचना आसन को मिल जाय, उसके बाद कहें तो आसन को भी ज्यादा वाकफियत रह सकती है और सही स्थिति सामने आ सकती है। आप अपना भाषण प्रारम्भ रख सकते हैं, रूल २७३ छूट देता है कि आप कोई बात रखें, पर इस प्रकार की बातों की पूर्व सूचना आसन को दें। अब आप प्रारम्भ करें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उल्लेख इसलिये कर रहा था कि आज मजदूरों को उनके हकूक से वंचित रखा जाता है मालिक लोग बड़ी बड़ी रकमें इस तरह से दे देते हैं और इसी लिये मजदूर दबा दिये जाते हैं...

श्री भीखाभाई : आप मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर यह बात कहते हैं और मलिकों और मजदूरों की बात रखते हैं तो इसकी क्या रिलेवेन्सी है, साहू की कौनसी फैक्ट्री है, कौनसा कारखाना है जो मजदूरों को दबा देना चाहता है। आप बतायें कि साहू की कौनसी ऐसी फैक्टरियां हैं जिनमें मजदूरों को दबा देने का सवाल है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : डालमिया का वक्त भी आएगा, डालमिया का भी बतायेंगे और भी बतायेंगे।

खाते हैं और गुर्राने की कोशिश करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बड़े बड़े सेठों से पैसे लेकर पंचायतों के चुनावों में, ग्राम चुनावों में पैसे लेकर मजदूरों को उनके हकूकों से वंचित करते हैं, मजदूरों को दबाते है।...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भी जनता से पैसा लेते हैं, सब पार्टियां लेती हैं, हम भी लेते हैं। चन्दा लेने की बात को मालिकों और श्रम की बात लाकर चलाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। चन्दा आप भी खाते हैं, आप भी लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बिड़ला के यहां काम करने वाले मजदूरों को मंत्री जी कहते हैं कि काम पर चले जाओ, मजदूर काम पर चले जाते हैं तो मजदूरों को काम पर नहीं लिया जाता है। सरकार का यह फैसला होता है कि पंच फैसले के आधार पर फैसला मानना चाहिये, फिर मालिक फैसला क्यों नहीं मानते हैं। इस प्रकार की रकम मिल जाती है और मजदूरों को दबा दिया जाता है। आज सबसे बड़ी बात यही हो रही है, इसी कारण हमारे देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, मजदूरों को राहत नहीं मिल रही है, काम के घन्टे बढ़ नहीं पा रहे हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसका मूल कारण यह है कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों को इस प्रकार की मोटी मोटी रकमें दे दी जाती हैं।

एक महिला का पत्र आया है। उसका नाम है खमेरी बाई, बेवा चतुर्भुज मिस्त्री। चतुर्भुज मिस्त्री की औरत है......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : चतुर्भुज मिस्त्री की औरत है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां तक पढ़े हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो सुधार रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : तहसील नाथद्वारा ६२ में चुनावों का मौका था। चुनावों के मौके पर काम करना था। कांकरोली में कांग्रेस की सभा रखी गई, उस सभा में मुख्य मंत्रीजी भाषण देने वाले थे। सभा कांग्रेस की, मुख्य मंत्रीजी कांग्रेस की सभा में भाषण देने गये। वहां कांग्रेस की मीटिंग में काम करने के लिये स्पेशल तरीके से मिस्त्री को बुलाया, उससे काम करवाया, काम करते हुए करेंट लगता है और बेचारा मर गया। आपके मुख्य मंत्रीजी के पास लोग गये तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसे कुछ न कुछ मिल जायगा। पर आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस की मीटिंग में काम करने के लिये एक सरकारी मजदूर को काम करने के लिये बुलाया गया, गैर-कानूनी तरीके से बुलाया गया, वह कोई आपका सरकारी काम नहीं था। क्योंकि कांग्रेस की मीटिंग में काम करने के लिये बुलाया और वहां काम करते हुए मर गया, इसलिये उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता, ड्यूटी पर काम करते हुए मर जाय तो कम्पेन्सेशन देते हैं, ड्यूटी पर काम नहीं करता तो कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता। अब बताइये इसका जिम्मेदार कौन ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): किसने बुलाया, इसका क्या सुबूत, मीटिंग में हजारों आदमी आते हैं......

श्री मुरलीधर व्यास : आपके बिजली का सरकारी मजदूर है, सरकारी मजदूर को कांग्रेस की मीटिंग का काम करने के लिये बुलाया गया......

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अगर इस प्रश्न को मेरे से डिस्कस कर लेते तो इसको हल कर दिया जाता। कम्पेन्सेशन मिलने के योग्य है तो मिल जायगा। इतना उग्र होने की क्या आवश्यकता थी ? उसके साथ इतनी ही हमदर्दी है तो मुझे चिट्ठी लिख देते या पर्सनली डिस्कस कर लेते।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन तीन दफा दर्खास्तें मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंच गईं, पर कुछ नहीं किया गया। हमारे पास दर्खास्त आई तो हमने इसे यहां रखा। मुख्य मंत्रीजी तो कांग्रेस की मीटिंग में भाषण देकर मुख्य मंत्री बन गये। मुख्य मंत्री, आप ही उसे कम्पेन्सेशन दे देते तो चिल्लाना नहीं पड़ता।

श्री मथुरादास माथुर : मर गया तो

Page No 88

(श्री मथुरादास माथुर)

मुख्य मंत्रीजी से क्या सम्बन्ध है ? क्यामुख्य मंत्रीजी ने करेंट मारा ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्रीजी ने करेंट नहीं मारा, पर मीटिंग में कह दिया कि इसे कम्पेन्सेशन मिल जायगा । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में यह आ गया था कि कांग्रेस की-मीटिंग में काम करते हुए वह मर गया......

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्रीजी ने उसको बुला कर काम पर लगाया था क्या ? इसका क्या सुबूत है । मीटिंग में काम करने के लिये हजारों आदमी आते हैं और उनको पैसे देते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मुख्य मन्त्रीजी का अभी तक तो नाथूरामजी ब्रीफ होल्ड कर रहे थे । अब आप ब्रीफ होल्ड कर रहे हो क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : ब्रीफ होल्ड करने का प्रश्न नहीं, हाउस में कोई मेम्बर नहीं हो और उनके बारे में इस तरह की बात कही जाय तो हमारा फर्ज हो जाता है । कम्पेन्सेशन नहीं मिला तो मंत्री महोदय जवाब देंगे । मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी मीटिंग में बोले । वहां काम करते हुए वह मर गया......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप आये तो बाद में हैं, बात को आपने सुना नहीं । सीधी सी बात कही गई है, सरकारी आदमी को बिजली ठीक करने के लिये कांग्रेस की मीटिंग में बुलाया गया, एक्सीडेन्ट से वह मर गया । सरकारी कर्मचारी सरकारी काम करते हुए मर जाय तो उसको कम्पेन्सेशन मिलता है, पर वह कांग्रेस की मीटिंग में काम करते हुए मर गया तो यह टेक्निकल पोइन्ट है कि ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, इसलिये उसको कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा सकता ।

(२. म प)

श्री मुरलीधर व्यास : कम्पेन्सेशन मिल जाय, यह अर्ज करना चाहता हूँ । इसके लिए मंत्रीजी आश्वासन दें । विधवा ने पत्र में हवाला दिया है, इसलिए मैंने यह रखा है । आपकी चिट्ठी रखना चाहें तो रख लें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आप हमेशा ऐसी चिट्ठियां लाते हैं और जबाब देते हैं तो बाहर चले जाते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने तो उसका समय मांग लिया है और उस पर मैं बाद में आऊंगा ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा, जब बदल जावेगा जब कि सत्ता में बैठने वाले लोग इस प्रकार लोगों से चन्दा नहीं लेंगे । बड़े बड़े लोगों से चन्दा लेने की वजह से आज मजदूर मारा जा रहा है और मजदूर के प्रति जो नीति होनी चाहिये उसको दबाया जा रहा है । इसका मूल कारण यह है ।

दूसरा मैं यह अर्ज करना चाहता हू कि कानून का जहां तक सवाल है कानून के सिल-सिले में सरकार को एक फैसला करना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिये और वेतन के सिलसिले में माथुर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसला कर लेना चाहिये । आज अशान्ति होती है, हड़ताल होती है तो हमारा प्रोडक्शन बन्द होता है और इससे राष्ट्र को नुकसान होता है । राष्ट्र बड़ा है । दो चार आदमी बड़े नहीं होते । राष्ट्र को हम बड़ा मानते हैं । देश में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये । यदि देश में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और पर केपिटा इन्कम बढ़ाना चाहते हैं तो माथुर कमेटी की इन्डेक्स नम्बर के आधार पर जोड़ने वाली बात है उसको मंजूर कर लेने से हमेशा के लिए शान्ति हो सकती है । मजदूरों को भी ग्रिवान्सेज़ नहीं रहेंगी और डिस्प्यूट भी खड़े नहीं होंगे । स्थायी तौर पर डिस्प्यूट को खत्म करना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और व्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं तो ये बातें स्वीकार कर लेनी चाहिये नहीं करेंगे तो हमेशा अशान्ति रहेगी । जोइन्ट कौंसिल, फैसला और तीसरी बात इसको जोड़ना । तीनों बातें जुड़ जांय तो हमेशा अशान्ति नहीं रहेगी । जोइन्ट कौसिल में सरकार ने मान्य कर लिया । गंगानगर शुगर मिल्स और मेवाड़ टैक्स टाइल्स में जोइन्ट कौंसिल की बात को स्वीकार किया या नहीं ? रिपोर्ट में है कि उसको नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है लेकिन उसको लागू किया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : गंगानगर शुगर फैक्टरी में तो हो गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मेवाड़ टैक्स टाइल मिल्स की बात करता हूं । पांच रुपये के लिए मंत्री महोदय ने कहा था । बढ़ा हुआ मिलना चाहिए । वह उनको नहीं मिला । मिल की सरकार खुद देख रेख करती है लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों को नहीं मिला है । इसमें सरकार को देखना चाहिये और खास कर श्रम मंत्री को देखना चाहिये । आज भी राज्य में बहुत से मजदूर हैं जिनको ४५) रु० मिलता है; न प्रमोशन मिलता है, न तरक्की मिलती है । बीकानेर के बागात के कर्मचारियों के कई केसेज़ रख सकता हूं । पांच साल हो गए । न तो उनको कोई प्रमोशन मिलता है और न ही उनको मंहगाई मिलती है । वर्दियों के भी केसेज़ हैं । उनको ये भी नहीं मिलती हैं । ख़ास कर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इन मुद्दों पर ध्यान देंगे ।

सड़कों के लिए पहले अर्ज किया था । लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक की सड़क के लिए पहले २१ लाख का प्रावधान रखा था । पहले साल भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ । फिर रखा ८० हजार रुपया और इस साल कुछ नहीं रखा । यह बोर्डर रोड है । अभी आप कह रहे थे कि रखने के बाद लागू किया या नहीं । २२० पेज पर २१ लाख का प्रावधान अगले साल रखा था । उस साल कुछ लगाया नहीं और अब की बार कुछ नहीं रखा है । बीकानेर को गंगानगर से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है । यह बोर्डर की सड़क है । कोटा कोलोनाइजेशन का आप वहाँ ६० लाख रुपया लगाना चाहते हैं क्योंकि वह बढ़ रहा है और इसलिए लगाना चाहते हैं । लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं कि बीकानेर में भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

राजस्थान कैनाल के विकास के साथ यह विकास होना चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि कोटा का। शहर को सड़कों की दृष्टिकोण से और बोर्डर सड़क की दृष्टि से भी यह जोड़ना आवश्यक है।

कोटड़ी से भीलवाड़ा ६ मील का टुकड़ा है। ६ मील का टुकड़ा होते हुए भी आज स्थिति यह है कि ६ साल से सड़क नहीं बन रही है। खास कर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ख्याल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत मांग पर अपने इलाके की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जामसर में राष्ट्रीय जिप्सम कर्मचारी संघ है। इस संघ को बने हुए करीब साल भर का अर्सा हो गया है। इसकी सदस्य संख्या काफी तादाद में है.........

(सदन में परस्पर बातचीत होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Less of talking.

श्री भीमसेन : वहां की कम्पनी ने इस संघ को मान्यता नहीं दे रखी है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को, चूंकि राज्य सरकार के इस कम्पनी में ४० प्रतिशत शेयर्स हैं और इस कारण राजस्थान सरकार को डाइरेक्टर्स की मीटिंग में इस यूनियन को मान्यता देने के लिए कम्पनी पर दबाव डालेना चाहिए। यूनियन के सदस्य भी हैं इसलिए सरकार को राष्ट्रीय कर्मचारी संघ को मान्यता देने के बारे में इस कम्पनी पर दबाव डालना चाहिए।

बीकानेर में काफी पुरुषार्थी भाई ऐसे हैं जिनकी कच्ची दुकानें हैं। उन दुकानों को पक्का बनाने के लिए पुरुषार्थी भाइयों को लोन देना चाहिये। वैसे राजस्थान के दूसरे हिस्सों में, जयपुर में, जोधपुर में पुरुषार्थी भाइयों के लिए काफी दूकानें बनाई हैं जब कि बीकानेर में बहुत थोड़ी संख्या में बनाई हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरुषार्थी भाइयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत कम दुकानें हैं इसलिए उनको लोन देकर कच्ची दुकानों को पक्का बनाया जाय। लोन यदि उनको दिया जावेगा तो वे स्वयं बना लेंगे।

इसके अलावा हमारे बीकानेर से गंगानगर की रोड़ है, वह ११० मील है। इस रोड के लिए बार बार विधान सभा में प्रश्न उठाते हैं। यह सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से और कॉमर्शियल दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राजस्थान सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा गंगानगर का इलाका इतना अन्न उपजाता है कि वह राजस्थान को पहुंचाता है। लेकिन यह इलाका आज तक सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। यह सरकार के लिए सोचने

(श्री भीमसेन)

बात है। जो जिला इतना अन्न उत्पादन करता है और जो काफी तादाद में राजस्थान में पहुंच सकता है लेकिन वह सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ न होने के कारण काफी तादाद में पंजाब में चला जाता है। इसलिए बीकानेर से गंगानगर को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। बीकानेर का एक डेफिसिट इलाका है और वहां पर गंगानगर का अन्न आ सके इसके लिए भी यह सड़क बहुत आवश्यक है। ट्रक्स वगैरह आ सकते हैं और यातायात बढ़ सकता है। इसलिए इस सड़क को बनाने के लिए तत्परता से काम करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा बीकानेर में पोलिटेक्निक भवन के निर्माण के लिए सन् ६२ में आज्ञा हो चुकी थी और काम भी शुरू कर दिया जाना था, लेकिन इमर्जेन्सी के कारण से भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ और निर्माण का कार्य रोक दिया गया। इसलिए अब मैं पुनः इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार को पोलिटेक्निक भवन के निर्माण का कार्य शुरू कराने के लिये आज्ञा तत्काल देनी चाहिए।

इसके अलावा पिछले अधिवेशन के टाइम पर माननीय मंत्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया था कि आयन्दा जितने निर्माण के कार्य हैं वह विभाग के द्वारा या मजदूर सहकार संस्थायें हैं उनके द्वारा कराया जावेगा; लेकिन इस नीति की घोषणा के बावजूद भी राजस्थान में जितने काम हुए हैं वे सारे ठेकेदारों के माध्यम से ही होते हैं। इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज भी ठेकेदार के द्वारा ही काम होता है। काम अच्छा होना चाहिए और मैटीरियल अच्छा लगना चाहिये, वह नहीं होता है और करप्शन होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने लास्ट टाइम भी यह घोषणा की थी कि आयन्दा हम ठेकेदारों से काम न करवाकर ठेका सहकारी समितियों को देकर या सार्वजनिक निर्माण विभाग से काम करायेंगे। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा जिस नीति पर आप कितना पालन कर रहे हैं और उसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाये हैं ? आपकी इस प्रकार की घोषणा के बाद इस वक्त क्या प्रणाली चल रही है ?

इस तरह से मैंने तीन-चार समस्यायें सरकार के सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ, उनके बारे में सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ
बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : उपाध्यक्षजी, मेरा नम्बर पहले है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मेरा नम्बर है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले श्री रामानन्द अग्रवाल बोल लें, उसके पश्चात ही "कालाबादल"।

(२.१५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है । आज जब कि हमारी सरकार इस देश में समाजवाद के लक्ष्य को सामने रखकर चलने की घोषणा करती है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रम नीति जो हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई है उस उद्देश्य के अनुकूल रहना तो कोसों दूर, यदि मजदूर वर्ग के हितों का उनकी स्थिति को सामान्य रखने में भी अगर सरकार सफल हो पाती तो भी मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता ।

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परन्तु मुझे खेद है कि मजदूरों की जो सामान्य स्थिति होती है उसको भी सरकार कायम नहीं रख पा रही है । जो कानून सरकार स्वयं बनाती है उनको भी लागू नहीं कर पाती । पिछले साल जब मंहगाई तेज हुई, तो सरकार ने मजदूरों के आह्वान पर पांच रुपये इंटेरिम रिलीफ की घोषणा की और यह कहा कि अपने राजकीय क्षेत्र में तो सरकार की जिम्मेवारी है ही, पर इसके साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं को भी सरकार ने अपील की कि वे भी दे दें, पर आज बहुत अफसोस की बात है सरकार ने खुद अपने स्टेट सेक्टर में ही १०-१५ हजार मजदूरों को पांच रुपये देने से इन्कार कर दिया है कि वह केजुअल लेबर है । एक अपनी ही डेफीनिशन बना दी कि जो दो साल से कम काम करता है उनको कैजुअल लेबर माना जाय जबकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है कि कैजुअल लेबर वह लेबर है जिसके कि वर्क की नेचर कज़ुअल है । पर्मानेन्ट नेचर का काम करने वाले मजदूर कैजुअल लेबर नहीं होते हैं । इस तरह से आज सरकार के कई विभाग, खास तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग, मजदूरों की कन्टीन्यूइटी को रोकने के लिए उनको कुछ अर्से के लिए हटा देते हैं । ऐसे १०-१५ हजार मजदूर हैं जिनको कि पांच रुपये नहीं मिले ।

पिछले लेबर एडवाज़री बोर्ड में इस बात की चर्चा हुई । सरकार ने कहा कि विचार करके शीघ्र घोषणा करेंगे । मैं समझता हूँ सरकार ने विचार किया होगा और अब वे घोषणा करेंगे कि ये पांच रुपए उन तमाम मजदूरों को जो कि पर्मानेन्ट नेचर का काम करते हैं उनको दे दिया जायगा ।

सभापतिजी, मुझे खेद है कि प्राइवेट सेक्टर में से किसी भी इन्डस्ट्री ने सरकार की अपील को स्वीकार नहीं किया । जिन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिये हमारी सरकार के नेता अपना खून-पसीना एक करते हैं, जिनके लिये इतना क्रिटिसिज़्म सहन करते है, इतना उनको अनुचित तरीके से रिलीफ देते हैं, उन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स में से किसी ने भी सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दिया एक दो जगह पर दिया तो वह अटेंडेन्ट्स बोनस के रूप में दिया जैसा कि सिमको ने । मैं समझता हूं यह सरकार के निकम्मेपन की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नीति है। अगर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने सरकार की अपील पर कोई विचार नहीं किया तो सरकार के हाथ में कानून था। सरकार डी. आइ. आर. का उपयोग कर सकती थी। आसाम सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार ने डी. आइ. आर. का प्रयोग किया। हमारी राजस्थान सरकार भी डी. आइ. आर. का उपयोग कर सकती थी और पेमेंट करा सकती थी।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : आप अपने खुद पर तो डी.आइ. आर. का उपयोग पसंद नहीं करते, फिर दूसरों पर क्यों ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार पोलिटिकल वर्कर्स पर तो डी. आइ. आर. का उपयोग कर सकती है पर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ नहीं करना चाहती। मंत्रीजी पूछते हैं कि जब आप अपने खिलाफ डी. आइ. आर. का प्रयोग करना नहीं चाहते तो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ क्यों कराना चाहते हैं। पोलिटिकल वर्कर्स को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलना चहिये, यह संविधान में है। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में में कहा गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। आप उन डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स का वायोलेशन कर रहे हैं। अगर आप इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ डी. आई. आर. का उपयोग करें तो आप फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना नहीं करेंगे बल्कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स का पालन करेंगे। लेकिन आप दूसरे कारणों से नहीं करते हैं तो आप अपनी श्रमिकों के प्रति जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं।

पुराने जमाने से जो मिनिमम वेजेज़ मजदूरों की मुकर्रर है उनमें रिवीज़न की जरूरत है। बहुत चिल्लाने के बाद अभी सरकार ने मिनिमम वेजेज़ को लागू किया है ट्रांस्पोर्ट पर, रोड्स और स्टोन ब्रेकिंग पर। मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री महोदय ने खुद विश्वास दिलाया था जैसी भी रिकमन्डेशन मिनिमम एडवाइज़री बोर्ड द्वारा होगी उसको उसी प्रकार से लागू किया जायगा। उसे अपने डिक्लेरेशन को वायोलेट करके हमारी सरकार ने मिनिमम वेजेज़ एडवाइज़री बोर्ड ने जो सिफारिश की उसको स्कैटल करके पूरा उसको लागू नहीं किया गया।

अब मैं ट्रान्सपोर्ट के बारे में निवेदन करूं। हमारी सरकार ने अभी नोटिफिकेशन किया है उसके अनुसार मिनिमम वेजेज़ ६० रुपया रखा है और दूसरे काम के लिये अलग अलग वेजेज रखी हैं। मिनिमम वेजेज़ एडवाइज़री बोर्ड ने रिकमन्डेशन की थी कि अलग अलग ड्रेस के साथ एन्युअल इन्क्रीमेन्ट भी रखा था। इसके साथ साथ डी० ए० को भी मूल्य सूचनांक के साथ मिलाने को सिफारिश की थी लेकिन उनको काटकर घोषणा की गई। वह इस तरीके की गई कि जो एडवाइज़री बोर्ड की सिफारिशों के खिलाफ है। मेरा यह कहना है कि यह गवर्नमेंट के एश्योरेन्स के खिलाफ की गई। ट्रिपार्टाइट कॉन्फरेन्स में मिनिमम वेजेज़ रिवीज़न कमेटी बनी, उसके लिये एडवाइज़री बोर्ड इस तरह का बना हुआ है जिसके अन्दर गवर्नमेंट का नुमायन्दा, मैनेजमेंट का नुमायन्दा और मजदूरों का नुमायन्दा सब मौजूद हैं, फिर भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बिना उसकी सलाह के सरकार रिवीज़न करे, उसका क्या जस्टिफिकेशन सरकार मानती है ? इस मामले में तो यहां तक हुआ कि गवर्नमेंट के पास रिकमण्डेशन आने के बाद डिपार्टमेंटल हैड को भेज दिया, जब कि डिपार्टमेंटल हैड खुद एम्प्लोयर है। तो उनका रिप्रेज़ेन्टेशन मौजूद है। दुवारा रेफर करना पड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दस मिनट हुए हैं।

तो इस तरह से मैं कहता हूं कि यह गलत किया है।

दो म्युनिसिपैलिटियों के बारे में और मारकस के बारे में अभी तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है, एक्शन आपने नहीं लिया है। गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिये।

बहुत से ऐसे धन्धे हैं जिनमे रिविज़न कमेटी बिठाई ही नहीं गई। जैसे शोप्स और कॉमर्शियल शोप्स में काम करने वाले वर्कर्स हैं। उनकी भी मिनिमम वेजेज़ तय करने के लिये कमेटी बिठाई जानी चाहिये।

तीसरी बात, मुझे निवेदन करनी है कि जहां तक टैक्सटाइल इन्डस्ट्री का सवाल है, यह हमारे प्रान्त में एक मुख्य इन्डस्ट्रीज़ में से है। वहां की महंगाई का प्रश्न बहुत उलझा हुआ था। गवर्नमेंट ने किसी तरह से इन्टक को पहले बुलाकर प्राइवेट एग्रीमेंट करा दिया। वह एग्रीमेन्ट अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था, ३१ दिसम्बर को अब खत्म हो गया है। अब इसके बाद गवर्नमेन्ट को दुवारा उस प्रिन्सिपल के मुताबिक कुछ निर्णय करना चाहिये। अभी माथुर कमेटी ने जनरल प्रिन्सिपल डिक्लेअर किया है कि जितनी महंगाई बढ़े सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन के बेसिस पर महंगाई मिलनी चाहिये। लेकिन यहां टैक्सटाइल लेबर को इससे एक्सक्लूड कर दिया है जिसके लिये सरकार के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको फौरन इस मामले में कदम उठाने चाहिये और माथुर कमेटी ने जैसा कहा है उस तरह से टैक्सटाइल में भी सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन के बेसिस पर डी. ए. के फॉर्मूले को लागू करना चाहिये और अन्तरिम तौर पर कम से कम ६० मुकर्रर किये हैं इसके बेसिस पर ६० पैसे पर पोइन्ट अभी से डिक्लेअर कर देने चाहिये। इस तरह से टैक्सटाइल लेबर का प्रोब्लम हल हो सकता है।

सभापतिजी, जहां तक माथुर कमेटी का सवाल है चाहे उसकी रिमन्डेशन में कई खामियां हों पर अभी तक उसकी मेन रिकमन्डेशन्स को भी सरकार ने खुद ने स्वीकार नहीं किया है। माथुर कमेटी ने साफ कहा है कि ६३ के इन्डेक्स नम्बर पर जितनी महंगाई बढ़ी है उसके मुताबिक सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन पर डी. ए. मिलेगा। पर सरकार इसके आधार पर नीति की घोषणा नहीं कर सकी है। पर इसके एवज में आपने प्राइवेट इन्डस्ट्री वालों को अपील की है। पर उसके मुताबिक भी उनको पांच रुपया न मिला, न आगे मिलने की उम्मीद है। अगर सरकार खुद अपने राजकीय क्षेत्र में इसे लागू करे तो दूसरों पर इसका असर पड़ सकता है, और तब भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अगर वह नहीं मानें तो कानून बनाकर लागू करिये आप; इसे आप सालों निकाल देते हैं अपील में और वक्त निकाल देते हैं और पानी जब सिर पर से चला जाता है तो आप सोचेंगे।

सभापतिजी, मुझे यह निवेदन करना है कि बदवर्कंत की बात है कि हमारी सरकार के जितने कानून बनाये हुए हैं उनका पालन कराना तो दूर रहा, उनके बारे में इन्फोर्मेशन भी सही तरीके से नहीं कर पाती। चाहे वह श्रम आयुक्त का मामला हो चाहे फैक्टरी इन्सपेक्टर साहब से ताल्लुक रखने वाला हो। चाहे डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब से ताल्लुक रखने वाला हो। सभापति महोदय, हमारे लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह हालत है कि सबसे ज्यादा वायोलेशन कानून का खुद सरकार करती है। राजकीय क्षेत्र में इनका होता है।

मैं स्टेट रोडवेज़ की बात कहूं। मोटर ट्रान्सपोर्ट एक्ट है। उसके अनुसार उसके चीफ इन्सपेक्टर लागू करने वाले, यहां के डिप्टी लेबर कमिश्नर ए. के. जोशी ऊपर हैं। उनके नोटिस में कई बार यह बात लाई गई कि स्टेट रोडवेज़ में लोगों से ज्यादा काम लिया जाता है। जोधपुर से कोटा बस जाती है। १२ घंटे उसको लग जाते हैं। अब इन्होंने इजाजत भी ली है, पर दस घंटे की ली है। दस घंटे से ज्यादा कानूनी तौर से काम नहीं ले सकते। ट्रान्सपोर्ट एक्ट के तहत ८ घंटे थे। आपने स्पेशल इजाजत ली है। अगर इसकी नकल आपके पास न हो, तो मेरे पास है, मैं बता सकता हूं। इसके बाद भी बार २ यह नोटिस में लाया गया कि इस स्पेशल परमिशन को भी वायोलेट किया जा रहा है। पर कोई किसी तरह का चालान आज तक मैनेजर का नहीं हुआ। वर्दियां नहीं मिलती। और बातों का पालन नहीं होता, पर कोई चालान उनका नहीं होता। तो लोगों का विश्वास आप के कानूनों में क्या रह जावेगा ? स्टेट सेक्टर में ही कानून लागू नहीं करते तो फिर कहां करेंगे आप ?

इधर ऐसा है कि चीफ इन्सपेक्टर, फैक्ट्री इन्सपैक्टर श्री हंसराज जी पाऊवा हैं, उनकी तो हालत यह है कि पता नहीं कहां दौरे पर जाते हैं या नहीं, फैक्ट्री एक्ट कहीं लागू नहीं होता। एक्सीडेन्ट लगातार होते हैं और कार्यवाही नहीं होती।

अभी सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी का जिक्र था।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अकेला ही पार्टी वाला हूं।

श्री सभापति : पार्टी का १५ मिनिट समय आप ले चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां की यूनियन ने इस बात की मांग की कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उनको संरक्षण मिलना चाहिये। पर नहीं दिया। क्शर के अन्दर एक मजदूर मर गया, कोई एक्शन नहीं। वजह क्या है इसकी ? मैंने सुना है चीफ फैक्ट्री इन्सपेक्टर के छोटे भाई हैं उन्होंने वहां के जिप्सम और कोल को अनलोडिंग।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है श्री हजारीलाल पाऊवा । इसलिये वे फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों लें ? एक हफ्ता हुआ वहां पर विलन प्लान्ट है । वहां एक्सीडेन्ट हो गया । वह आदमी वहां सवाई मानसिंह अस्पताल में पड़ा है । पर उसका कोई चालान नहीं हुआ, फैक्ट्री मैनेजर का ।

इसी तरह से यह डालमिया साहब की फैक्टरी है ; साहू जैन का दफ्तर है, वहां मैं यह बात नहीं कहूँगा । इस बात का असर इसलिए है कि सुखाड़ियाजी कलकत्ता जाते हैं तो वहां ठहरते हैं, इसका असर उनके दिमाग पर नहीं हो सकता । श्रम मंत्रीजी तत्काल ही ज्यादा ध्यान दे रहे है । पर फिर भी इन्सान इन्सान हैं । ये बातें देखकर किसी बड़ी इन्डस्ट्री में कौन कौन इन्डस्ट्रियलिट्स हैं और उनके हमारे मन्त्रियों के साथ क्या सम्बन्ध है और यह देखकर हमारी सरकार आंखें मूंदकर चले, यह बात ठीक नहीं जंचती ।

सभापतिजी, हमारे मंत्रीजी बहुत बार कहा करते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में । मैं कहना चाहता हूं कि कोड ऑफ डिसिप्लिन में इस रिजोल्यूशन का वायोलेशन अगर किसी ने किया है तो खुद सरकार ने किया है और ये इम्पोर्टेन्ट मन्त्री हैं जो उस पर लागू करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं । ये इसे सरकार पर लागू नहीं करवा सकते । अगर उनकी नहीं चलती तो कुर्सी छोड़कर चले जावें । पर इस मन्त्रालय को इस तरह से बदनाम कराने की कोशिश न करें । मैं मिसाल देता हूं कि कोड ऑफ डिसिप्लिन छपा हुआ सब जगह आपने देखा होगा । इसके अन्दर यूनियन के रिकॉग्निशन के बारे में नीचे ही नीचे लिखा है कि उन यूनियनों को रिकॉग्निशन दी जावेगी जिनकी १५ परसेन्ट मेम्बरशिप हो; इससे ज्यादा होगी उनको दी जावेगी । जो यूनियन एक साल की होगी उसको एक साल खत्म होने से पहले नहीं दी जावेगी । पर यहां पर पॉवर और इलेक्ट्रिकल वालों की, बिजलीघर मजदूरों का फेडरेशन था उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके इस सरकार ने मान्यता दी-इन्टक की तरफ से बनी नई फेडरेशन को जिसका एक साल भी पूरा नहीं हुआ था ।

एक साल से पहले उसको रिकॉग्निशन दिया । अपीलेट की तरफ से सरकार के इस फैसले को गलत बतलाया गया । इसका रजिस्ट्रशन दुबारा रेस्टोर किया गया । पर इसके बाद भी उसको मान्यता आज तक नहीं दी जा रही है ।

सारे रोडवेज में वर्कर्स यूनियन में ७५ परसेन्ट मजदूर हैं पर आज तक यह सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है । मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप इस कोड ऑफ कन्डक्ट को एप्लाई करें या इसको फाड़ कर फेंक दें । मैं जानता हूं आपको यह बात पसन्द नहीं है । आप इसे बिजलीघर में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नहीं चलाते । कैबिनेट मजबूत लोगों की है । कोई बात चीफ मिनिस्टर के बारे में होती है तो फौरन खड़े होते हैं । आप बैठे रह जाते हैं इसलिये आपकी गवर्नमेन्ट में बात नहीं चलती । आप कमजोर हैं । लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो मजदूर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि ग्रापको उस जिम्मेदारी को समझकर अपना काम करना चाहिए।

ग्रन्त में, सभापति महोदय, एक पोइन्ट ग्रौर कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कितने मामले आपके सामने लाये गये। पिछली साल जो प्रेस के वर्कर्स हैं जिसका सवाल सवेरे ग्राया था और ग्रापने कहा था कि डिबेट के समय उसको रेज़ किया जाये—मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोक-वाणी चूंकि एक अखबार है ग्रौर आपकी तमाम कैबीनेट को और मुख्य मंत्री को ग्रपने फोटो और भाषण उसमें छपवाने पड़ते हैं इसलिए उसके मालिकों के खिलाफ आप एक्शन लेने में गुरेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इस प्रेस में काम करने वाले मजदूरों को......

श्री **भीखाभाई** : भाषण तो ग्रापके भी छपते हैं, मंत्रियों के भी छपते हैं और दूसरे लोगों के भी छपते हैं—इससे आपको क्या जलन है ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े ग्रफसोस की बात है कि यह अखबार उन राष्ट्रीय भावनाग्रों को लेकर चला जो कि स्वर्गीय जमनालाल बजाज की स्मृति में यह अखबार कायम किया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग ऐसे लोगों के हाथों में जाकर, इस अखबार के जरिये ब्लैक मार्केटिंग होता है। १०—१५ हजार का अखबार का सर्कुलेशन बताकर बोगस कोटा कागजों का लिया जाता है ग्रौर उसका ब्लैक मार्केट किया जाता है। फिर भी वहां के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिले, वहां के जर्नलिस्टों को तनख्वाह नहीं मिले और उनको भूख हड़ताल पर उतारू होना पड़े—यह हालत आज वहां की है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी वहां पर उद्घाटन करने के लिए जायें। उनके लूट करने का दूसरा जरिया खड़ा करें और एक नया ग्रखबार चलाने की कोशिश करें और उसके नाम पर एक नया ग्रखबार ग्रभी चालू किया है राष्ट्रदर्शन के नाम से, एक नया शगूफा खड़ा कर दिया। अगर हमारे सुखाड़ियाजी बुरी चीजों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो उनको क्या जरूरत थी कि जब उनको पता है कि वहां के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है, वहां के कार्यकर्त्ताग्रों को तनख्वाह नहीं मिली है और उनको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है और इस ग्रखबार में कोटा का ब्लैक मार्केट होता है तो क्यों वहां पर वह उद्घाटन करने गये ? वे तो बदनाम होंगे लेकिन ग्रब इस राष्ट्रदर्शन के ग्रन्दर लूटने का उनको ग्रौर मौका दिया जाये। सभापति महोदय, हमें यह एक नई तब्दीली राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रही है। वह वनस्थली, वह कार्यकर्त्ता कुटीर, वह शास्त्री जी की ग्राप सुखाड़िया जी उसकी कब्र खोदने में लगे थे और फिर जनरल इलेक्शन के बाद शास्त्रीजी यहां पर ग्राकर उसकी कब्र खोदने में लगे। सब पार्टीयों के लोगों को बुलाकर मिनिस्ट्री को उलटने के चक्कर में लगे और जब सुखाड़िया जी ने देखा कि उनके पैर जम नहीं पा रहे हैं तो सुखाड़िया जी ग्रौर शास्त्रीजी की गुप्त मंत्रणा होने लगी है ग्रौर अब न जाने क्या राजस्थान की जनता पर जलजला आने वाला है; पता नहीं है। पहले हम देखते थे कि कुछ चीफ मिनि-स्टर साहब का क्रिटिसिज़्म होता था तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नाथूरामजी हंसते थे, मथुरादास माथुर हंसते थे और अब ऐसा लगता है कि मानो कम्पीटीशन हो रहा है नाथूराम जी भागकर आते हैं, फिर मथुरादास जी भाग कर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और न आप बनने वाले हैं। सुखाड़िया जी तो पूरे कलाबाज हैं। वे तो अंगूठा टेकने वाले को बनायेंगे। अगर आप भी करने को तैयार हैं या काम करने को.....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका मतलब तो यह है कि पहले भीखाभाई को बनायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, वे जरूर अपने को क्वालीफाई कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अन्त में, मैं केवल सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। एक–दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : आप बहुत समय ले चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २ मिनट और बोलूंगा।

एक तो यह निवेदन है कि मैं अलवर की ही बात कहूंगा। और जगह की बात अभी नहीं रखूंगा क्योंकि समय नहीं है। अलवर में मस्टर रोल्स के अन्दर झूठे नाम लिख लिख कर लोगों को तनख्वाह दिलाई जा रही है। इस प्रकार के एलीगेशन्स मेरे पास लोगों ने दिये हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी नोट कर लें और उसके बारे में पूरी तरह से जांच करके बतायें कि यह सही है या नहीं। यदि सही है तो उसके ऊपर वे एक्शन लें। वहां के एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं मिस्टर एम० एम० माथुर, उनके भतीजे श्री ललितमोहन माथुर पोलीटैक्निक के स्टूडेन्ट हैं और अलवर–दिल्ली रोड के मस्टर रोल में उनका नाम लिखा जाकर उनको तनख्वाह दी गई है। औरों को २ रुपये और इनको ४ रुपये रोज मिल रहे हैं। इसी तरीके से एक श्री सुरेन्द्रसिंह यू० डी० सी० हैं, उन्होंने अपने भाई को इसी तरीके से तनख्वाह दिलाई है नाम है; लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। मैं आपको बाद में बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि वहां के पी. डब्ल्यू. डी. वर्कर्स को भूखहड़ताल करनी पड़ी और कलेक्टर के इन्टरवेंशन से वह समाप्त हो गई। लोगों के ट्रान्सफर्स अनापशनाप कर दिये थे। वहां पर एक ओवरसियर हैं गोपीमोहन। तिजारा सेक्शन में उनके खिलाफ एलीगेशन्स हैं उसको बचाने के लिए श्री एम० एम० माथुर के भानजा बताया गया। इस तरह से सांठगांठ चलती है। तो गोपीमोहन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। भूखहड़ताल हुई, लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। गोपीमोहन का ट्रान्सफर नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके ऊपर आप विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे पृथ्वीपुरा-बालेटा रूट के लिए आपने कहा था। उसके निर्माण की बात है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री भैंरवलाल कालाबादल, (अकलेरा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय; क घोषणा को आपने समाप्त कर दिया क्या ?

उन्होंने कहा था कि रामानन्द अग्रवाल के बाद मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आपका नम्बर बाद में आयेगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उन्होंने कहा था कि बाद में "कलाबादल" बोलेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने आपको "सभापति महोदया" कहा उनको तो टाइम मिल गया और दूसरों ने जिन्होंने "सभापति महोदय" कहा उनको तो टाइम नहीं मिला, इसमें क्या राज है ?

श्री सभापति : इसमें आप ही समझ सकते हैं, क्या राज है।

श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से सड़कों के बारे में सरकार की जो पिछले पांच-सात साल से चूरू जिले के लिए एक अपेक्षित नीति रही है उसके संबंध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि जो इलाका डेजर्ट एरिया है और जहां आवागमन के साधन कम हैं उन इलाकों को प्राथमिकता सडकों के मामले में सरकार को पहले देनी चाहिए। चूरू जिला एक रेगिस्तानी इलाका है और उसमें आवागमन के बहुत कम साधन हैं। रेलवे लाइन भी बहुत कम है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आवागमन के लिए आपको बड़ी इच्छा है। उसके लिए आप को विशेष साधन चाहिये।

श्री रावतराम : सड़कों के मामले में मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजो से निवेदन करूंगा कि जो सड़कें प्लान में ली गई और जिनके ऊपर काम चालू हुआ आज तक सड़कें पूरी नहीं हुई। और जिस तरह से उन पर सुचारू रूप से काम चलना चाहिए था वह नहीं चल पाया। मैं उदाहरण के तौर पर यह निवेदन करूंगा कि सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट हैड्क्वार्टर है उन डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर को कम से कम राजधानी से जोड़ने के लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इतने लम्बे अर्से के बाद भी आज चूरू डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर की यह हालत है कि वह राजधानी से नहीं जुड़ पाया। आज तहसील हैडक्वार्टर्स को हमें जिले के हैड क्वार्टर्स से जोड़ने के लिए प्रयत्न करने चाहिये। आज चूरू जिले में ७ तहसीलें हैं, लेकिन उनका सम्बन्ध अभी तक जिला हैडक्वार्टर से नही के बराबर है। मैं इन सड़कों के बारे में आपके जरिये माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जिला हैड क्वार्टर को-राजधानी जोड़ने के लिए उस सड़क को पूरा करवाना चाहिए। उस सडक की हालत यह है कि जयपुर से सीकर और सीकर से फतेहपुर तक सड़क बन गई है और चूरू से रामगढ़

(श्री रावतराम)

तक सड़क का काम पूरा हो चुका है, लेकिन रामगढ़ और फतहपुर के बीच में सड़क अभी नहीं बन पाई हैं और एक १०-१२ मील की सड़क के लिए यह हालत है कि जिला हैडक्वार्टर का सम्बन्ध राजधानी से नहीं हो पाया है। तो एक छोटी सी सड़क के लिए जो बहुत ही कम माइलेज में है सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए इस साल काम प्रारम्भ करवाने के लिए माननीय मंत्रीजी को कोशिश करनी चाहिए।

इसके अलावा जयपुर से गंगानगर को जोड़ने वाली जो सड़क है वह वाया सीकर, सुजानगढ़ और सरदारशहर और सरदारशहर से पल्लू जाने वाली जो रोड है यह शार्टकट रोड है इससे गंगानगर का सम्बन्ध राजधानी से जुड़ता है, लेकिन यह सड़क रावतसर और पल्लू के बीच में नहीं है, इस पर कार्य चालू नहीं किया गया है। यदि उसको पूरा करवाया जाय तो गंगानगर को जाने वाले लोग जो अभी वाया दिल्ली होकर जाते हैं वे सीधे गंगानगर जा सकते हैं। सरदारशहर से पल्लू तक सड़क बन चुकी है और पल्लू और रावतसर के बीच की सड़क का काम चालू किया जाय तो मैं समझता हूं कि गंगानगर जिले का सम्बन्ध सीधा राजधानी से बन सकेगा।

इसके अलावा अभी पिछले साल चूरू जिले में फेमीन में जहां जहां सड़कें बनी हैं, वहां गवर्नमेंट ने काम दिया है लोगों को उन सड़कों पर जो कि महत्वपूर्ण है, उनको प्लान में लेना चाहिए और उसके लिए मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं कि चूरू जिले में राजगढ़ तहसील है और राजगढ़ से सांखू रोड को संवत् ९५-९६ में जब अकाल था उस समय बीकानेर स्टेट के टाइम में सरकार ने कार्य चालू किया था फेमिन के अन्तर्गत और उसके बाद में संवत् २००८-९ में अकाल पड़ा तो राजस्थान सरकार ने दुबारा काम चालू किया और अब पिछले साल अकाल पड़ा तो तीसरी बार सड़क का काम चालू किया लेकिन उस रोड को आज तक प्लान में नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि बार बार इस सड़क पर हजारों रुपया खर्च होता है और इस साल तो करीब दो-ढाई लाख रुपया उस सड़क पर खर्च किया गया है तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। यदि राजगढ़ से सांखू और सांखू को मिलाती हुई आगे सड़क बनाने से सीधा सम्बन्ध राजधानी से हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा राजगढ़ से बहल सड़क, उसको भी फेमिन में हाथ में लिया गया था। यदि उसको प्लान में लिया जाय तो उस सड़क से पंजाब से सीधा सम्पर्क हो सकता है।

इसी तरह से जो दिल्ली से बीकानेर रोड है जिसको कि डिफेन्स रोड में लिखा गया है उसका अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। उसका काम चालू करने के लिए मैं समझता हूं कि इस साल माननीय मंत्रीजी ध्यान देंगे, क्योंकि यह रोड संवत् ९५-९६ के अकाल में प्लेग के टाइम पर चालू की गई थी। आज सड़क की यह हालत है कि सारी

(श्री रावतराम)

टूट-फूट गई है। उस सड़क से चूरू जिले में जितनी तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, राजगढ़, तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और सुजानगढ़ से नोखा होकर यह रोड जाती है। सरदारशहर से डूंगरगढ़ तक डिफेन्स रोड अब मन्जूर हुई है, लेकिन इस सड़क की यह हालत है कि इतने साल के बाद भी जब कि यह एक महत्वपूर्ण रोड है और एक जिले के तमाम कस्बों से उसका सम्बन्ध होता है, उस पर डामर का काम राजस्थान सरकार ने नहीं करवाया है। यह बड़े दुख की बात है। सुजानगढ़ से सरदारशहर जो रोड जाती है उसको पांच साल हो गए, कभी दो मील का टुकड़ा मन्जूर होता है, कभी, ३ का, लेकिन १० साल में भी उस सड़क को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके लिए माननीय मंत्रीजी विशेष तौर से ध्यान देंगे।

इसी तरह से चूरू से राजगढ़, चूरू डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है राजगढ़ से उसको सीधा जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। इस सालफेमिन में इस सड़क पर काम हुआ है। कम से कम सरकारके ५०-५५ हजार रुपये इस पर खर्च हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस रोड को प्लान में लेना चाहिए?

इसी तरह से सरदारशहर से लूणकरण-सर के लिए फेमिन में सड़क का काम चालू हुआ। यह सड़क भी महत्वपूर्ण है। इसको भी प्लान में लेना चाहिए।

इसके अलावा चूरू से जो रतनगढ़ सड़क बनी है और प्लान की रोड है वह सड़क अभी बनकर तैयार हुई है दो साल से, लेकिन आवागमन चालू हुआ इसके पहले ही सड़क टूट गई है, और मैं समझता हूँ कि इस सड़क पर डामर का काम चालू करवाना चाहिए, नहीं तो यह सड़क बिगड़ जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से···

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रावतराम : इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले ५-७ साल से यह विचार रहा कि सरदारशहर से चूरू का सीधा रोड से सम्बन्ध नहीं है; वैसे वाया बमादरा होकर जरूर है, लेकिन चूरू में सरदारशहर से चूरू का सीधा सम्बन्ध नहीं होने से सरदारशहर के यात्रियों को रतनगढ़ होकर आना पड़ता है। इस रोड के जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके भेजा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने भी बार बार इस बात के लिए कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस रोड को भी आप प्लान में शामिल करके इस साल में इस रोड पर काम चालू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, वास्तव में मैं लम्बा-चौड़ा भाषण तो नहीं करूंगा, लेकिन पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि निर्माण के सम्बन्ध में कहां तक सतर्कता बरती जाती है। दूर की बात नहीं है। अपनी इस विधान सभा के सचिवा-लय का एक अंग है जिसको नोटिस ब्रान्ध कहते हैं या रिसेप्शन सेन्टर कह दिया जाय उसमें जो नक्शा लगा रखा है; मानचित्र

(श्री अब्दुल जब्बार)

उसमें बड़ी बड़ी सिनेरियां खींच रखी हैं बिजली के बल्ब लगा रखे हैं बताने के लिए, राजस्थान का नक्शा है कि रास्ते ऐसे ऐसे हैं। इसमें एक रोड तार रोड बताई गई है जो निम्बाहेड़ा से उदयपुर वाया मंगलवाड़ा और चित्तौड़ से उदयपुर वाया मंगलवाड़ा जाती है। जर्मनी, जापान या अमेरिका से कोई टूरिस्ट आयेगा और यह नक्शा देखकर यह रास्ता अख्त्यार करे निम्बाहेड़ा से उदयपुर का तो राजस्थान सरकार से कहेगा कि यह कैसा विभाग है चाहे जनसम्पर्क का नक्शा हो, चाहे विधान सभा का नक्शा हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० का नक्शा हो, लेकिन यह बड़े शर्म की बात है और अफसोस होता है कि वहां पर इतना गलत नक्शा लगा हुआ है, जब कि वहां पर सड़क की ऐसी दुर्दशा है कि उसका कई दफा बताया गया है विधान सभा में कि उसमें गड्ढे हो गए हैं।

मंत्री महोदय पी० डब्ल्यू० डी० को ही नहीं सम्हाल रहे हैं मंत्री महोदय पॉवर को भी सम्हाल रहे हैं तो उदयपुर जो लाइन गई है बिजली की निम्बाहेड़ा होकर गई और नीमच से आई है, अगर बीच में पॉवर का खम्भा गिर गया और बीच में से लाइन टूट गई, या बीच में किसी किस्म का डिस्कनेक्शन हो गया बरसात के टाइम में तो उसका मुआयना करने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि मोटर में सामान लाद कर ले जाया जाय। उस सड़क का आप इन्सपेक्शन कर लें। आपके बिजली के तार गये हैं, उनमें कोई दुरुस्ती करनी हो तो हो जाय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। मेरा कट मोशन है प्रायोरिटी के ऊपर। प्रायोरिटी किस प्रकार दी जाती है। कपासन की सड़क बनाई है जिस पर दो पैसेन्जर्स भी ट्रेवल नहीं करते हैं। ऐसी थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास सड़क को बनाने में तो पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जो खास काम की सड़क है जो मध्य प्रदेश को मिलाती है ६४ माइल के फासले पर चित्तौड़ से होकर जाना पड़ता है, पैसेन्जर मध्य प्रदेश मे और गुजरात से आते हैं, बीच में तीर्थ स्थान पड़ते हैं जो उनको देखने के लिए आते हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप टूरिस्ट के लिए भले ही इस सड़क को मत बनाइये लेकिन यह सोच कर तो बनाइये कि यदि उदयपुर में ब्लैक आउट हो गया तो चंबल की लाइन को ठीक करने के लिये आपकी जीपें और ट्रक्स दौड़ लगा सकें, इसके लिये तो आप उसको बनवाइये।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं श्रम मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, महरबानी करके यह ध्यान दें कि मजदूरी करने वाला मजदूर होता है चाहे वह शारीरिक काम करे, चाहे मानसिक, लेकिन जो श्रम करने के बाद मुआवजा पाता है वह मजदूर ही कहलाता है। हमें अफसोस होता है एक आजाद देश में तेरह तेरह महीनों तक श्रम करने वाले आदमियों को तनख्वाह नहीं मिले तो क्या कहना चाहिए। श्रम मंत्रीजी सदन में आ गए हैं उनको कहता हूँ कि आपके विभाग में १३ महीनों तक पैसा नहीं मिलता है, यह अफसोस की बात है। आप हमेशा सदन में कागज रखने की बात करते हैं लेकिन मैं नोट करवाता हूं, आप नोट कर लें शान्तादेवी गौड़ मजदूर है।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : कहां पर ?

श्री अब्दुलजब्बार : उदयपुर में । आपके आयुर्वेद विभाग में नौकरी करती है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि चाहे शारीरिक काम करे, चाहे मानसिक काम करे वह मजदूर ही कहलाता है । आपके महकमे के श्री प्रतापलाल भट्ट हैं सीनियर फिजीशियन, आयुर्वेदिक औषधालय, उदयपुर उनके द्वारा लिखित लैटर जिसके नम्बर बताता हूं २१७८ है, तारीख ११.३.६५, जो श्रीमती शान्तादेवी गौड़ धात्री, अ श्रेणी औषधालय, उदयपुर को लिखा है उसमें लिखा है :

"श्रीमान् संचालक महोदय आयुर्वेदिक विभाग के उपरोक्त आदेशानुसार आपने दिनांक २०-२-६४ से १३-३-६४ तक अवकाश आवेदन-पत्र दिए बिना अवकाश का उपयोग कैसे किया गया ।"

इसी संदर्भ में उस मजदूर को एक लैटर और मिलता है जिसके नम्बर हैं १६७, दिनांक ४-३-६४ । आप इसको नोट कर लें । कार्यालय आदेश निकलता है, मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं । आप समझ जाइयेगा यह वह विभाग है जो आप के नीचे है । इसमें लिखा है: 'इस कार्यालय के आदेश क्रमांक १८४ दि० १८. २. ६४ के अनुसार श्रीमती शान्ता देवी गौड़ का डेपुटेशन इस चिकित्सालय से समाप्त कर दिया गया है । इन्हें अपने पोस्टिंग का स्थान औषधालय पाड़वा (डूंगरपुर) के लिये आज दिनांक ६. ३. ६४ को कार्य समाप्ति के पश्चात् इस चिकित्सालय से रिलीव किया जाता है । श्रीमान् संचालक महोदय के पुनः पत्र क्रमांक २ (बी) ६४ । ८२६–३०, दिनांक २५. २. ६४ के अनुसार इनका माह दिसम्बर ६३ से बकाया वेतन श्रीमान् संचालक महोदय के आदेश क्रमांक एफ. २ (बी) ६३ । २०२४७. । ५१ दिनांक ३१. ८. ६३ के अनुसार पोस्टिंग स्थान औषधालय ऋषभदेवजी निरीक्षणालय आयुर्वेद विभाग, उदयपुर से उठेगा ।"

यह १३ महीनों तक वेतन नहीं मिलने का मामला है । नमूना बताया है आयुर्वेद और श्रम मंत्रीजी हैं । इतना ही नहीं आपके विभाग में इस प्रकार की चर्चा चलती है तो मजदूरों का कैसे पेट पलता होगा ? ऐसे कई उदाहरण आप कहें तो मैं दे सकता हूं । लेकिन महरबानी करके इस बात का ख्याल रखिये कि मजदूर को मजदूरी पूरी मिले वरना मजदूर परेशान होकर खुदकुशी करने लग जायगा । इसमें ही सरकार अपना फर्ज समझे तो बुरी बात होगी......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

दूसरी चीज यह है कि जहां पी. डब्ल्यु. डी. का मसला आता है, मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय को मुख्तसर तरीके से गवर्नन्ट की गलती बताते हैं तो उस पर ध्यान देकर ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये । सड़कों के लिए धन-राशि की बात हो तो प्रायोरिटी इस बात के लिये दी जाय कि कितने पैसेन्जर्स का लोड इस सड़क पर है, इससे इन्कम क्या हो सकती है, मोटर ओनर्स और पैसेन्जर्स को क्या सहूलियतें इससे हो सकती है. इस ओर ध्यान देना चाहिये । मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि जहां पर अच्छी से अच्छी क्वेरीज़ हैं, पर सड़क न होने के कारण ठप्प हैं, अच्छी से अच्छी फैक्ट्रीज लगाने के लिये रॉ-मैटीरियल है लेकिन रूट नहीं होने के कारण नहीं लग सकती ।

(श्री अब्दुलजब्बार)

इसलिये इन बातों की ओर ध्यान देकर सड़क निर्माण करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री सभापति : श्री कालाबादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण के बारे में चर्चा करने के लिये मेरा एक कटौती प्रस्ताव है । सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जब से हमारे देश में जनतंत्र शासन स्थापित हुआ है तब से अब तक काफी विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े निर्माण के कार्य भी हुए हैं । मैं जहां से आया हूं वहां भी यह हालत थी कि एक एक महीने तक बरसात के दिनों में झालावाड़ में यदि कोई चला गया तो कोटा नहीं आ सकता था.......

एक माननीय सदस्य : अब तो तुम्हारे वहां के ही मंत्री हैं ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : वैसे निर्माण के काम तो काफी हुएहैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहां एकतंत्रीय शासन था और उसको बदलने के लिये हमारे महापुरुषों ने एक योजना बनाई थी उस एकतन्त्रीय शासन में जानता परेशान थी, बड़े बड़े लोगों की सुनवाई होती थी गरीबों की कोई सुनता नहीं था इसलिये एक तंत्र को बदल कर जनतंत्र की स्थापना की गई थी, जनतंत्रीय शासन की स्थापना में यह कहा गया था कि १०० में से ६० आदमियों की सुनवाई होनी चाहिये तभी जनतांत्रिक शासन चलेगा । हम पिछड़े हुए इलाके के लोगों को और गिरे हुए वर्ग के लोगों को उठाने के लिये जन–तांत्रिक सरकार ने योजना बनाई । हमारे देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका आदिवासियों का था उनको उठाने की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये था । बड़े बड़े लोगों की कारें घुमाने के लिये तो पहले से ही सड़कें बनी हुई थीं लेकिन पिछड़े हुए इलाकों के गरीब लोगों को सुख-सुविधा पहुंचाने की ओर अब भी बहुत कम ध्यान दिया गया है । बड़े वड़े लोगों के लिये बड़ी बड़ी डामर रोड्स बनीं लेकिन पिछड़े हुए इलाकों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया न शिक्षा विभाग ने दिया, न आयुर्वेद विभाग ने दिया न वहां पर सफा–खाने खोले गये, उनके बारे में कई बार चर्चा होती है पर कोई ध्यान नहीं देता । मैं समझता हूं भगवान ने पिछड़े हुए लोगों के भाग्य को फूटा हुआ ही बनाया है इसलिये पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका कम मिलता है । यह तो केन्द्रीय सरकार का भला हो जिसने १० साल की योजना बनाई जिससे पिछड़े हुए लोगों को इतना रिजर्वेशन दे दिया; इसलिये १०-२० सदस्य यहां पर बैठे हुए है...

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री-सामान्य प्रशासन) : ४० हैं ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : ४० होंगे । मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बात करता हूं, विरोधी तो कोई कोई आ जाता है । असल में बोलने वाले की ही ज्यादा सुनते हैं । हम पिछड़े हुए लोगों को बोलने का टाइम भी नहीं दिया जाता है । हमारी पार्टी के आदिवासी नाथूभाई १०० बार खड़े हुए होंगे, लड़ाई-झगड़ा किया तब जाकर उनको बोलने दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे । मैं भी पांच सौ बार खड़ा हो चुका हूं,आज बड़ी

(श्री भैरवलाल कालाबादल')

मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाया है । बजट भाषण के ऊपर वादविवाद के समय हम बोल नहीं सके, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय भी हम नहीं बोल सके । हमने देखा, भाई, कट मोशन ही दो । तो इससे भी बड़ी मुश्किल से···

(३. म. प.)

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : आप इतनी ताकत बनायें जितनी और लोगों में है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ताकत तो ठीक है । आप यह मान लीजिये ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सिल्ली अपने पास में रखो । सिल्ली का काम करो ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभापति महोदय, हमारे इलाके प्रान्त के पिछड़े में जो अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है वहां अभी तक आवागमन के साधन नहीं हो पाये है । और गांवों में जो लोग उत्पादन करते हैं उन लोगों के लिए गांव से मंडी तक आने जाने के लिए आवागमन के साधन नहीं हैं जिससे उचित समय पर अपने माल को लेकर मंडियों में आ जाय । पी० डब्ल्यू० डी० ने छोटे छोटे गांवों के जो दस दस मील के सड़कों के टुकड़े हैं उनको भी पंचायत समिति को दे दिया है और पंचायत समितियों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वह उनकी अच्छी तरह मरम्मत करा सकें, पक्की बना सकें । पहले यह मरम्मत कराने, पक्की बनाने का काम पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकार में था । लेकिन अब जो छोटे छोटे रोड्स के टुकड़े हैं उनके ऊपर मिट्टी तक भी नहीं पड़ती है और इस कारण उनके अन्दर बड़े बड़े खड्डे पड़ गये हैं, फिर भी उनकी मरम्मत नहीं होती है । मैं तो समझता हूं कि ये छोटी छोटी रोड्स पंचायत समितियों से वापिस ले लेनी चाहिए और पी. डब्ल्यू. डी. से उनकी मरम्मत करानी चाहिए । इसके अलावा जो स्टेट के टाइम की बनी हुई रोड्स हैं ; जैसे खानपुरा से अटरू जाने वाली रोड है, जिसके लिए निर्माण मन्त्री ने कहा था कि स्टेट के टाइम में यह रोड बनी थी, उसकी हालत बड़ी खराब है । उसको जल्दी ही ठीक करायेंगे । परन्तु उसके ऊपर मिट्टी की एक तगारी भी नहीं पड़ पाई है । जो छोटी छोटी रोड्स थीं जिन पर से गांव के लोग कस्बों में और हाट बाजारों में जाते थे बैल गाड़ियों में अनाज भरकर मंडियों में ले जाते थे ; बिल्कुल खराब हो गई है और बरसात के टाइम में उन पर से जा आ नहीं सकते हैं । इसलिए गांव के लोग अपना माल बरसात के पहले पहले बेच देते हैं क्योंकि बरसात के टाइम में जाकर अपने माल को बेच नहीं सकते हैं । इससे उनको नुकसान होता है । उनको यह मालूम होता है कि वे यदि माल को रोके रखें तो बरसात के टाइम पर उसके अच्छे पैसे उनको मिल जायेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी इन रोड्स की मरम्मत होनी चाहिए और इनकी ओर ध्यान देना चाहिए ।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

इसके अलावा कनवास से खानपुर को एक सड़क जाती है। उस परसे मैं एक बार सुखाड़ियाजी को ले गया था। इस सड़क का अगर इक्कीस-बाईस मील का टुकड़ा बन जाय तो आज पचास मील का चक्कर काट कर लोगों को जाना पड़ता है उसके बजाय वह अट्ठारह मील पार करके ही पहुंच जाते हैं। सुखाड़िया जब गये थे तो उनके साथ वर्तमान निर्माण मंत्री महाराजा झालवाड़, जो उस समय एम० एल० ए० थे, वे भी मौजूद थे। उस समय जब सुखाड़ियाजी को उस रोड पर लेकर गये थे तो मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी ने घोषणा की थी कि यह रोड जल्दी बन जानी चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रोज सुखाड़ियाजी वहां पहुंचे तो निर्माण विभाग ने वहां पर छः सौ मजदूर लगा दिये थे और यह दिखा दिया था काम सुखाड़ियाजी को कि इसकी रिपेअर का काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो छः सौ मजदूर काम कर रहे थे वे सुखाड़ियाजी के वापिस जाने के साथ ही वहां से चले गये। पी० डब्ल्यू० डी० का यह चकमा देने का रिकार्ड है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि पहले अपनी पुरानी तरकीब से काम करा लेता था। वह मेरी तरकीब थी कि जिस रोड को बनाना होता था उस तरफ मैं किसान सम्मेलन कराने की घोषणा करके काम करा लेता था। लेकिन वह मेरी तरकीब अब आउट हो गई इसलिए अब काम होता नहीं है।

श्री सभापति : अब नई तरकीब भिड़ाइये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभापति महोदय, मैं यह तरकीब किया करता था कि मैं पर्चे छाप देता था, फलां जगह फलां तारीख को किसान सम्मेलन हो रहा है और भारत सरकार के फलां मंत्री उसमें आ रहे हैं। जब मैं इस तरह की तरकीब करता था तो उसके पहले होता क्या था कि मैं यह प्लान कर लेता था कि मुझे फलां रोड ठीक करवानी है तो पर्चे में यह लिख देता था कि मन्त्रीजी उस रोड पर से होते हुए सम्मेलन में पधारेंगे। वह पर्चा पी. डब्ल्यू. डी. वालों के पास जाता। पी० डब्ल्यू. डी. वाले मुझसे कहते हैं कि इस रोड से किस तरह से जाओगे, यह रोड अच्छी नहीं है, इसमें उनको परेशानी होगी। मैं कहता 'मैं क्या करूं' उन्होंने यही रास्ता तय किया है। फिर क्या होता था कि पी. डब्ल्यू. डी. वाले उस तारीख से आठ दिन पहले उसको ठीक करा देते........

श्री परसराम मदेरणा : यह तरकीब कितने दिन तक चली ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : १९५७ तक।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : घर वालों के हाथ में आ गया तब खत्म हो गयी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब निर्माण विभाग महाराजा झालावाड़ के हाथ में आ गया तो मैंने देखा, यह तरकीब अब चलेगी नहीं।' निर्माण मंत्री के लिए यह कहा जाता है कि कोटा में यह काम करा रहे हैं, वह करा रहे हैं। मैं आपको निवेदन

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

करना चाहता हूं कि इन्हीं के इलाके में बकानी से घोघड़पुर तक का पांच मील का टुकड़ा है जिसके लिए महाराजा साहब ने यह घोषणा कर दी थी कि उसका काम इस साल में पूरा हो जायगा लेकिन इन्हीं के इलाके की इस सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। झालावाड़ महाराजा के लिए यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने उधर इतनी सारी रोड्स बना दी जब कि इनके इलाके का यह पांच मील का टुकड़ा नहीं बन पाया है। अभी मैं पंचायतों के चुनाव में गया था तब मैंने बकानी की रोड को देखा, खड्डे पड़े हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये उधर जाते नहीं हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हां, कोई बात नहीं है।

अब मनोहर थाने का सवाल रह जाता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उनकी तारीफ में तो नहीं बोल रहे हैं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नहीं नहीं। मैं किसी की तारीफ नहीं करता।

तो, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि मनोहर थाने से हरनावदा की जो सड़क है उसके बीच में कालीखाड़ नदी है। उस पर पुलिया नहीं होने की वजह से सेंकड़ों मवेशी बरसात के दिनों में उसमें बह जाते हैं। इसके अलावा मनोहर थाने के किसानों के खेत नदी के परली पार है। वे वहां पर बरसात के दिनो में जा नहीं पाते हैं इससे उनकी खेती को बड़ा नुकसान हो जाता है। बरसात के दिनों में वह कालीखाड़ को पार करके नहीं जा सकते, इसलिए समय पर बीज खेतों में नहीं डाल पाते है और इस कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है। १९६२ से लेकर अब इसके बारे में बराबर हम कहते रहे हैं, माननीय भोलानाथ मास्टर भूत पूर्व निर्माण मंत्री जब थे तो उनको भी मोका बताया था। उन्होंने सर्वे कराया था पुल का। लेकिन १९५२ से लेकर अब तक वह पुलिया नहीं बन पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि कालीधार का पुल बनना बहुत जरूरी है भले ही सड़क थोड़ी देर से बने इसके अलावा मनोहर थाने से चाचोडा रोड की पुलिया जरूर बननी चाहिए। और यह भी जरूर कहूंगा कि स्टेट के टाइम में जो पुलिया बनी हुई है वह चाहे झालावाड़ में हों चाहे राजस्थान के किसी दूसरे हिस्से में हों उनकी ओर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वह पुलिया जगह जगह से क्रेक हो गई है और टूट गई है। अगर उनको ठीक नहीं किया गया तो उन पर काफी खर्च बाद में होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आपको समय से पहले सम्भलना चाहिए और उन सब पुलियों के लिये सम्भलना चाहिये जो राजस्थान में कहीं भी हों।

दूसरी बात यह है कि मनोहर थाने से मध्य भारत में पहुचाने वाली राजगढ़ तक की है, उसमें कुछ मील तक कच्ची रोड है वहां आदिवासी ज्यादा

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

रहते हैं। अगर उस रोड को बनाया जाय तो उनको रोजी-रोटी भी मिल जायेगी और काम भी हो जायगा। मगर आज क्या होता है कि बड़े बड़े आदमी इधर उधर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय नेता हैं और जो जनसंघ के नेता हैं हरिप्रसाद जी इत्यादि वे तो गरज गरज कर, शर्म शर्म कह कर काम करा लेते हैं...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसका मतलब है कि हमारे यहां नहीं होना चाहिए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : लेकिन हम शांति से बैठे रहते हैं, हम यह मान कर कांग्रेस में बैठे रहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी तरफ भी जरूर ध्यान देगी। लेकिन हमारी कांग्रेसी सरकार चुप बैठने वालों की ओर ध्यान नहीं देती है। हमको यह कह देते हैं कि तुम्हारा नम्बर आने वाला है बोलने का। तो हम इस आशा से बैठे रहते हैं। लेकिन उधर की बेंच पर बैठने वाले सदस्य हैं वे हमको चकमा दे देते हैं। वे हमेशा कह देते हैं कि नम्बर आ रहा है। हम यहां बैठे रहते हैं तो उससे कोरम की पूर्ति हो जाती है। हम ही कोरम पूरा कर दें और हम ही सरकार के काम आवें, जो आदिवासी साधारण कार्यकर्त्ता है वे चौबीस घंटे सरकार के काम आवे। लेकिन फिर भी हमको चकमा दिया जाता है, हमारा काम नहीं करते।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य कह रहे है कि आदिवासी भोले होते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : वे उधर बैठे आराम करते रहें और हमें चकमा देते रहते हैं। कुछ सदस्य बजट पर बहस के समय बोल जाते हैं, हर विषय पर बोल जाते हैं, लेकिन जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कई बार खड़े होने पर मुश्किल से नम्बर आने देते हैं। मैं यह समझता हूं कि

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

साधारण कार्यकर्त्ता को चकमा नहीं देना चाहिए...

श्री परसराम मदेरणा : इसमें मिनिस्टर क्या करें ? आपको यहां बोलने दें या न बोलने दें–इसमें मिनिस्टर क्या करें ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उधर से लिस्ट जाती है, वह पूरी लिस्ट जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इनके तर्क को समझिये जरा। आप जो कह रहे हैं यह कोई रेमेडी नहीं हैं। आप तर्क को समझिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वे अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप अपनी सिल्ली अपनी जेब में ही रख लें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ये केबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, इनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जो साधारण आदिवासी कार्यकर्त्ता हैं, हम यह आशा करते हैं कि अगर रिजर्वेशन का प्रावधान निकल जाय तो हम लोग वापिस नहीं आ सकेंगे। इसलिए हमको मौका दिया

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जाना चाहिए, हर काम में हमको आगे रहने का मौका देने की कोशिश करनी चाहिए।

आपका यह फर्ज हो जाता है कि अगर आपको यह अनुभव होता है कि हम यहां की पद्धति के जानकार नहीं हैं तो हमको पद्धति को सिखाना चाहिए। हमको कुछ सिखायें नहीं और कोरम पूरा करने के लिए यहां पर बिठाये रहें, मैं समझता हूं यह अच्छा नहीं है सरकार के लिए।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : हमको भी समय देना चाहिए। बाद में टाइम समाप्त हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : हमको भी टाइम दे दें।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे छः कटौती के प्रस्ताव हैं। इनमें सबसे पहला कटौती का प्रस्ताव यह है कि बस्सी, चाकसू और लालसोट-इन तीनों पंचायत समितियों के एरियाज़ में जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं उनकी रिपेयर की जाय और उनको डामर रोड़ बनाया जाय।

सभापति महोदय, बस्सी से तूंगा तक जो रोड़ जाती है उस सड़क के मुत्तल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले यह निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार से और खास तौर से मंत्री महोदय से कि जो सड़कें बनाई जावे उन पर जरूर डामर कराई जावे, वर्ना फालतू पैसा खर्च होता है कंकर निकल आते हैं और सड़क बरबाद हो जाती है। मगर जब कोई चीज बनाई जावे तो उसके लिए रिपेयर्स और डामर के लिये प्रबन्ध कराया जावे अन्यथा पत्थर निकल जाते हैं और थोड़े दिनों में उसके कंकर उखड़ कर बरबाद हो जाते हैं। कोई करने का तात्पर्य यह है कि जो सड़क बनाई जावे उस पर डामर अवश्य कराई जावे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बस्सी तूंगा रोड की है उसकी हालत खराब है इसलिये इस पर डामर जरूर कराई जावे।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा है कि टौंक रोड पर १२ मील से गोनेर तक व वाटिका तक सड़क बनी हुई है उसकी भी बुरी हालत हो रही है। उस पर भी डामर कराया जावे।

एक मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि चाकसू कस्बे से कोट-खावदा तक जो सड़क बनाई गई है वह सात साल में बन कर तैयार हुई है। एक साल थोड़ा सा टुकड़ा बनाया फिर दूसरे साल थोड़ा सा टुकड़ा बना और इस तरह से उसको बनने में ७ साल लगे। वह ७ साल में कम्प्लीट हुई। इसके बीच में ढूंढ नदी पड़ती है उसके कारण वहां पर आवागमन में लोगों को तकलीफ होती है इसलिये उस पर पुलिया बनाया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत से नाले पड़ जाते हैं क्योंकि जो इरिगेशन की नहरें चलती हैं उसमें काफी नाले चलते हैं और उन पर कई स्थानों पर पुलिये बनना भी लाजमी

(श्री नाथूलाल करोल)

है और मैंने यह निवेदन कर ही दिया है कि ढूंढ नदी पर पुलिया बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि चाकसू से चाकसू स्टेशन तक जो सड़क गई हुई है वह बहुत खराब हो गई है। मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी ने वहां पर जाकर उसकी हालत को देखा नहीं है। मैंने इसके लिए कई मर्तबा ओवरसियरों से भी कहा कि आप भी स्टेशन तक इतनी खराब सड़क हो गई है जिसमें बहुत खड्डे पड़ गये हैं और सड़क बरबाद हो गई है। मैं यह कहूंगा कि जितने पैसे सरकार के लगे वह सब बरबाद हो गया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको ठीक करवाई जावे।

अब मैं लालसोट के लिये निवेदन करूंगा कि जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उनकी भी यही हालत हो रही है। लालसोट में दूसरी कोई नई सड़क बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। विनोरी बालाजी तक सड़क बनवाने के लिए पंचायत समिति द्वारा निवेदन दिया गया। लिखा पढ़ी की गई। लेकिन नहीं बनाई गई। लालसोट, बस्सी, चाकसू में नई सड़कों के निर्माण किया जावे मगर मैं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लालसोट में जहां नई सड़कें बनने की आवश्यकता है उनको देखा जावे और सर्वे कराया जावे। इसलिये मेरा सुझाव है लालसोट से तुंगा होती हुई चाकसू तक सड़क बनवाने का है दूसरा मेरा सुझाव है वाटिका रोड को चावच से मिलाने का। इसके अलावा फागी से चाकसू सड़क बनी उस पर जो नाला नहीं बनाया हुआ है उसको बनाया जावे। अच्छा। अब एक बात और है वह यह है कि गांधीनगर के चौराहे से जो सड़क स्टेशन सांगानेर तक गई है, उस सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि ट्रक उधर से आता है और दूसरा ट्रक इधर से जाता है तो आमने सामने से वे दोनों ट्रक निकल नहीं सकते। एक ट्रक को नीचे उतरना पड़ता है और नीचे भूड़े की वजह से गाड़ी आसानी से नहीं जा सकती। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस सड़क को चौड़ी कराई जावे। इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ी है कि ट्रकों के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस सड़क को इतनी चौड़ी कराई जावे कि जिससे आने वाली और जाने वाली गाड़ी सड़क पर से होकर आसानी से गुजर सके। समय कम होने से मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय, पी. डब्लू. डी. की मांग के सम्बन्ध में जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। जहां तक निर्माण विभाग ने सड़कों के सम्बन्ध में जो काम किया है वह बहुत कम किया है, इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन जो कमी है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा। भीलवाड़ा में आसीन्द तहसील का, जैसा कि राजस्थान सरकार का सुझाव था कि तहसील को जिलों और उप-जिलों, दोनों से मिलाया जावे इस प्रकार के प्रावधानों में हालांकि जिलों को मिलाने में हमारे निर्माण मंत्री ने जब जब उनसे निवे-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

-दन किया, तब तब उन्होंने पूरा सहयोग दिया है मगर फिर भी उसको पूरा नहीं कर पाये। मेरा यह निवेदन है कि जिले को तहसील से मिलाने में अभी ८ मील का टुकड़ा ऐसा पड़ा है जो अभी नहीं बन पाया है और माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस ८ मील के टुकड़े को बनाया जावे ताकि आसींद तहसील भीलवाड़ा से मिल जाती है, इसलिये इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जावे और इसे भीलवाड़ा से मिलाया जावे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि आसीन्द तहसील से गुलाबपुरा को सड़क से मिलाने की तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रावधान रखा गया था मगर अब इसको चौथी योजना में रखा गया है। मगर मैं यह कहूंगा कि दो तीन नदियां इसके बीच में पड़ती हैं और उप-जिला आसीन्द का गुलाबपुरा है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी मिलाया जावे ताकि लोगों को तकलीफ न हो। इसी प्रकार ब्यावर से बदनोर सड़क दूसरी पंच वर्षीय योजना से बराबर चलती आ रही है। मेरा ख्याल है कि यह ४ या ५ मील का टुकड़ा अब बनना बाकी है। आज तीसरी पंच वर्षीय योजना खत्म होने को आई है मगर यह टुकड़ा नहीं बन पाया है। अजमेर की स्टेट के समय में जो टुकड़ा बना था वह भी बरबाद हो गया है। अजमेर व उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्टस का टुकड़ा बरबाद है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सड़क को जल्दी पूरा करके उनको मिलाया जाए।

इसी प्रकार नेशनल हाईवे अजमेर से उदयपुर वाया ब्यावर से आगे भीम पहुंचने में बहुत घुमाव पड़ता है और ऊंचाई पर होकर जाना पड़ता है और बड़ा संकड़ा घाटा है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि नेशनल हाईवे ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए जहां खतरा रहता है एक्सीडेन्ट का। इसलिये ब्यावर से बदनोर होकर भीम चला जावे तो किसी तरह का संकड़ा रास्ता आने की संभावना नहीं है और बदनोर से ब्यावर तक सड़क जो आपके प्लान में है अगर इसको बनाये तो अजमेर से उदयपुर का हाईवे अच्छा हो जावेगा और हमारी सड़कें भी बहुत अच्छी बन जायेंगी। और उसकी वजह से हमारी सड़कें अच्छी चलेंगी।

एक मेरा सुझाव है कि अकाल के समय में हमारे यहां सड़कों का बहुत काम हुआ, ८-१० लाख का सड़कों का काम हमारे यहां हुआ पर वे सड़कें अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, थोड़ा खर्चा और कर दिया जाय मोरीन्डा वगैराह बिकाने का काम-बाकी है वह पूरा कर दिया जाय तो जो काफी सड़कें अकाल के समय में बनाई गईं वे पूरी हो जायेंगी।

मैं थोड़ा सा पी. डब्लू. डी. के श्रमिकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उनको जिस प्रकार की सुविधा कानून के माफिक दी जानी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। उनके लिए ग्रीवान्सेज कमेटी नहीं बनाई गई है, उनके कम्पेन्सेशन के केसेज, एरियर्स के मामले, प्रोविडेन्ट फण्ड के मामले पूर्ण रूप से तय नहीं किये जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलात

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

को जल्दी से जल्दी तय कराया जाय ताकि मजदूरों का काम ठीक तरह से चले।

मैं थोड़ा आसीन्द के थाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आसीन्द में पुलिस का थाना है वह शिवालय में चलता है, इससे वहां के लोगों को बड़ा एतराज है, वहां की पब्लिक ने मुख्य मंत्री महोदय को और दूसरे मंत्रियों को भी निवेदन किया कि इससे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, दूसरे लोग भी आपत्ति करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां थाने के लिए अलग बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जाय।

एस. टी. सी. स्कूल बदनोर के गढ़ में चल रहा है, बदनोर ठाकुर साहब को २ लाख ३० हजार रुपया इसका देना तय हुआ था पर ठाकुर साहब ने इसलिये वह ३० हजार रुपया छोड़ा कि उस गढ़ की मरम्मत कराई जाय, पर आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है; इसलिये मेरा निवेदन है कि गढ़ की मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाय।

पी. डब्लू. डी. के सम्बन्ध में हमारे सभापति महोदय जो इस समय आसन पर बिराजे हुए हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि पी. डब्लू. डी. में ठेकेदारी बन्द होनी चाहिये। ठेकेदारी से जो काम होते हैं उनका यह हाल है कि आगे बनता जाता है और पिछला टुकड़ा बर्बाद होता जाता है क्योंकि २५ पर्सेन्ट ठेकेदार खाता है और कर्मचारी वगैरह खाते हैं, ऐसी पी. डब्लू. डी. की साख है। पी. डब्लू. डी. की इस साख की वजह से सारे काम खराब होते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि डिपार्टमेंटल वर्क कराये जायें, ताकि हमारे काम मजबूत हों।

श्रम विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि श्रम विभाग से ताल्लुक रखने वाली जितनी बातें है, उनसे ऐसा मालूम होता है कि श्रमिकों से श्रम विभाग के अधिकारी दिलचस्पी नहीं रखते, वे इनके हितों से उदासीन रहते हैं। माथुर कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें रखी गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फर्माया कि मिनिमम वेजेज लागू कर दिये जायेंगे पर दो-तीन स्टेट एन्टरप्राइजेज के अलावा इन्हें कहीं लागू नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे स्टेट की फैक्ट्रीज हों, चाहे प्राइवेट फैक्ट्रीज हों श्रम विभाग को चाहिये कि जोर देकर उनमें इनको लागू करवाये।

बहुत सी प्राइवेट फैक्टरीज मजदूरों से प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा काट लेती हैं, पर उनका पी. एफ. का पैसा जमा नहीं कराती हैं। श्रम विभाग की इस ढिलाई की वजह से मजदूरों में असंतोष है, मजदूरों का पैसा काट लिया जाता है, उससे इन्डस्ट्रीज के मालिक फायदा उठाते हैं, सरकार में वे पैसा जमा नहीं कराते। ऐसी इन्डस्ट्रीज के मालिकों को सरकार की तरफ से सजा दिलायी जाय और उनसे मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड का पूरा पैसा जमा करवाया जाय।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

अब मैं थोड़ा सा भीलवाड़ा की माइका माइन्स में काम करने वाले लेबर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां के लेवर को ८-८, १०-१० महीनों का पैसा नहीं मिलता है, यह श्रम विभाग की ढिलाई है कि वह इस ओर तवज्जोह नहीं देता। इसी वजह से हड़तालें होती हैं, मालिक लोग अपना काम चलाते हैं और इन मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माइका माइन्स के लेबरर्स को जल्दी से जल्दी पैसा दिलाने का प्रबन्ध किया जाय।

कोटन फैक्टरीज़ के अन्दर आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, कहीं १२ आना कहीं १) रु० उनको मजदूरी का दिया जाता है जब कि पहले १।।) रु० से कम नहीं था। इसलिये मेरा निवेदन है, खास तौर से आसीन्द की कोटन फैक्टरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दो-सौ ढाई-सौ आदमी आसीन्द की कोटन फैक्टरी में काम करते हैं, वहां न फैक्टरी इन्स्पेक्टर जाता है और न कोई और श्रम विभाग अधिकारी जाता है, वहां का बोइलर फटा हुआ है पर उसको देखने न फैक्ट्री इन्स्पेक्टर जाता है और न कोई दूसरा अधिकारी। कोई इन्स्पेक्टर या अधिकारी जाते हैं तो चाय पानी पीकर चले आते हैं.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ऐसे कौन से इन्स्पेक्टर हैं जो चाय-पानी पीकर चले आते हैं? यहां यह शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री गिरधारीलाल व्यास : भीलवाड़ा से यह ताल्लुक रखता है तो वहीं के हो सकते हैं, राजस्थान की और जगहों के थोड़े ही जाते हैं।

ऐसे इन्स्पेक्टरों के खिलाफ, सख्त से सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिये। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह श्रम विभाग की बहुत बड़ी ढिलाई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां के मजदूरों ने अपनी डिमाण्ड्स रखीं, लेबर विभाग के सामने दो साल से उनकी डिमाण्ड्स पैंडिंग हैं, पर कोई फैसला नहीं करवाया गया.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि....

श्री सभापति : आप काफी निवेदन कर चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन मजदूरों की डिमाड्स को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाना चाहिये। मेरे पास उन डिमाण्ड्स की लिस्ट है, वह लिस्ट मैं यहां पेश कर सकता हूं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना फैसला जल्दी से जल्दी श्रम विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय और सार्वजनिक विभाग की मांगों के बारे में जो बहस चल रही है मैं सबसे पहले श्रम मंत्रालय के बारे में व राजस्थान के श्रमिकों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा।

राजस्थान के श्रमिकों का दुर्भाग्य है कि पहले १५ साल से जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब ही से यह मंत्रालय बहुत ही इनइफेक्टिव रहा है। इस मंत्रालय के मन्त्री महोदय जो कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कहूं; न हमारी पार्टी की नीति रही है और न मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कहूं, पर राजस्थान के श्रमिकों की समस्या ऐसी है कि मन्त्री महोदय के तत्वावधान में उनका कोई हल नहीं हो रहा है।

आज सुबह मंत्रीजी लोकवाणी के कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने नो ट्रस्ट अवार्ड का कहा....

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : No trust award ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am sorry उन्होंने कहा, No dispute award हो गया। मैंने भी सोचा कि हमको जानकारी नहीं है वास्तव में हमें क्या होगा, "नो डिस्प्यूट अवार्ड"। पर जानकारी की, तो पता चला कि "नो डिस्प्यूट अवार्ड" नहीं हुआ है, सेटलमैंट अलाउ हुआ है।

श्री भीखाभाई : जो मैं कह रहा था वही आप कह रहे हैं, मैं टेक्निकली कह रहा था, आप टेक्निकली नहीं कह रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नो डिस्प्यूट के टेक्निकल मीनिंग को मन्त्री महोदय अन्डरस्टेन्ड नहीं करना चाहते। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में दैनिक अखबार हैं; उसके वर्कर, कम्पोजीटर्स हड़ताल करें, उनकी सुनवाई नहीं हो, वह भी ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं हो जो कांग्रेस के खुद पदाधिकारी हैं, जिनकी कांग्रेस में प्रतिष्ठा है, श्री प्रवीणचन्द्र छाबड़ा, राजस्थान का कोई मंत्री नहीं होगा जो उससे परिचित नहीं हो, श्रम मंत्री महोदय से भी उन्हें बड़ा स्नेह है, उनके तत्वावधान में, उनके नेतृत्व में हड़ताल हो और उनका प्रश्न हल नहीं हो, उनकी सुनवाई नहीं होतो और क्या उम्मीद रख सकता है। ६१ जुलाई तक तो कान्सीलियेशन फेल होता है

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके लेबर ऑफिसर्स ने एक एक महीने की तारीखें कन्सीलिएशन के दौरान में दी हैं। कौनसा कानून जस्टीफाई करता है? १४ दिन के अंदर कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्ज समाप्त होनी चाहिए लेकिन आपके अधिकारी तारीखें देते हैं एक एक महीने की और आप कहते हैं कि यह तो उनकी कन्सेंट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

से हुआ है। यह प्रश्न नहीं है। कानून को तोड़ने में कन्सेंट नहीं ली जाती। ३१ जुलाई को जो कन्सीलिएशन फेल हुआ उसकी जब तक हड़ताल नहीं की गई तब तक अधिकारियों ने उसकी फेल्योर रिपोर्ट सरकार को नहीं दी, १० सितम्बर को रिपोर्ट दी है। मैं पूछता हूं कि आपने उस संबंध में क्या किया ? करीब २०–२१ सितम्बर को वह मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया लेकिन हड़ताल करनी पड़ी और राजस्थान के जयपुर शहर में जहां संगठित व लोकल लोग हैं, उन मजदूरों की स्थिति यह है तो दूसरे मजदूरों की क्या होगी ?

एक सवाल बहुत समय से चल रहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स का जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत सेन्टर ने जो सुविधाएं उनको दी हैं, क्या राजस्थान के पत्र उनको एन्जोय करते हैं ? लेकिन मंत्री महोदय के पास कोई जवाब नहीं है। राजस्थान में एक भी ऐसा अखबार नहीं है; दैनिक पत्र जिसका कैटेगेराइजेशन आपके डिपार्टमेंट ने किया हो, जिसका वेरीफिकेशन किया हो, जिसकी ग्रोस रेवेन्यू को प्रसेस करके कि यह फलानी कैटेगरी के अंदर अखबार आता है। यदि वह कैटेगोराइजेशन हो जाय तो दैनिक पत्रों के कर्मचारियों को १५ से २५ रुपये मासिक तक फायदा हो सकता है। लेकिन जब तक भीखाभाई मंत्री हैं और नीचे जिस तरह से इनकॉम्पीटेन्ट मशीनरी है तब तक राजस्थान के पत्रकारों को और श्रमिकों को कोई फायदा नहीं मिल सकता।

मिनिमम वेजेज के तहत जो तीन नोटीफिकेशन्स २४ फरवरी को जारी किए गए, ताज्जुब की बात है कि हिंदी के भाषण में राज्यपाल महोदय कहते हैं कि जो भी परिशिष्ट (शिड्यूल्ड) एम्प्लॉयमेंट्स हैं, उनमें हमने रिवाइज्ड रेट्स लागू कर दिए हैं और अंग्रेजी के भाषण में राज्यपाल महोदय क्या कहते हैं ; उसमें कहते हैं। "will be enforced", लागू कर दिए जायेंगे। अंग्रेजी में राज्यपाल महोदय कुछ कहें, हिन्दी में कुछ कहें। माननीय सदस्यों को क्योंकि हिंदी में भाषण बांटा गया इसलिए उसकी खाना पूर्ति के लिए २६ फरवरी को कैबीनेट की मीटिंग करके रिट्रोस्पेक्टव तारीखों से २४ फरवरी से नोटीफिकेशन लागू किया गया। इस तरह की फंक्शनिंग सरकार की है। जहां सरकार खुद फ्रॉड करे, गलत तारीखें देकर नोटीफिकेशन जारी करे, उस सरकार की क्या प्रतिष्ठा हो सकती है जो खुद गजट नोटीफिकेशन्स में फ्रॉड करती है ...

श्री भीखाभाई : किसने कहा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा चैलेंज है।

श्री भीखाभाई : जो २४ तारीख को भाषण हुआ है उसके पहले हमने निर्णय ले लिया है। दूसरी बात, जब सरकार ब्रॉड पॉलिसी पर डिसीजन लेती है, वह प्रश्न अलग है कि मई के अन्दर उसका एन्फोर्समेंट होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एन्फोर्समेंट का सवाल नहीं है।

श्री भीखाभाई : The question is whether the Government. had made up its mind.

श्री रामानन्द अग्रवाल : But he says that the Govt. had not made up mind.

श्री भीखाभाई : The Gabinet memo was already there.

श्री मानिकचन्द सुराणा : It is a fraud.

यदि आपकी कैबीनेट प्रोसीडिंग्ज़ सदन में पेश कर दूं तो फिर आप इस्तीफा देने को तैयार हैं ? (श्री मथुरादास माथुर से) आप उनसे एक्सेप्ट करवाइए । I shall prove to the hilt कि २६ फरवरी को कैबीनेट में यह पास हुआ ।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ, उससे पहले सरकार ने डिसीज़न ले लिया था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि श्रम मन्त्री जिसके विभाग के तहत नोटीफिकेशन छपता है, कह दे कि वे इस्तीफा दे देंगे तो मैं कैबीनेट प्रोसीडिंग्ज़ इस सदन में पेश करने को तैयार हूं ।

श्री भीखाभाई : यह सवाल नहीं है । सवाल है कि सरकार ने कब डिसीज़न लिया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कह रहा हूं कि सरकार ने २६ फरवरी को डिसीज़न लिया ।

श्री भीखाभाई : No, this is all rejected. I have already stated that the decision was taken on 24th.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Then why don't you accept the challenge ?

श्री भीखाभाई : I want to throw any challnge.

श्री हरिश्चन्द्र : चैलेंजेज़ और काउंटर चैलेंजेज का सवाल नहीं है । हमने उत्तर दिया कि राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ उससे पहले सरकार ने डिसीज़न ले लिया ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप हमारा इस्तीफा चाहते हैं या इस विषय पर कोई बात करना चाहते हैं । हमने पहले भी कह दिया, श्रम मन्त्री ने कह दिया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले राज्य सरकार ने डिसीज़न ले लिया था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अंग्रेजी के भाषण में राज्यपाल महोदय कहते है, "Will be enforced" हिंदी में कहा है कि "कर दिया गया है" हिंदी और अंग्रेजी में फर्क है ।

श्री भीखाभाई : मुझे अपनी बात कहने दी जाय । मैं भी लॉ जानता हूं, आप वकील रहे हैं और हम भी मजिस्ट्रेट रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो निवेदन करता हूं कि सरकार के वर्शन को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करेक्ट मान लिया जाय। सरकार कहती है कि २४ फरवरी से लागू किए गए हैं तो उसको क्या राइट है कि नोटीफिकेशन को १ मई से परिवर्तित करें ?

श्री मथुरादास माथुर : दो-दो, तीन-तीन महीने के अन्दर तक लागू किया जाता है। जब तक सरकार इस बात का निर्णय न करे कि इसको इमीजियेटली लागू किया जाय, नोटीफिकेशन के तीन महीने बाद लागू होता है। यह कानून की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नोटीफिकेशन और कानून की बात नहीं है। कानून की बारीकी की बात नहीं है। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि परिवर्तित दरें लागू की गई हैं और उसके बाद में २४ फरवरी का नोटीफिकेशन कहता है:—

"This Notification shall come into force on and from 1st May, 1965."

श्री मथुरादास माथुर : कोई फर्क नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : है, आपको नहीं लग रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर श्री रामानन्द ताईद करें कि इसका यह मतलब नहीं है कि this is presumed to have been enforced on the very day......

श्री मानिकचन्द सुराणा No, Sir, this drafting is incomplete.

श्री मथुरादास माथुर : आज हम कह दें कि रूट्स को नेशनलाइज हमने कर दिया है; इसका मतलब ६ वीक्स के बाद में ऑपरेशन में आ जायगा। लॉ पढ़ लीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि सरकार की मन्शा १ मई, १९६५ से लागू करने की थी तो मैं समझता हूं कि उसके पास कोई अच्छी लेंग्वेज हो सकती थी जिससे १-५-६५ की सेन्स कन्वे हो जाती, लेकिन ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में कुछ, हिन्दी में कुछ और लागू करने की तारीख कुछ। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जाहिर करती हैं कि कोई भी निर्णय दृढ़ता के साथ में श्रम मंत्रालय द्वारा नहीं लिया जाता है। मिनिमम वेजेज की जो शिड्यूल्ड एम्प्लोयमेंट्स हैं, मैं श्रम मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि इसका स्कोप बढ़ाया जाय। होटलों में लड़के काम करते हैं, कोई मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल नहीं हैं। वूल इंडस्ट्री में हजारों मजदूर काम करते हैं; ब्यावर में, बीकानेर में, जैसलमेर और जोधपुर में, उन मजदूरों के लिए कोई मिनिमम वेजेज नहीं हैं। ऊन मजदूरों के लिए अखबार में नोटिफिकेशन किया गया था, ऑब्जेक्शन्स मंगाए गए, उसके बाद में नोटिफिकेशन विथड्रा किया गया।

मैं दुबारा श्रम मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसके स्कोप को वाइडन करने के लिए राज्य सरकार को बहुत

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गम्भीरता से विचार करना चाहिये और ऊन उद्योग, होटल इन्डस्ट्री और छोटे २ उद्योग हैं जिनमें स्केटर्ड मजदूर हैं, जो अपने आपको ओर्गेनाइज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू करना चाहिये और उनको भी शिड्यूल्ड इन्डस्ट्री में शामिल करना चाहिये।

पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ के केसेज़ का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सिटी मजिस्ट्रेस को पॉवर्स दिये गये हैं कि वे उन केसेज़ को सुनें। इससे होता क्या है कि स्पीडिशियली जो केसेज़ का डिस्पोज़ल होना चाहिये वह नहीं होता है। दो-दो, तीन-तीन महीने की तारीखें साधारणतया पड़ती हैं और मजदूर बेचारा अपनी तनख्वाहों के लिए, जो कानून के विरुद्ध काट ली गई हैं डेढ़-डेढ़ साल, दो-दो साल तक अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। क्या राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती कि ऐसे अधिकारी को अधिकार दिये जांय कि इस तरह की समेरी पिटीशन्स हों उनका एक महीने के भीतर २ डिसीज़न दे दे। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री भीखाभाई : सुझाव भी दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी एक अफसर को आप यह अधिकार दे दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप लेबर ऑफिसर्स को पॉवर दे दीजिये जिससे लेबर ऑफिसर्स की प्रतिष्ठा बढ़ेगी उनका सम्मान बढ़ेगा और उनका कन्सीलियेशन्स की दूसरी प्रोसिडिंग्ज़ में भी इन्फ्लुएन्स भी पड़ेगा।

खेद का विषय यह है कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और स्टेंडिंग ऑर्डर्स की सेंक्शन लेबर डिपार्टमेंट मांगता है तो समय पर उनकी सेंक्शन नहीं मिलती। साल साल भर आपके कब्जे में पड़ी रहती है क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली लोग उनमें इन्वोल्व होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी केस हो, जिस किसी केस में लेबर डिपार्टमेंट किसी के प्रोसिक्युशन के लिए सैन्कशन मांगता है तो मंत्री महोदय उसकी सैन्कशन एक महीने के भीतर भीतर दे दें, नहीं तो सेक्रेटरीज़ को यह अधिकार दे दें यदि मंत्रीजी एक महीने में उसकी सैंक्शन न दे सकें क्योंकि उन्हें इसकी फुरसत नहीं रहती, जिससे ऑटोमेटिकल उन केसेज़ की सैन्कशन हो जावे। डिपार्टमेंट कहता है, एग्रीमेन्ट ब्रीच हो जाता है तो उस पर अधिक सोचने की बात नहीं है। तो इस मामले में भी राज्य सरकार को अपना दृष्टिकोण जो प्रोसिक्युशन की सैन्क्शन देने का है उसको बदलना चाहिये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, ताज्जुब यह होता है कि जिस माथुर कमेटी का हो-हल्ला इतना राजस्थान में हो रहा है और उसकी रिकमन्डेशन्स को लेकर लेफ्ट पार्टीज़ भी जोर जोर से कह रही हैं कि उनको फौरन लागू किया जाय जब कि माथुर कमेटी ने कोई नये प्रिन्सिपल्स नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दे दिये हैं। जो लेबर लॉज में इन्कोर्पोरेटेड प्रिन्सिपल्स हैं उससे अधिक माथुर कमेटी की सिफारिशें नहीं हैं, बल्कि वे तो रीएक्शनरी हैं। मिनिमम वेजेज़ एक्ट यह कहता है कि मूल्यों में वृद्धि हो तो मिनिमम वेजेज़ एक लेबर को मिल रहे हैं उसका सेन्ट परसेन्ट न्युट्रलाइजेशन होना चाहिए। यही सिद्धांत मिनिमम वेजेज़ कानून में अब भी सन्निहित हैं, कायम हैं। लेकिन क्या कहती है माथुर कमेटी ? माथुर कमेटी यह कहती है कि चाहे न्यूनतम वेतन ६० रुपये हो न्यूनतम से सबसे न्यूनतम वेतन राजस्थान में ३३।।।) रुपया है और 'सी' क्लास म्युनिसिपैलिटी में है उसका न्युट्रलाइजेशन मिनिमम वेजेज़ यानी ६०) पर नहीं होगा बल्कि माथुर कमेटी की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम से न्यूनतम यानी ३३।।।) पर होगा। यह न्युट्रलाइजेशन मिनिमम वेजेज एक्ट के खिलाफ है। यह एक्शनरी है, रिट्रोगेट है। एक कदम पीछे है, आगे नहीं है। इसलिए सरकार जब इस रिकमन्डेशन को मंजूर करे तो यह भी देखना चाहिये कि मिनिमम वेजेज एक्ट का जो सिद्धांत है, हालांकि वह सिफारिशें उनके आधार पर नहीं हैं और एक कदम पीछे है, प्रत्येक इन्डस्ट्री में न्युट्रलाइजेशन सेन्ट परसेन्ट सिद्धांत पर स्वीकृत करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं केवल तीन मिनट के लिए पी. डब्ल्यू. डी. पर निवेदन करना चाहूंगा। श्रम को यहीं पर छोड़ देता हूं।

जहां तक, सभापति महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. का सम्बन्ध है, मैं कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात इस विभाग के विषय में, चूंकि समय का अभाव है, नहीं कह सकता। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी, जो इस समय यहां मौजूद नहीं है, से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में १३ करोड़ की योजना बनायी थी फिर कोर ऑफ दी प्लान में उसको ९ करोड़ की बना दी। जिस स्पीड से चल रहे हैं उसको देखते हुए ९ करोड़ सार्वजनिक निर्माण प्लान में खर्च नहीं हो सकते। ९ करोड़ को विभिन्न जिलों में किस प्रकार वितरित किया गया है यह भी बहुत ही विचारणीय बात है। मैं उदाहरण के तौर पर केवल जैसलमेर और बीकानेर के जिलों का ही नाम लेना चाहता हूं। एक जिले में तो एक प्रतिशत ०.५ का खर्च किया है और बीकानेर में १।। प्रतिशत के करीब। ९ करोड़ में से ९ लाख जैसलमेर में और १३।। लाख बीकानेर जिले में खर्च कर रहे हैं। आप पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को देखेंगे कि इन जिलों के साथ उचित व्यवहार न पहली और दूसरी योजना में हुआ है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी समुचित व्यवहार नहीं किया गया है। बीकानेर से बाप को जो रोड है उसको बिलकुल नेग्लेक्ट किया गया है। बीकानेर में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कंकर बिछाने का प्रस्ताव था उस पर ८० हजार और ५० हजार एक बार खर्च किये हैं। पांच–छः लाख जब तक खर्च नहीं हो जाते यह काम पूरा नहीं होगा। यह सड़क बीकानेर को जैसलमेर से मिलाती है और यह डिफेन्स की नीड को भी पूरा करेगी। इस पर भी व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं किया गया है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फैमीन में जो रोड्स बनायी गई हैं उन रोड्स को आज तक पी. डब्ल्यू. डी. के विभाग को ट्रान्सफर नहीं किया गया है जब कि इनका ट्रान्सफर होना अत्यधिक आवश्यक है। एक करोड़ का प्रावधान इन सड़कों को पूरा करने के लिए है। जहां मिट्टी गिर गयी है वहां मिट्टी डलवानी है। एक तरफ बीस मील और दूसरी तरफ भी बीस मील की सड़क बनी है लेकिन बीच के जो पांच–पांच, दस–दस मील के टुकड़े छूट गये हैं उनके लिए भी एक करोड़ का प्रावधान करना चाहिये। कुल मिला कर इन पर दो करोड़ रुपयों का प्रावधान कर देना चाहिये और इनको पूरा करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा–रामगढ़) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर मेरा कटमोशन है। मैं उस पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो अनियमिततायें होती हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी ठेके दिये जाते हैं उन ठेकों में परसेन्टेज चलता है। इसके कारण निर्माण कार्य ठीक तरह से पूरे नहीं हो पाते और जल्दी ही खराब और नष्ट हो जाते हैं। यह जो भ्रष्टाचार की नीति है कि दस परसेन्ट किसी का बंधा हुआ, पांच परसेन्ट किसी का बंधा हुआ, तीन परसेन्ट, दो परसेन्ट किसी का बन्धा हुआ है, जब तक इसकी समाप्ति नहीं होगी तब तक निर्माण का कार्य कोई भी ठीक समय में पूरा नहीं होगा और मजबूत भी नहीं होगा। इससे होता क्या है कि सरकार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ठेकेदार जिन अधिकारियों को देता है कुछ तो उसको काम मिलता है तब जाकर वह अपना दिया हुआ पैसा भी निकाल लेता है और मुनाफा भी लेता है। यदि इस प्रकार कार्य होता रहा तो काम भी ठीक समय पर नहीं होगा और कोई भी कार्य मजबूत नहीं होगा। जो भी काम हो, सड़क हो तो कम से कम वह पांच–दस साल के लिए कायम रहनी चाहिये बिना टूटे हुए, तब तक माना जाय कि कोई काम हुआ है। आज यह हालत होती है कि आज काम बनता है और साल, डेढ़ साल बाद वह काम समाप्त हो जाता है, टूट जाता है और उस पर फिर खर्च करना पड़ता है, इससे सरकार का पैसा बर्बाद होता है। इसलिए सरकार को यह देखना चाहिये कि किसको यह काम दिया और किस अधिकारी ने इसको देखा और किस कारण से यह इतना जल्दी टूट गया, किसकी इसमें गलती है ? किसने सरकार के पैसों का गबन किया है ? किसने गलती की है ? जब तक सरकार इस पर नहीं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सोचेगी तब तक सरकार का लाखों–करोड़ों रुपया इसी प्रकार बर्बाद होता रहेगा। इस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये।

ठेकेदारी प्रथा के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रथा को खत्म किया जाय। गलत काम इस प्रथा के जरिये से ही होते हैं। श्रम सोसाइटीज़ आपने कायम की हैं, उनको ज्यादातर ठेका दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो और उस पर बराबर देखरेख हो तो ये श्रमिकों के लिये काफी लाभदायक हो सकती हैं।

सभापति महोदय, जो निर्माण कार्य होते हैं वह क्षेत्रीय भावना के आधार पर किये जाते हैं, मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्रीय भावना को छोड़ कर जहां भी आवश्यक हो और जरूरी हो उस क्षेत्र में पहले कार्य किया जाना चाहिये।

अब मैं जमवा–रामगढ़ क्षेत्र के लिये कुछ सुझाव देता हूं, सड़कों के निर्माण के बारे में। जयपुर और जमवा–रामगढ़ के बीच में दो पुल हैं एक तो ढूंड नदी का और दूसरा बांडी नदी का। बरसात के दिनों में ट्राफिक मुसाफिरों को इधर उधर रुक जाना पड़ता है और वह भी दो-दो, तीन-तीन दिन तक जब तक पानी नहीं उतरता उसको पार नहीं कर सकते, इसलिये इन दोनों नदियों पर पुल बनना आवश्यक है।

दूसरा, पंचायत समिति जमवा-रामगढ और आमेर के बीच में बान्डी नदी आती है। उसके ऊपर पुल बनाकर आमेर से जोड़ दिया जाय तो वहां के लोगों के लिये बहुत आसानी होगी। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि बांडी नदी चौमू रोड के पास से चोंप, बगवाड़ा, मानपुरा, बिलूची, चीताणू होता हुआ रोड चन्दबाजी से जोड़ दिया जाय तो बहुत उपयुक्त होगा।

नायला से बूज, खरकड़ा, पालड़ी, रानी जी का सबा होता हुआ नकटी घाटी तक रोड बनाया जावे।

चौथा रथल से भावणी होती हुई रायसर तक सड़क बनायी जावे।

पांचवी स्यारी घाटी से अचरोल के पास होकर ताला, जयचन्दपुरा, घटवाड़ी, बोबाड़ी, धोला होती हुई परताबगढ़ डामर रोड बनायी जाय। दूसरा मेरा निवेदन है कि ताला में पीर का जो मेला लगता है उसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। वहां सड़क के न होने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पंचायत समिति से भी इस सड़क के लिये छः हजार रुपया मिला था वह रकम कम होने के कारण काम नहीं आई और वापस लौटा दी गई; अब इस पर सरकार को जरूर जरूर ध्यान देना चाहिये।

ढंड से एक सड़क मानपुर कलां को गई है इस पर भी डामर होना चाहिये।

रामगढ़ से आंधी तक थोडी थोड़ी दूरी पर सड़क खराब पड़ी है। यह सड़क डागरवाड़ा थली होकर सैंथल जाती है इस

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

पर भी डामर होना चाहिये। इस क्षेत्र की ओर पूरा ध्यान दिया जावे क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर गत पन्द्रह सालों में कहीं भी सड़क नहीं बनाई गई। आशा है, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर जिन जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया उन पर कार्य आरम्भ करवायेंगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में भवनों और सड़कों की मरम्मत न करवाने पर चर्चा के लिये कटौती का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर बांसवाड़ा एक दक्षिणी जिला है और वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बांसवाड़ा जिला आदिवासी क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अब मैं जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिला चारों से तरफ पहाड़ी इलाका है, नदियों से घिरा हुआ है, जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो नदियों के कारण वह एक टापू सा बन जाता है।

रतलाम से बांसवाड़ा सड़क कम्प्लीट है, गढ़ी तक कम्प्लीट है, बीच में दो पुलिया नहीं बनी हैं; जिसको फर्स्ट क्लास सड़क गिनते हैं, उसमें न तो उस पर डामर होता है, जहां डामर हो भी गया हैवह पानी से धुल जाता है। पन्द्रह बीस बसें रोज चलती हैं। उस सड़क पर टैक्सी और बसें आती जाती हैं लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं होती।

डूंगरपुर से माही तक सड़क कम्प्लीट है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रतलाम से डूंगरपुर हाई-वे पर आता है लेकिन माही पर पुल नहीं है इसके कारण यात्रियों को एक तरफ रुक जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में वह छः महीनों तक हाईवे से कट-ऑफ हो जाता है।

गढ़ी से गलियाकोट दस-बारह मील का टुकड़ा है। वहां पर इन्डिया के बाहर के लोग आते हैं। गढ़ी से गलियाकोट यात्री लोग विदेशों से आते हैं, कच्ची सड़क है इसलिये आने-जाने में ज्यादा तकलीफ होती है, वसेज रास्ते में पड़ी रहती हैं। ५७ से, जब से मैं इस विधान सभा में आया हूं, मैं मांग कर रहा हूं, सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं, फिर भी इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस ग्यारह मील के टुकड़े को प्लान में ले लिया जाय।

इसके अलावा कुशलकोट से मोंना डूंगर सड़क मिलती है वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के अन्दर में है। इस पर एक मील की सड़क भी नहीं बनी है। यहां से कलकत्ता, बम्बई के यात्री लोग आते हैं। बड़ी मुश्किल से इस सड़क से निकलते हैं। अतः सड़क के टुकड़ों को भी बनवाया जाय।

बांसवाड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के उत्थान के लिये, बच्चों को पढ़ाने

(श्री नाथूराम)

के लिये स्कूल भवन बनने चाहिये। प्राइमरी शालाओं के भवन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट द्वारा बनाये जायं, माध्यमिक शालाओं के भवन भी सरकार को बनाने चाहिये क्योंकि उस क्षेत्र में ६० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। वहां पर माध्यमिक शालाओं के भवन अधूरे पड़े हैं, वर्षा के दिनों में छुट्टी दे दी जाती है, गरमी में खुली जगह में पढ़ना पड़ता है। थोड़ी रकम और पचास हजार का श्रमदान एवं रकम करके लोगों ने भवन बनाये हैं वे भी अपूर्ण पड़े हैं, उन भवनों को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनवाना चाहिये।

पंचायत समिति गढ़ी में स्कूल भवन है वे भी अधूरे हैं उनको भी सरकार को पूर्ण कराना चाहिये। गढ़ी दुष्काल ग्रसित क्षेत्र है, जहां पर दुष्काल घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक सड़कों का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। सारी तहसील को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है लेकिन एक भी सड़क का काम शुरू नहीं किया है। काम आरम्भ करके गरीब मजदूरों को मंजदूरी देनी चाहिये।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीं सभापति : माननीय मन्त्री।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, चालीस पर्सेन्स की हमारी पार्टी है उसको सिर्फ बीस मिनट ही दिये गये हैं, यह हमारी पार्टी के साथ बड़ा अन्याय है। माननीय मन्त्री एक घंटे के बाद भी जवाब दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : आपके दल के तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मैं शुरू करूं, सभापति महोदय।

श्री मानसिंह महार : हमारी पार्टी के साथ यह अन्याय है।

श्री सभापति : पहले ही यह तय हो गया था कि चार बजे से गवर्नमेंट का जवाब होगा।

समय के अनुपात से सब पार्टीज़ को समय मिल गया है।

श्री मानसिंह महार : आप यही फैसला देते हैं तो हमें मन्जूर है। दूसरे दलों को जितना समय मिला है उतना ही हमें दिया गया है ? कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्य हैं उनको २५ से ३० मिनट दिये गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं घोर अन्याय हुआ है, क्या आप इसको सही मानते हैं ?

श्री मानसिंह महार : हमारी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार होता है, यह ठीक नहीं है।

(४.०० म० प०)

श्री सभापति : माननीय

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, आधे घण्टे के लिये समय बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : अगर सदन की ऐसी सम्मति है कि समय बढ़ाया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : इसका निर्णय हो चुका है।

श्री हरिश्चन्द्र : चार बजे सरकार का रिप्लाई शुरू हो जावेगा, यह तय हो गया था।

श्री मानसिंह महार : इस प्रकार का मन्त्री महोदय का रवैया उचित नहीं है। अगर आप हमको नहीं सुनना चाहते हैं तो हम भी आपको सुनना पसन्द नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि चूंकि समय इस साल एक दिन कम रखा गया है इसलिये आज कुछ समय बढ़ा दिया जावे तो सरकार को ऐतराज नहीं करना चाहिये।

श्री मो[illegible]लाल सारस्वत (रतनगढ़) : बिजने[illegible] कमेटी में हमने गवर्न-[illegible]ने के लिये यूजुअल से [illegible]० दिन के बजाय [illegible] सरकार को भी [illegible]की स्पिरिट [illegible] हमने [illegible]

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कल जब हैल्थ मिनिस्टिर साहब जवाब दे रहे थे, उन्होंने दो घंटे तक सदन को बोर किया। हम हाथ जोड़ते ही रहे। पर उनके लिये तो समय बढ़ा दिया गया एक घंटा और भी बाद में एक घंटा बढ़ा दिया गया और हम आधा घंटे की भी मांग करें तो आप हमें इन्कार करें! तो खैर आपकी मर्जी है, पर सभापित महोदय, ऐसा तो नहीं होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : कार्य सलाहकार समिति में दोनों प्रश्नों पर तय हो चुका है और आज के लिये आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय.......

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं पुन: निवेदन करूंगा कि निरंजननाथ जी आचार्य फरमाते हैं, पर कल वे नहीं फर्मा रहे थे तो गलत बात अगर सदन में इस तरह होती है तो हम विरोध करेंगे। फिर भी मैं नहीं चाहता कि उनकी बातें न सुनें और सदन से उठ कर चले जावें। हम निर्माण मन्त्री को सुनना चाहते हैं। पर मैं निवेदन करूं कि यहां इस प्रकार की जिद नहीं होनी चाहिये कि हमें आधा घंटा भी नहीं दिया जाय, जबकि कल हमने दो घंटे तक उनको सुना अधिक।

श्री हरिश्चन्द्र : इस बारे में सफाई तो हो चुकी थी।

श्री मानसिंह महार : कल भी यही हुआ था।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या फर्क पड़ जाता है।

श्री सभापति : सदन की मंशा हो तो बढ़ाया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह परम्परा डालना चाहती है कि जो समय एक बार बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने तय कर दिया वह किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकता?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आॅर्डिनरिली नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस दिन के बजाय ६ दिन रक्खे हमने उसको एकोमोडेट किया है; आपने कल समय बढ़ाने के लिए कहा, हमने एकोमोडेट किया है, आज हम आधा घण्टा के लिए कहते हैं तो आप "आॅर्डिनरिली" कह कर एकोमोडेट करने को तैयार नहीं !

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, इस बहस के बाद भी हमें काम करना पड़ता है, इस वास्ते यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टाइम मुकर्रर किया गया था उसको स्टिक किया जावे। चार बजे सरकारी उत्तर शुरू हो जावे और पांच बजे समाप्त हो जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पैसा तुम्हारे पास नहीं, उसमें कटौती करते हो, समय में क्यों कटौती करते हो ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप किसी एक आदमी को एकोमोडेट करना चाहते हों तो मुझे ऐतराज नहीं।

श्री सभापति : एक सदस्य हैं श्री चौसरसिंहजी, उनको बोलने का मौका दिया जावे। आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : सभापति महोदय, मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक...

श्री रावतराम (सादूलपुर) : हमें भी मौका नहीं मिला है, सभापति, बोलने का।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही सदस्य के लिए समय दिया गया है।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। चित्तौड़ जिले में बेंगू से नदवई जाने वाली सड़क का ७ मील का टुकड़ा है; इसे मिलाने के लिए कई बार निवेदन किया गया था पर अभी तक नहीं मिला। इससे काफी तकलीफ पड़ती है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जावे।

वहां के लोगों ने १५–२० हजार का श्रमदान भी इसके लिए किया और चेचट से बेंगू आने वाली सड़क पर भी श्रमदान हुआ है। इस पर ध्यान दिया जावे।

इसी तरह से चित्तौड़ से राणा प्रतापसागर वाया पालनपुर के रास्ते तक २ मील का टुकड़ा पड़ता है। इसके अभाव में ८ मील का चक्कर खाकर जाना पड़ता है।

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

काफी समय भी खराब होता है तो इसलिये इसको वहां से मिलाने के लिए इस दो मील के टुकड़े पर ध्यान दिया जावे।

बेगूं एस. डी. ओ. का स्थान हैं, डाक बंगला नहीं है; और जगह है, वहां भी होना चाहिये।

इस तरह से इस विभाग में ठेकेदारी प्रथा से भ्रष्टाचार को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। दिन दहाड़े सरकारी पैसे पर डाका डाला जाता है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा इन ठेकेदारों के जरिये काफी पैसा कमीशन के रूप में एक दूसरे के पास पहुंचता है। इसलिये इस पर भी गौर फरमाया जावे। इस प्रथा को बन्द करने से भ्रष्टाचार बन्द हो सकता।

बस इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर आज सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर बहस की गई

वैसे यह ऐसा महकमा है कि जो हरेक माननीय सदस्य से जुड़ा हुआ है। हर माननीय सदस्य सड़क के जरिये यह चाहता है कि कम से कम उनके अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कें बनें और सरकार भी यह प्रयास करती है कि राजस्थान की हालत को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जावें।

लेकिन इसमें कई बाधाएं भी आती हैं और सबसे बड़ी मुख्य बाधा अर्थ की कमी है। मैं चन्द आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों को विदित हो कि सड़कों के महकमे में जिस हिसाब से धन उपलब्ध होना चाहिये था वह नहीं हो पाया।

यह जरूर है कि राजस्थान की आर्थिक उन्नति के लिये सड़कें ज्यादा से ज्यादा बनें, लेकिन ख्वाहिश होते हुए भी कई चीजें हम नहीं कर पाते।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ४३ में एक नागपुर प्लान के जरिये २० साल की सड़कों का एक प्लान बनाया गया। इस बीस साल के प्लान में यह टार्गेट रखा गया था कि कम से कम २६ मील सड़क १०० वर्ग मील के अन्दर बन जानी चाहिये।

राजस्थान उस वक्त काफी पिछड़ा हुआ था तो उस टार्गेट को एचीव करने के लिए धनराशि काफी मात्रा में उपलब्ध होती तो वह टार्गेट हम एचीव कर पाते, लेकिन राजस्थान के हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड को देखते हुए और इकोनोमिक बैकवर्डनैस को देखते हुए यह संभव नहीं था कि हम उस टार्गेट को इतने कम समय में हासिल कर सकते। अभी तक जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो पाये हैं उसके मैं आंकड़े रखना चाहता हूं। राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक उस नागपुर प्लान का ५० प्रतिशत हम एचीव कर पाये हैं, यानी २६ मील पर-हन्ड्रेड स्क्वायर माइल के अन्दर रोड बन जानी चाहिये थी, उसके बजाय हम करीब १२-१३ माइल पर-हन्ड्रेड स्क्वायर माइल एचीव कर पाये हैं। जो टार्गेट्स हमारे उस हिसाब से होने चाहिये

(श्री हरिश्चन्द्र)

थे, सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में ३४,२०० मील लम्बी सड़कें बन जानी चाहिये थीं; लेकिन हम बना पाये सिर्फ १६७४४, और ये सारी सड़कें हैं जिसमें सर्फेस वाली आ गईं; मेटल्ड आ गईं, ग्रेविल रोड्स आ गईं और फेयर वेदर रोड्स आ गईं।

श्री भैरोंसिंह : पुरानी भी आ गई?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मैं आगे बताऊंगा। पुरानी नहीं हैं। सैकन्ड प्लान के अन्त तक कह रहा हूं मैं।

जो सर्फेस रोड्स थीं उनकी माइलेज होनी चाहिए थी करीब १५,००० मील लेकिन हम करीब ८८६३ मील लम्बी सड़कें बना पाये। धनराशि के हिसाब से पहली प्लान में ५०० लाख रुपये मिले, उसमें से हमने खर्च के किये ४०७.७० लाख यानी हमारा एचीवमेंट ८९.४ हुआ। और सैकन्ड प्लान में हमको बजट एलोकेशन था ९४१.५० लाख रुपये; पर राज्य सरकार ने ज्यादा खर्च किया, १००७.६१ लाख रुपये यानी हमारा एचीवमेंट १०७ प्रतिशत के करीब हुआ। फिर भी हम उस टार्गेट को मीट नहीं कर पाये और कमी रही। इससे ज्यादा मिलता तो हम नागपुर प्लान पर आ पाते।

फिज़ीकल एचीवमेंट्स के हिसाब से फर्स्ट प्लान में हमारे न्यू कन्स्ट्रक्शन १,३०४ माइल हुए और सैकन्ड प्लान में हुए २,१८९ माइल और इम्प्रूवमेंट हुआ फर्स्ट प्लान में १,०९५ मील और सैकन्ड प्लान में १९७५ माइल; यानी टोटल जो एचीवमेंट हुआ वह फर्स्ट प्लान में २,३९९ माइल और सैकन्ड प्लान में ४,१५४ माइल। यह मैंने आपको सैकन्ड फाइव ईयर के अन्त तक का नक्शा पेश किया है।

थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो टार्गेट है वह इस प्रकार है; १९६१ से १९६४ तक, तीन साल के अन्दर, जो पैसा हमको मिला वह ५९९.३६ लाख मिले। न्यू कन्स्ट्रक्शन्स हमारे हुए ११२५ माइल और इम्प्रूव हुए ७५५ माइल। १९६४-६५ का हमारे जो बजट एलोकेशन है वह १५१ है और हमारा एचीवमेंट है ३६० माइल न्यू कन्स्ट्रक्शन्स और १९० माइल इम्प्रूवमेंट। और १९६५-६६ का जो बजट एलोकेशन है वह है १९०, और फिज़ीकल टार्गेट्स हैं न्यू कन्स्ट्रक्शन्स ४१० माइल और इम्प्रूव करने हैं २३० माइल।

जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, हमारा राजस्थान का ओरिजिनल बजट १३०० करोड़ था, वह श्रिन्क होकर ९१०.३६ करोड़ के आसपास पहुंचेगा। तो माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब फाइनेन्शियल बैंकिंग नहीं होती है तो प्लान श्रिंक होता है और इस वजह से कई सड़कें जो प्लान के अन्दर थीं उनको, फाइनेन्शियल बैंकिंग न होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं ले पा रहे हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में हम ले लेने की कोशिश करेंगे।

यह भी एक इन्टरेस्टिंग फीगर है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि

(श्री हरिश्चन्द्र)

१६४६ में जो सर्फेस रोड्स थीं राजस्थान में वे कुल मिलाकर ३,१६४ माइल थीं और अनसर्फेस्ड थीं ५,२२४ माइल और टोटल थीं ८,४१८ माइल और आज १६६६ के अन्त तक हमारे जो फीगर्स आ जावेंगे; वे हैं सर्फेस रोड्स १०,४३१ माइल और अनसर्फेस्ड ५,२२४ से राइज होकर ८,२२३ माइल। अब नागपुर प्लान को अगर हम एचीव करना चाहते हैं जो कि ऑल इन्डिया में हो चुका है, राजस्थान पीछे हैं।

(४. १६. म. प.)

राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

जैसी कि माननीय सदस्यों की राय नजर आती है, अगर हम उस प्लान को एचीव करना चाहते हैं, नागपुर प्लान को, तो उसको एचीव करने के लिये हमको फोर्थ प्लान के अन्दर ३५ करोड़ रुपये और पांचवीं प्लान के अन्दर ४० करोड़ रुपये रोड्स के बजट में चाहियेंगे, जब जाकर हम ऑल इन्डिया बेसिस पर आ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : After the Fifth Plan.

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, after the Fifth Plan. अगर हम नागपुर प्लान को एचीव करना चाहते हैं तो जो बजट एलोकेशन हमको मिल रहा है वह इनसिग्नीफिकेन्ट है और इनसफीशियेन्ट है।

तब जाकर हम उस लेवल पर पहुंच पायेंगे। मैंने जैसा कि आप लोगों से अर्ज किया कि राजस्थान की हिस्ट्री ऐसी रही है, पास्ट हिस्ट्री ऐसी है कि उसको देखते हुए हम जरूर आगे बढ़े हैं। कहां ३ हजार और कहां १० हजार पर पहुंच गये है और ऑल इण्डिया बेसिस पर जाने के लिए भी हम को बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत ही नहीं उसके साथ साथ जो आर्थिक संकट है उसको भी मिटाना पड़ेगा तब जाकर हम उस लेवल पर पहुंच पायेंगे।

इसके अलावा यहां पर फेमिन रोड्स के बारे में कुछ चर्चाएं आईं। फेमिन रोड्स राजस्थान के अन्दर जो कुछ एक्सपेन्डीचर पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा हुआ है उसके आंकड़े २ करोड़ १६ लाख के करीब आते हैं, और टोटल लेन्थ जो हमने वर्क शुरू किया वह करीब १७७५ मील सड़कों के ऊपर काम शुरू किया है और जो टोटल लेन्थ ऑन दी ग्रेवल्ड रोड एण्ड कम्पलीटेड है वह है १०२२ :

"Total length for which material is lying on site and at quarry : 445 miles. The amount required for completing these 445 miles is Rs. 50 lakhs and amount required for establishing link with the nearest road to the village,"

यानी उस सड़क को किसी सड़क को, मिला देने के लिए या नियरेस्ट विलेज तक पहुंचाने के लिए वह ८७ लाख है, और तब जाकर यह जो फेमिन की सड़कें बनीं हैं उन फेमिन की सड़कों को हम पूरा कर सकते हैं यानी नियरेस्ट रोड या नियरेस्ट विलेज तक पहुंचा सकते हैं। सरकार ने यह तय किया है कि जो बजट एलोकेशन्स हमको मिले हैं उनमें से थोड़ा सा एमाउंट उन सड़कों के लिए जैसा कि माननीय सदस्य .

(श्री हरिश्चन्द्र)

ने कहा था, कोलायत से आने वालों ने कहा था, कि जो फेमिन रोड्स बनी हैं उन फेमिन रोड्स को हम धीरे धीरे पूरा कर सकें, इसका प्रावधान इस बजट में रखा है। मैं यह नहीं कह सकता कि सारी सड़कों को कम्प्लीट कर दिया जायेगा, लेकिन धीरे धीरे इस बात का जरूर प्रयास किया जायेगा कि अनकम्प्लीटेड वर्क्स को कम्प्लीट करें ताकि जो भी एमाउंट लगा है उसके ऊपर वह वेस्ट न जाये।

इसके अलावा राजस्थान के पास इस वक्त करीब ७८४ मील लम्बी नेशनल हाईवे है। वह राजस्थान में से गुजरती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो फेमिन रोड्स बनी हैं इनकी मेन्टीनेन्स के लिए, जो आपने १०२२ मील की सड़कें बताई हैं वे १०२२ मील कम्प्लीट कर दी हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि इनको पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रान्सफर कर दिया जाय ताकि मेन्टीनेन्स हो। जो भी रोड्स बनी हैं उनको कम्प्लीट करने का और आपस में एक दूसरे से जोड़ने और विलेजेज़ के नजदीक पहुंचाने का वह प्रोग्राम तो है ही, लेकिन उनके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था उचित तरीके से करें।

श्री हरिश्चन्द्र : जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० ने बनाई हैं उनको तो लिस्ट पर ले ही लेंगे, उनका तो कोई सवाल नहीं है। वे हमारी मेन्टीनेन्स लिस्ट पर आ जायेंगी और आ भी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी रिपेयर्स हो जाना निहायत जरूरी है ताकि खराब न हों, लेकिन आपका इशारा उनकी तरफ है जो तहसीलों ने बनाई हैं। तहसीलों ने भी अलग बनाई हैं, पी० डब्ल्यू० डी० ने तो बनाई ही हैं, लेकिन तहसीलों ने अपनी सड़कें बनाई हैं, उन सड़कों के बारे में मैं यह अभी नहीं कह सकता आपको कि वे फीगर्स इसमें इन्क्लूडेड हैं कि नहीं। मगर वे सड़कें तहसीलों ने बनाई हैं उनकी क्या कन्डीशन है, क्या नहीं; उनको देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पायेंगे। आज कहने के लायक नहीं हूं। लेकिन जो पी० डब्ल्यू० डी० ने बनाई हैं उनको जरूर मेन्टीनेन्स लिस्ट पर ले लेंगे और मेन्टेन भी करेंगे, और ओरीजिनल ग्रान्ट देकर जहां हो सकता है वहां जैसे कंवेरी पर मेटीरियल पड़ा हुआ है उसको उठाकर, ट्रान्सपोर्ट करके वहां लाकर दबाने का ही सवाल है उसको मंगवाकर दबवा देंगे ताकि मेटीरियल भी खराब न हो और सड़क भी खराब न हो। लेकिन इस सारी चीज में ५० लाख चाहिए और ७० लाख रुपये चाहिए तब जाकर सारा काम कम्प्लीट होगा, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि सारी चीजों को कम्प्लीट कर लें, लेकिन जितना भी पैसा है उनको लगायेंगे ताकि वह वेस्ट न जाये। उसको लगाने का जरूर सोचेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : कम्पेन्सेशन का एमाउन्ट कितना एसेस किया है, वह भी इसमें है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें कम्पेन्सेशन का नहीं है। वह तो कॉस्ट में निकल गया। दो करोड़ लगा है, उनकी कॉस्ट में आ गया होगा।

एक माननीय सदस्य जो कोलायत से आये हैं उन्होंने बीकानेर के बारे में कुछ

(श्री हरिश्चन्द्र)

कहा कि प्रोविज़न कम है। वह जो प्रोविज़न है आपको कम नजर आता है कि बीकानेर डिवीज़न के अन्दर इसमें नेशनल हाईवे इन्क्लूडेड नहीं है और डिफेन्स रोड भी इन्क्लूडेड नहीं है। इस वास्ते अगर आप जो डिफेन्स रोड है जो राजगढ़ से लेकर बीकानेर तक आती है रतनगढ़ होते हुए, वह डिफेन्स के अन्दर अब चली गई है। तो वह सारा रुपया भी बीकानेर डिवीजन के अन्दर है। इसके अलावा नेशनल हाई वे जो बन रहा है बीकानेर से डूंगरगढ़ होते हुए वह भी बीकानेर डिवीजन के अन्दर है इसके अलावा जो डिफेन्स ने एग्री कर लिया है बीकानेर से गंगानगर वाया सूरतगढ़ वह भी इसमें इन्क्लूडेड नहीं है। वह भी डिफेन्स के अन्दर है। वह एमाउन्ट इसमें एड होगा। इस वास्ते जो फीगर्स आपके सामने हैं वे सारे राजस्थान के फीगर्स नजर आते हैं, लेकिन उसके अन्दर डिफेन्स का ह्यूज प्रोग्राम डाल दिया गया तो काफी स्केल-अप हो जायेगा, फिर दिमाग में शुबहा रखने की जरूरत नहीं है....

श्री **मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : मान लो कि प्रकृति हमको देती है उसके लिए कैसे आपका अहसान मानेंगे; जैसे राजस्थान कैनाल है वह बीकानेर डिविज़न में है। डेवलपमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि कैनाल को आप देख लें।

श्री **हरिश्चन्द्र** : फीगर्स जो आपने कहे उसके लिए कहा है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : प्रश्न सिर्फ यह है कि मैंने इस बात का इशारा किया था कि दो जिले ही ऐसे हैं राजस्थान में, जैसलमेर और बीकानेर, जिनमें १.०१ और १.५ परसेन्टेज रुपया खर्च हो रहा है और बाकी के ८ जिले ऐसे है जिनमें २ से ३ परसेन्ट के बीच में है। मेरा निवेदन यह था कि इन दो जिलों को भी २ से ३ परसेन्ट की केटेगरी में डाल दें।

श्री **हरिश्चन्द्र** : आप एलोकेशन की बात करते हैं ?

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : जी हां। टोटल प्लान में डेढ़ परसेन्ट एलोकेशन हुआ है।

श्री **हरिशचन्द्र** : उसमें अगर या सारे जोड़ेंगे तो इतना स्केल हो जायेगा कि दूसरे इलाकों के ऊपर निकल जायेगा।

मैंने जैसा कि एक माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले ने कहा कि जो आपने प्रोविजन रखा है उसको खर्च नहीं किया है। जो कि बीकानेर से गंगानगर जाने वाली सड़क है उसमें झगड़ा सिर्फ यह है कि जो खर्चा हम कर देते हैं तो वह तो हमको मुजरे नहीं मिलेगा। वह रिफण्ड नहीं करते हैं। अगर रिफण्ड का प्रोविजन हो जाये तो कोई एतराज नहीं है। अगर मैं आज एक लाख रुपया लगा देता हूं तो वह खर्च तो हो जायेगा। उसको बचा कर उस प्लान के अन्दर वह डिफेन्स में आयेगा उसमें जुड़वाना चाहता हूं। इस वास्ते वह जो उसमें नहीं बैठेगा।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आप जो कह रहे है वह सही है। लेकिन ये दोनों ही

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जिले जो हैं वे एक-डेढ़ परसेन्ट में हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिला है, जैसे डिफेन्स रोड्स बन रही हैं, लेकिन वे इस नाम से जो होंगी रोड्स; जैसे बीकानेर से बाप रोड है उसको ग्रेवल्ड करना जरूरी है। उसकी रिपेयर नहीं हो रही है। वह भी नहीं बन रही है। कुछ इम्पोर्टेन्ट रोड्स हैं जिनके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन उन पर आपको तवज्जोह देना चाहिए। कोई १० मील का टुकड़ा है, तो कोई २ मील का टुकड़ा है...

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी आवश्यक रोड्स हैं जिनसे यातायात में सुविधा हो या वहां के इकोनोमिक डेवलपमेंट में कोई फर्क पड़ने वाला हो.......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर से बाप रोड का कितना रखा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस वक्त रोड को डिस्कस नहीं करना चाहता। That is a very difficult process. यह मैं जनरल आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी कोई सड़क है जिसके अन्दर वहां का इकोनोमिक डेवलपमेंट भी हो तो जरूर मैं उनको कन्सीडर कर सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : ओसियां का रूट बाप से ज्यादा खराब है।

श्री हरिश्चन्द : यहां पर डूंगरगढ़, सरदारशहर-हिसार सड़क की भी काफी चर्चा हुई है। एसेम्बली में काफी क्वेश्चन्स भी इसके बारे में आते हैं। अब इस सड़क के बारे में डिफेन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसकी पोज़ीशन यह है : माइल ६६ से ७६ तक ८.६६ लाख के टेन्डर १६-१२-६४ को हो चुके हैं। माइल ७६ से ८२ तक २.४६ लाख के टेन्डर १०-८-६४ को हो चुके हैं। माइल ८३ से १०३ तक १६.६१ लाख के टेन्डर २४-२-६५ को हो चुके हैं और माइल १३८ से लेकर १४३ तक के ४ लाख १५ हजार के १७-१०-६४ को टेन्डर हो चुके हैं। वर्क ७६ से ८२ तक का स्टार्ट हो चुका है बाकी टेन्डर पर डिपार्टमेन्ट विचार कर रहा है और आशा करता हूं कि यह काम भी जल्दी ही शुरू हो जावगा। यह इन्टर-स्टेट रोड है, यह काफी खराब सड़क रही है इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आप कहेंगे कि रिपेयर क्यों नहीं करते ? रिपेयर्स की हालत यह है कि हमारे पास ग्रान्ट कम है और यदि सारी ग्रान्ट एक में ही लगा देंगे तो दूसरी सड़कें रह जायेंगी....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): २ माइल आगे बनती है तो पीछे को खराब हो जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : पीछे की खराब नहीं होती है। यह जनरल स्टेटमेन्ट आप करें तो मैं नहीं मानता। यह मैं मानता हूं कि अगली दो-तीन मील ही पूरी कर पाते हैं क्योंकि पैसा कम है। यदि पैसा ज्यादा मिलेगा, अब की ज्यादा दिया हैं, तो ज्यादा बना सकेंगे ...

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब की बार २ लाख रुपये रखे हैं। सरदारशहर-रतनगढ़ के लिये अर्ज करता हूं जिसमें छापर भी आता है। राजगढ़ से सरदारशहर, तारा-

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

नगर, रतनगढ़, छापर, जिसको आप देखकर आये हैं, उसकी ऐसी स्थिति है कि कोई भला आदमी एक दिन भी सफर नहीं कर सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह अर्ज किया कि मेन्टीनेन्स की ग्रान्ट आती है उससे करवाते हैं । आपने बजट में क्या देखा ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : २ लाख २० हजार करीब उसकी मरम्मत के लिये रखे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : तो गलत क्या किया ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : इतने से क्या होगा, एक बार में हो जाय तो ठीक रहे ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह ओरिजनल दी है इन एडीशन टू मेन्टीनेन्स ग्रान्ट, इसलिए यदि आप पहले मेरे से पूछ लें तो ज्यादा अच्छा हो बनिस्बत खड़े होकर फरमा दें । यह रिपेयर्स के लिए नहीं है ओरिजनल ग्रान्ट है क्योंकि सड़क की हालत खराब है । मेन्टीनेस की अलग है । आप इस बात को थोड़ा समझ लें ।

श्री मथुरादास माथुर : (विधि मंत्री) बाल-काटने के पैसे अलग हैं और चम्पी के अलग हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरे मामले माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके बारे में भी अर्ज कर दूं । नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अजमेर की एक ऐसी सड़क है जो पहली पंच वर्षीय योजना से चल रही है और अब तक कम्पलीट नहीं हुई । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई सड़क पहली योजना से चल रही है तो उसको जरूर प्राथमिकता देकर कोशिश करेंगे कि तीसरी योजना के एण्ड तक पूरी कर दें । दो सड़कें उन्होंने बताई हैं, उनके बारे में जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि १ लाख ८० हजार का घपला है, उसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो संबंधित ऑफिसर हैं उनको चार्ज शीट दे दी गई है; वह मामला डिपार्टमेन्टल इक्वायरी के वहां चल रहा है, उचित कार्यवाही वे करेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरी अर्ज यह है कि आपने चार्ज शीट दी वह कितनी दिनों के बाद दी ? यह चींटी की चाल क्यों है ? चार्ज शीट आज दी और चार्जशीट बनाने में डेढ़ साल लग गया । मैं इसलिए नहीं कहता कि रुपये मार लिये हैं या उसको सजा हो, लेकिन सवाल यह है कि उसको चार्ज शीट दी, कब दी और डिपार्टमेन्टल इन्क्वारी के वहां मामला आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है, किसका प्रोटेक्शन है ? मैं यह अर्ज करूं कि चार्ज शीट आपके दफ्तर में पड़ी रही, डिलीवर नहीं हुई, जिसको देनी थी उसको नहीं दी । आपका दफ्तर उसको दबा कर बैठ जाता है । देखना चाहिये कि जनता का रुपया है आ जाय तो अच्छी बात हो ।

श्री हरिश्चन्द्र : जितनी जल्दी बर्ती जा सकती है करने की कोशिश की जायगी । चार्जशीट गलत फ्रेम हो गई थी उसमें और

(श्री हरिश्चन्द्र)

बातें एड करनी थीं उनको एड करवाकर मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाय इसकी कोशिश की गई है। मामला अब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पास है और इसमें जल्दी की जायगी ।...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फोर फर्दर एक्सप्लेनेशन: मैं यह समझा था कि यह चार्जशीट आती है कमीश्नर फोर डिपार्टमेन्ट इन्क्वायरी के वहां से जो क्वॉजी जुडिशियल बॉडी है उसको आप कैसे बदल सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट चार्ज शीट बनाकर भेजता है ।...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिर गलती तो नहीं बन जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : बन गई ।

हिन्डोली से आनेवाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया था कि प्राथमिकता ऐसे एरियाज़ को दी जाय जहां पर आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग के आदमी हैं । वैसे देखा जाय तो सारा राजस्थान ही पिछड़ा हुआ है है सड़कों की दृष्टि से । प्राथमिकता देना का सवाल तो तब आता है जब पर्याप्त धनराशि हो, पर्याप्त सड़कें हों और कोई एरिया छूट गया हो तब यह सवाल आता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा राजस्थान अभी सड़कों के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है इसलिए प्राथमिकता तो सारे राजस्थान को देनी पड़ेगी ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : जहां पर बिल्कुल सड़कें बनी ही नहीं हैं वहां पर तो प्राथमिकता देनी चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : क्या आपका मतलब यह है कि यहां पर सड़कें बनी ही नहीं हैं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नेनवा जहाजपुर के लिए इस फरवरी में, ४० हजार या जो कुछ सेंक्शन हुआ है उसके लिऐ हम यह चाहते हैं कि नैनवा से वाया नगर होकर उनियारा कनेक्ट हो जाय । उससे फर्क यह होगा कि जो देवली, बूंदी होकर कोटा जाते हैं वह लंबा रूट है और सीधा रूट नैनवा, नगर, उनियारा बूंदी होता हुआ कोटा निकल जायगा उससे १५-२० मील सेव होंगे । यह सड़क पूरी मंजूर है इसलिये पहले यह काम करके जोड़ लें तो कोटा--जयपुर का रूट बन जाता है ।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं । बीकानेर गंगानगर के बारे में तो मैंने निवेदन कर ही दिया । कोटड़ी से भीलवाड़ा के बारे में कहा है तो कोटड़ी से भीलवाड़ा का मामला भी आपके सामने रख दूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ६ साल हो गये । गये साल भी ५० हजार रुपये मंजूर हुए थे ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): बनेड़ा का काम तो २० साल में भी नहीं होगा जब तक सुखाड़ियाजी हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं निवेदन कर दूं कि यह ८ मील की सड़क है उसमें से ५ मील कम्प्लीट हो गई है, ३ मील बाकी है। ६४-६५ में इसके लिए ३० हजार रुपये थे उससे कितनी बनती, पूरी सड़क तो बनती नहीं। १९६५–६६ के अन्दर पचास रुपये दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे यह कम्प्लीट हो जायगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): कैसे हो जायगा ?_इसमें दो नदियां हैं, चार पुल बनाने हैं और सड़क आप फर्मा रहे हैं सात मील की है।

श्री हरिश्चन्द्र : पुल का जिक्र मत कीजिये। सड़क बन जाने दीजिये। वह पुल के बनने के चक्कर में रह जायगी। पहले आप सड़क बन जाने दीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं, नहीं! नौ साल हो गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नौ साल से बराबर काम चलता है। जो भी ठेकेदार आता है वह पैसा लेकर भाग जाता है। फिर सड़क बनती नहीं–इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा, एलोकेशन कम हुआ होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने खुद ने फर्माया था गत साल कि पचास हजार रुपया खर्च करेंगे। उसमें से २० हजार भी खर्च नहीं हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास एक्चुअल फीगर्स नहीं हैं कि कितना खर्चा हुआ और कितना एलोकेशन हुआ और कितना बचा। १९६५–६६ के अन्दर हमने पचास हजार का एलोकेशन किया है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर से गंगानगर की सड़क की बात कही थी जिसका मैंने जवाब दे दिया है। एक उन्होंने डिपार्टमेंटल वर्किंग के बारे में कुछ कहा था। डिपार्टमेंटल वर्किंग हमने राजस्थान के अन्दर किया है, एक जो कॉलेज है, मेडीकल कॉलेज, वहां पर बीकानेर के अन्दर भी डिपार्टमेंटल वर्किंग किया है और दूसरे मालविया इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्दर भी हमने डिपार्टमेंटल वर्किंग शुरू किया है। इसके अलावा एक दो ब्रिजेज पर भी डिपार्टमेंटल वर्किंग शुरू किया है। इस बात का प्रयास मैं जरूर कर रहा हूं कि डिपार्टमेंटल वर्किंग हम ज्यादा से ज्यादा कर पायें। लेकिन कन्सेन्ट्रेटेड वर्क अगर कोई होता है तो डिपार्टमेंटल वर्क में लेने में आसानी होती है। जो बड़े वर्क हैं उनको डिपार्टमेंटल वर्किंग में लें और किसी तरह से इस चीज को राजस्थान में फैला सकें, इसके लिए मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में घोषणा भी की है और इस बात को मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि जहां तक हो सके, राजस्थान के अन्दर जो बड़े वर्क हों, बड़े बड़े आइटम्स हों उनका सारा वर्क डिपार्टमेंटल वर्किंग से हो...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा। आपने डिपार्टमेंटल वर्किंग के लिए कहा लेकिन जिस काम को आप डिपार्टमेंटल वर्किंग से

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

करते हैं, उसके साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्टर भी लगा देते हैं। उसमें जो लोस के आइटम्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट पर डाल देते हैं और प्रोफिटेबल आइटम्स को कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। आप एक पॉलिसी बना कर चलें, यह तय कर लें कि कि यह वर्क डिपार्टमेंटल वर्किंग से कराना है तो वह सारा का सारा काम गवर्नमेंट करे।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो कहा है है, उसमें मुझे एतराज नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भारत सेवक समाज तो डिपार्टमेंट ही है। भारत सेवक समाज से काम कराना डिपार्टमेंटल वर्क कराना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हां हां, वॉलन्टरी संस्था है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भारत सेवक समाज की चम्बल समिति में बचाइये। मैं कहता हूं...

श्री हरिश्चन्द्र : Don't have apprehensions. Don't have baseless fears. आप हवा में मत कूदिये, जमीन पर चलिये !

मैं अर्ज कर रहा था, डिपार्टमेंटल वर्किंग हमने आपके सामने करके बताया है और कोई छोटा-मोटा काम करके नहीं बताया है। वह इससे ताल्लुक नहीं रखता है लेकिन बिजली लाने का सारा काम डिपार्टमेंटली किया है। हम चाहते यह हैं कि सारा काम डिपार्टमेंटली हो लेकिन उसमें से कितना काम डिपार्टमेंटली कर सकते हैं, इस चीज को मैं आज यहां पर खड़े होकर कह नहीं सकता। मैं यह चाहूंगा कि एक कोई आइटम ले लिया, कोई ब्रिज को ले लिया तो सारा काम जो करना चाहते हैं वह डिपार्टमेंटली हो। यह नहीं कि छोटे-छोटे ठेके देकर उस काम को कराया जाय। इसका मतलब यह है जिस आइडिया से चल रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। और एक्सपेरिमेंटली हम चाहेंगे कि तीन-चार, पांच डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के काम लें, जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे ब्रिल्डिंग का काम कन्सेन्ट्रेटेड लेबर का काम है, ऐसे ही सड़क का काम ले लें जिसके काम को डिपार्टमेंटली करा सकें। तीन–चार दफा काम कराने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि कितना अच्छा वर्क हम दे सकेंगे। इसको देखने के ये फेक्टर्स कि ज्यादा काम हो और ज्यादा चीप हो और जो लेबर है, जो एम्प्लॉएड हैं व्यक्ति, उनको चूसने की जो इस वक्त एक मनोवृत्ति है–जो ठेकेदारों की हो सकती है–उस चीज से भी हम उन्हें मुक्त कर दें। इन सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे; लेकिन आज का आज आपसे कह दूं कि राजस्थान के जितने काम हैं वह डिपार्टमेंटली हो जायगे, तो यह कहना मेरे लिए मुश्किल है...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक बात का आप स्पष्टीकरण और कर दीजिये...

श्री हरिश्चन्द्र : और मैं समझता हूं कि यह अन्नेचुरल भी है।

Page No 136

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो बजट आप सड़कों के लिए रखते हैं ...

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे आपसे राय लेनी होगी तो बाद में आपसे राय ले सकता हूं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का सदस्य हूं. और मैं जो कह रहा हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह मैं कर सकता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट में रोड्स के लिए जो प्रावधान रखते हैं उसमें से कितना लेप्स होता है और कितना खर्च हो जाता है, यह बताइये ।

श्री हरिश्चन्द्र : आप यह पोइन्ट पहले रेज़ करते तो मैं बताता । अब यह पोइन्ट रेज़ करते हैं तो I cannot give reply.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं आपको रोड का नाम बताता हूं...

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इस तरह के प्रश्न का आन्सर नहीं दे सकता । मैं इसे देख लूंगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह केबिनेट में, डिसीज़न ले लिया है कि...

श्री हरिश्चन्द्र : मैं जब बोल रहा हूं तब आप खड़े होते हैं । माननीय सदस्य मुझसे तीन दिन पहले मिले थे तब मैंने पूछा था कि आपके यहां सड़क का काम शुरू हुआ या नहीं ? आपने कहा था कि हो गया है । लेकिन आज यहां पर खड़े होकर कुछ और कहते हैं । मुझे ताज्जुब होता है जब आप से बाहर बात होती है तो आपकी भाषा दूसरी रहती है और वहां बोलते हैं तो दूसरी भाषा में बोलते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे अधिकार का प्रश्न है । मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है । आप मेरे क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करते हैं । सरकार आपको पैसा देती है । काम कराने की जिम्मेदारी आपकी है, वह आपको पूरी करनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : नक्शे क्यों देते हैं जब काम कराना है तो ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मंत्रिमण्डल ने यह...

श्री हरिश्चन्द्र : आप केशोरायपाटन की सड़क के बारे में कह रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मंत्रिमण्डल ने और गवर्नमेंट ने यह निर्णय ले लिया था कि १९३२ में यह काम हो जाना चाहिए था । मगर हाउस के अन्दर यह कहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिश्चन्द्र : आपने सड़क की जो बात लास्ट टाइम उठाई थी, उसके बारे में

(श्री हरिश्चन्द्र)

जब आप तीन दिन पहले मिले तो मैंने पूछा था कि आपके यहां काम हुआ या नहीं ? आपने कहा काम चल रहा है। मुझे खुशी हुई कि आपको यह महसूस हुआ कि आपके यहां काम हो रहा है। लेकिन फिर आप आज उछल रहे है !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : उचकना तो इनका शौक है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप उतवले मत हों। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कहिये। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन बाहर जब बात करें तो आपकी भाषा अलग हो और यहां आपकी भाषा अलग हो, यह उचित नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जनता को बताने के लिए करते हैं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): दुरंगी बातें हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : एक प्रश्न जो यहां पर रेज हुआ।

(विराम)

वह चले गये।

श्री मानसिंह महार : माथुर साहब थोड़ा एक्टिंग कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पॉइन्ट रेज किया कि चूरू जयपुर रोड से कनेक्टेड नहीं है। वह कनेक्टेड है बाई रोड । यह हो सकता है कि रोड की हालत ठीक न हो। अगर कोई ऐसी बात हो कि उसकी रिपेयर करने का सवाल हो तो उसकी रिपेयर करवा देंगे। लेकिन यह नहीं कह सकते कि जयपुर चूरू से रोड से कनेक्टेड नहीं है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने दो तीन रोड्स के नाम लिये और कहा कि यह भी बन जाय, वह भी बन जाय, यह नहीं हो सकता। जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उनकी रिपेयर का सवाल हो तो उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन नई सड़कें इस वक्त फाइनेन्शियल बैंक ग्राउन्ड में नहीं ली जा सकतीं...

श्री जुझारसिंह (चेचट) : रिपेयर का सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : वह मैं देख लूंगा। आप बता दीजिये कि कौनसी सड़क खराब है। उसके लिये जितना पैसा दे सकते हैं, जितना धन हमारे पास है उसको देखते हुए वह दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं एक जानकारी चाहूंगा, आपने कभी किसी को इन्कार किया है कि यह काम नहीं होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : किनको ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप हर एक को सांत्वना दे रहे हैं कि यह काम हो जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर मैं किसी का भला कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूं ? इन्होंने कहा और उधर के सदस्यों ने कहा तो मैं काम कराता हूं । आपने कहा, सड़क खराब है, तो उसकी रिपेयर होनी चाहिए। अब जबकि पैसा हमारे पास है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके आगे नहीं जा सकते । इस साल सरकार ने ज्यादा पैसा दिया है इस लिए हम चाहेंगे कि रोड्स की मेन्टीनेन्स अच्छी हो । इसके अलावा आपने यह भी सुना होगा कि तीस सड़कें स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट में हाइवे नाम से डिक्लेअर की हैं उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं, जो रिपेयर ग्रान्ट है उसके अन्दर जो परसन्टेज मिलता है उससे हायर एलो-केशन देकर । उनका कम से कम सर्फेस ऐसा हो जायगा कि उन सड़कों पर चले तो ऐसा महसूस हो कि सडकोंका स्पेसिफिकेशन पहले से अच्छा है ।

अब एक सवाल उठता है यहां कि साहब, सड़के टूट जाती है, आप आगे सड़कें बनाते हैं और पीछे की सड़कें उखड़ जाती हैं । इसका बैक ग्राउन्ड आपको सोचना चाहिए । मैंने कुछ फीगर्स इकट्ठे किये हैं, वे मैं आपको बताना चाहूंगा । १९५१ के अन्दर टोटल नम्बर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड थीं ६८०७ । उसमें से एप्रोक्सीमेटली ३ हजार ट्रक्स थे, जिनका टनेज करीब १२ हजार टन के करीब, इसके आस पास फॉल होता था हमारी सड़कों के ऊपर । अब १९६४ के अन्दर जो टोटल नम्बर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है, वह हैं, ४१,६९४, यह व्हीकल्स और ट्रक्स मिला कर हैं, इसमें ट्रक हैं १०,९७३ और टनेज पहले की एवज में है ४२,८६२ ।

तो कहां तो पहले १२ हजार थे और आज ४२ हजार हो गए । हमारा वही टार पेन्ट का तरीका है । आपको जो काली काली सड़कें दिखाई देती हैं वे टार पेन्टेड हैं; ये टार रोड्स नहीं हैं । टार रोड्स आप नेशनल हाईवे में जावेंगे तो आपको देखने को मिलेगी और उनको देखने से आपको मालूम होगा कि वहां पर सड़कों पर २।। इंच और ३-३ इंच मोटा टार लगता है । मगर हमारे यहां पर इतना टार नहीं लगता । हम ऐसा करते हैं कि सड़क आपको काली दीखे और टार इसलिए डालते हैं कि उसका मेन्टीनेन्स ठीक हो जाए । और जो उन पर प्रेशर पड़े उससे वे उखड़ न जावें । इसलिए मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो टार रोड का सुझाव दिया कि टार सड़कें तैयार होते ही लगा दिया जाए, यह उनका बहुत अच्छा सुझाव है और टार उन पर करा दिया जावे तो वे सड़कें उखड़ेंगी नहीं । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे सर्फेस पर टार कराने के लिए कितना पैसा चाहिए । मगर फिर भी हम-आप देखते हैं, कि धीरे धीरे टार करा दिया जावे और अन्डर दी रिपेयर्स उन पर टार करा दिया जाए । इसलिए मैंने यह आपके सामने एक नमूना पेश किया है कि पहले कितना टनेज सड़कों पर चलता था और अब कितना हो गया ।

एक माननीय सदस्य ने जो अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा कि कोटा और बूंदी में सड़कें खराब हैं । कोटा और बूंदी में सड़कें क्यों खराब हैं, इसका कारण मैं

(श्री हरिश्चन्द्र)

निवेदन करूं। वहां की सड़कें इसलिए खराब है कि वहां चम्बल की नहर बनी और चम्बल की कैनाल को स्टेबिलाइज होने में तीन-चार साल लगे। कैनाल में कई परकोलेशन्स भी आ जाते हैं। जब तक यह केनाल स्टेबिलाइज नहीं होगी, लीकेज बन्द नहीं होगा हमारी सड़कें खराब रहेंगी। कई जगह जैसे पाटन की सड़क को ले लीजिए दोनों तरफ पानी भरा है। ये सड़कें किस काम की रहेंगी। हम उनकी रिपेयर्स करावें फिर भी विद् हैवी प्रेशर ऑफ व्हिकल्स वे फिर खराब हो जावेंगी। इसलिए सबसे पहला यह काम है कि उनको ड्राई किया जावे ताकि उन पर कोई वेट पड़े तो टूटे नहीं। आप देखेंगे कि जहां पर कन्सट्रक्शन्स के काम होते हैं उधर की सड़कें आपको अच्छी नजर नहीं आवेंगीं क्योंकि वहां पर कन्सट्रक्शन के काम होते हैं और हैवी व्हिकल्स उन सड़कों पर चलते हैं और ट्रैक्टर्स उन रोड्स से गुजरते हैं और उस कारण हमारी सड़कें खराब हो जाती हैं। जब उन पर ज्यादा प्रेशर चलता है तो वे उखड़ जाती हैं। जहां सडकों के दोनों तरफ पानी होगा तो वे सड़कें भी बैठ जावेंगी जब उन पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। पुरानी स्टेटों की सड़कें हैं जिनमें हेवी प्रेशर पड़ा तो वे सड़कें बैठ जाती हैं। इसलिए इनका इलाज यही हो सकता है कि पहले उनको पानी से साफ किया जावे और जब पानी नहीं रहे तो उनको ठीक बनवाया जावे···

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न यह है कि आप उनको पैसे भी देते हैं लेकिन काम माफिक स्पेसिमेन के नहीं होता। पैसे सरकार के यों के यों लगते हैं मगर काम उसके अनुसार नहीं होता, यह चीज इन्क्वायरी की है···

श्री हरिश्चन्द्र : इस चीज को तो मैं क्या समझूंगा, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं और न आप ही इंजीनियर हैं। आप हों तो आप बता सकते हैं। इसलिए यह कल्पना करना कि टार्गेट के हिसाब से काम नहीं किया और एकोर्डिंग टु स्पेसिफिकेशन काम नहीं हुआ, यह गलत है। जनरली आधे इंच का टार पेन्ट सड़कों पर होता है। आप बूंदी वाली रोड की बात करते हैं मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर आपको वह ऐसी इसलिए नजर आती है कि वहां पर पहले दो-दो, तीन-तीन कोट हो चुके हैं इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा केस आपके नजर में हो तो आप मुझे बताइये, आप मुझसे मिलिये, हम उसकी जांच करावेंगे।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य यहां अभी नहीं हैं। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि माही नदी पर पुल बनाया जाए क्योंकि भीलवाड़ा और डूंगरपुर का लिंक माही नदी पर पुल होने से हो सकता है। क्योंकि कडाना डेम बन रहा है, यह देखा जा रहा है कि इस पुल को किस जगह बनाया जाए। इस सम्बन्ध में इरिगेशन और पी० डब्ल्यू० डी० के बीच में बातचीत चल रही है कि कहां पर यह पुल बनाया जाए। वे लेवल तय करके दे देंगे; उसके बाद में जहां भी बनाना तय होगा बनाया जायेगा। इसकी हमने सेंक्शन दे दी है। बाकी आपने कई सड़कों के बारे में कहा,

(श्री हरिश्चन्द्र)

मैं एक दम उन सबके बारे में नहीं कह सकता । आप मुझे बता दें तो मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं ।

माननीय सदस्य, निम्बाहेड़ा, से आने वालों ने सड़कों के बारे में कहा । उन्होंने खास सड़क के बारे में कहा । इस सड़क की पोज़िशन, मेरा यह ख्याल है, ऐसी नहीं है । मांगलवाड़ा से निम्बाहेड़ा ३४ मील है । यह ग्रेवल रोड सैकन्ड प्लान में बनी थी और चूंकि वहां पर काली मिट्टी है, हैवी ट्रकों के आने-जाने से वह ठहर नहीं सकती है । उसको पक्का करने के लिए तीसरी योजना में प्रावधान नहीं है । उसको पक्का बनाने के लिए फोर्थ प्लान में कन्सीडर किया जा सकता है ।

श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : आपने उसे देखा नहीं होगा । यह ग्रेवल रोड नहीं है । वहां से इलेक्ट्रिक लाइन चम्बल पर जा रही है । आप उसको ग्रेवल ही बना दें । उसकी हालत बहुत खराब है ।

श्री हरिश्चन्द्र : आप यह कहिए कि उसकी हालत खराब है, यह हो सकता है । मगर वह ग्रेवल रोड बनी हुई है । आप यह न कहें कि ग्रेवल रोड नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि सदन का समय खत्म होने जा रहा है । बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के निर्णयानुसार डिमान्ड आज ही पास होनी है । इसलिए जब तक यह डिमांड पास हो जाए सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मोटर के आगे धूल उड़ती हुई नहीं देखी होगी । उदयपुर, मांगलवाड़ा, सुल्तानपुर, बहरोड़ आदि को देखें तो आपको मालूम होगा कि कितनी धूल उड़ती है । आप यह उस समय देखें कि यह ग्रेवल रोड है या कौनसी रोड है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय कोई बात कहनी हो तो पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन उठाया जावे तो ज्यादा अच्छी तरकीब रहेगी बजाय इसके कि सारी चीजें भाषण के रूप में रिपीट कर दी जावें ।

श्री हरिश्चन्द्र : इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह मांग पास की जावे ।

(५. म. प.)

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा हुई उसे सुना, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मैं इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने बहुत से उपयोगी सुझाव दिये । खास तौर से कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने वैसे तो शुरू में कुछ ऐसी बातें कहीं जो अटपटी थीं, पर बाद में जो सुझाव दिए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि श्रम नीति की आधारशिला है वह आई. एन. ओ. पैटर्न पर है, उसी पैटर्न पर भारत सरकार

(श्री भीखाभाई)

अपनी श्रम नीति आधारित करती है और राजस्थान सरकार भी उसी आधार पर अपनी नीति का निर्धारण और निर्माण करती जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धान्त है, हमारे देश के बड़े बड़े मनीषी और विचारक हुए हैं उनकी इसके पीछे देन है। महात्मा गांधी, गुलजारीलाल नन्दा, जिनके नाम लेबर क्षेत्र में लिये जा सकते हैं, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले बराबर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके नाम दुनिया में इस कारण विख्यात हैं।

यही नहीं, जो श्रम नीति का निर्माण कर उसका प्रतिपादन इस देश में होता है उसको संविधान में कोन्करेन्ट लिस्ट में स्थान मिला है ताकि यदि कोई राज्य सरकार उसके प्रतिपादन में हिचकिचाहट दिखाये, उनको काम में लाने में कमजोरी महसूस करे, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो भारत सरकार को अधिकार है कि किसी कानून को नये ढंग से बना सकती है और उसका पालन करना हमारा कर्त्तव्य होगा।

जो श्रम नीति की आधारशिला है उसका निर्माण त्रिदलीय विचारधारा से होता है। उसका हमारे यहां पूरा पालन हो रहा है। राजस्थान में श्रम सलाहकार मण्डल है, स्थायी श्रम समिति है, अनुशासन कोड ऑफ कण्डक्ट की कमेटी है, मिनिमम वेजेज एड्वाइजरी कमेटी है। श्रम मण्डलों के प्रतिनिधि, नियोजकों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि बैठकर आपसी बातचीत से आपसी फैसलों से सारे मामलों का हल करते हैं। इस नीति के आधार पर यहां यह काम हो रहा है।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि श्रम अधिनियमों का पालन ठीक तरह से नहीं होता। मैं निवेदन करूं कि जिस तेजी से हमारा विभाग काम कर रहा है, यदि मैं यह निवेदन करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस विभाग में काफी सुधार हुए हैं। पहले के और अब के आंकड़ों का मिलान किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि काफी फर्क पड़ा है। गये दो-तीन साल के आंकड़ों का मिलान किया जाय, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तकरीर में कहा कि कोई मापदण्ड होना चाहिए, मैं भी मानता हूं और मैं भी उसी मापदण्ड के अनुसार कहना चाहता हूं। उन माननीय सदस्य ने लेबर विभाग द्वारा सर्क्यूलेट की गई पुस्तिका को गम्भीरता से गौर करके नहीं पढ़ा होगा, उन आंकड़ों को मैं विशद् रूप से रखूं तो उन्हें कुबूल करना पड़ेगा कि इस विभाग में बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। कुबूल करने का ही नहीं यहां माथुर कमेटी का जिक्र किया गया, यह राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने माथुर कमेटी का निर्माण किया, और कोई सरकार नहीं। जो २७-२८ तारीख को श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमने भारत सरकार के सामने एक आइटम भेजा है। माननीय सदस्य ने कहा कि रिट्रोगेड स्टेप है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिट्रोगेड स्टेप नहीं है। उसका आधार मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि मिनि-

Page No 142

(श्री भीखाभाई)

सम वेजेज़ एक्ट में सेंट-परसेंट न्यूट्रलाइ-जेशन की गई। तो जो कहा कि रिट्रोगेड स्टेप है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। यहां पर मिनि-मम वेजेज़ के बारे में कहा है उसमें 'मे', शब्द का यूज़ किया है, कहीं नहीं कहा कि 'ओब्लीगेटरी' है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'May' means 'shall' in law.

Consult your Law Department.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 'May' means discretionary.

श्री भीखाभाई : कहीं नहीं है। If you are not convinced, then let me give you the entire recommendation.

सेंट-परसेंट ओब्लीगेटरी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉ कौन से डिविज़न में किया था ?

श्री भीखाभाई : बिना किताबों के फर्स्ट डिविज़न।

" 'minimum wages' or 'wages' may conist of a basic rate and a special allowance at the rate to be adjusted."

मैंने अपने पोइन्ट को मेक आउट कर दिया, ...स्ट में बताना चाहता था कि तीन ऑल्टर्नेट दिये हैं: "all inclusive rate", cost of living allowance, उसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार यह जो कहा गया, वह उचित नहीं है। माथुर कमेटी बनाई गई, बड़े परिश्रम से उसने श्रम संगठनों से और नियोजकों से मिल कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। वह रिपोर्ट मान-नीय सदस्यों के सामने आई है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, पर सबको मालूम है। उसमें कहा है मिनिमम ऑफ दी मिनि-मम यह राइट है पर दो बातों का ध्यान रखें कि इस देश को चलाना है, इस देश की अर्थ व्यवस्था को चलाना है, उद्योग-धंधों को चलाना है, और यह तभी संभव हो सकता है कि हम इस बात को देखें कि एक इन्डस्ट्री की किस प्रकार की पेइंग कैपेसिटी है। इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो 'न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी' वाली कहावत चरितार्थ होगी, उद्योगपति नहीं रहेंगे तो मजदूर नहीं रह सकते, इस-लिये हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ऑन ए, पॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, आपने अभी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि उद्योगपति नहीं रहेंगे तो मजदूर नहीं रह सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूर नहीं रहेंगे तो उद्योग-पति नहीं रह सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने आपको समाजवादी कहलाने वाली सरकार के श्रम मन्त्री बोल रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा कि उद्योग नहीं रहेंगे तो मजदूर नहीं रह सकते। यह पति और पत्नी वाला मामला दूसरा है। मैं यह कह रहा था कि ज्यों ज्यों उद्योग बढ़ेंगे त्यों त्यों पोटेंशियल्टी बढ़ेगी।

ये मेरे पास फीगर्स हैं। मैं उनको आपके सामने रखूं तो सदन का ज्यादा समय जायगा, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन आंकड़ों में नहीं पड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान के अन्दर ७५ हजार फैक्टरी वर्कर्स हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माथुर कमेटी को छोड़ दिया। Say whatever you have to say. Be concrete.

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं उनको बहुत उत्सुकता, इस बात पर है। वे समझते हैं कि मैं इस पर आज कोई घोषणा करने जा रहा हूँ, पर मैं निवेदन कर दूं कि मैं घोषणा नहीं कर सकता। सभी दृष्टि बिन्दुओं से विचार करेंगे, आपके दूसरे साथियों का भी दृष्टिकोण हमारे सामने है, आम जनता का दृष्टिकोण भी हमारे सामने है। अगर यह आइटम, जैसी कि रिपोर्ट हुई है, उस प्रतिवेदन ने कई सर्कल्स में हलचल मचा दी है, कई सरकारों में इस प्रकार का दिमाग बना दिया है कि क्या होगा? यदि उस प्रतिवेदन को जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे तो फाइनेन्शियल बोझा इतना बढ़ेगा कि उद्योग हमारे यहां पनप नहीं सकते, टिक नहीं सकते...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस सारी बात का विचार करके ही तो रिपोर्ट तैयार की गई है।

श्री भीखाभाई : इस बारे में अभी घोषणा नहीं होगी, उस पर विचार-विनिमय करके निर्णय लिया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप तो आज ही घोषणा करके नया इतिहास बना दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने श्रम सम्मेलन में यह कहा था कि बहुत शीघ्र घोषणा करने वाले हैं। हम समझते थे कि जब इन मांगों पर बहस होगी तब घोषणा करेंगे। सारे राजस्थान का श्रम वर्ग इन्तजार कर रहा है You must say, 'yes' or 'no'.

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जिस प्रकार से उत्सुक हैं उसी प्रकार से मैं भी उत्सुक हूं। इसमें संदेह नहीं कि जितनी जल्दी हो सकती है वह करेंगे। हमारे मुख्य मंत्री ने भी श्रम सलाहकार मंडल में बात कही थी और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कैजुअल लेबर को पांच रुपये अन्तरिम वृद्धि नहीं मिली। उसके अन्दर कुल मिलाकर जितनी भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जिसकी सूची मेरे सामने है उसके अन्दर देखा जाय तो लगभग ६१ ऐसे संस्थान हैं जिनमें पांच रुपये की अन्तरिम वृद्धि दी गई है और साथ ही साथ ३७ ऐसी म्यूनिस्पैलिटीज़ हैं, कुल मिला कर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कि ८० हजार मजदूरों को पांच रुपये की राहत मिली है। राजकीय संस्थानों में

(श्री भीखाभाई)

जो काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह अलग बढ़ी है, वह आपके सामने है। माननीय सदस्य जानते हैं कि लगभग १५ रुपये की वृद्धि हुई है। इस तरह से निजी क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में कोई भेदभाव का वर्ताव नहीं किया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल सरकार की अन्डरटेकिंग है; वहां पांच रुपये क्यों नहीं दिए गए ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार दी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम चैलेंज करते हैं कि उनको पांच रुपये नहीं मिले हैं।

श्री भीखाभाई : हो सकता है, उनको पांच रुपये लिंकिंग के जरिये से दिये गए हों क्योंकि वह सैन्ट्रल वेज बोर्ड से कनेक्टेड है, वह ऑलरेडी लिक्ड है, उसका एक फॉर्मुला है, उसके एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। लेकिन दिया जरूर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिल्कुल नहीं दिया है।

श्री भीखाभाई : मैं कभी एडेमेंट होने वाला नहीं हूं। यदि नहीं दिया है और लिंकिंग भी नहीं किया है तो उसको हम करा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कह दिया जाय कि दिलाया जायगा।

श्री भीखाभाई : जहां तक श्रम कानूनों के पालन का सवाल है, यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कहा......

श्री रामानन्द अग्रवाल : केजुअल लेवर वाली बात छोड़ गए ?

श्री भीखाभाई : उस पर भी आऊंगा। श्रम कानूनों के सम्बन्ध में उनका कहना था कि उनका पालन नहीं होता है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है। कुल मिल कर हमारे पास ७ इन्सपेक्टर्स हैं और हरेक इन्सपेक्टर के पास कम से कम १५० फैक्टरीज हैं। हमारे यहां फैक्टरीज कुल मिलकर १६४५ के करीब हैं और इस हिसाब से लगभग १४ इन्सपेक्टर्स आवश्यक हैं। फिर भी निवेदन करूं कि जो निरीक्षण करने के लिए एक रफ्तार है वह बढ़ती हुई चली जा रही है। फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत १९६२–६३ में लगभग १५६७ निरीक्षण हुए हैं और १९६३–६४ में १९६० निरीक्षण किए गए तथा दिसम्बर १९६४ तक कुल मिला कर १०६६ निरीक्षण किए गए, अप्रेल से दिसम्बर तक। कानून पालन न करने के लिए जिन कारखानों के खिलाफ कार्यवाही की गई उनमें १९६२–६३ के ४२ मामलों में सजा हुई। यह भी कहा गया कि जो मंत्रि मंडल के लोग हैं उनको किसी प्रकार की गाड़ियां आती हैं या जीपें वगैरह आती हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं एक चार्ट पेश कर सकता हूं जिससे मालूम होगा कि किस प्रकार

(श्री भीखाभाई)

निरीक्षण और अन्य बातें हुई हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जहां १९६०-६१ में ११६८ निरीक्षण किए गए, १९६३–६४ में ३३४४ किए गए और २३१ मामलों में चालान किया गया और १३३ को सजा हुई। वेतन भुगतान कानून के अन्तर्गत भी १९६२-६३ में १२५, १९६३–६४ में १५३ निरी–क्षण।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सारी डिटेल्ड रिपोर्ट सदस्यों को भिजवा दें।

श्री भीखाभाई : आपके पास है, आप पढ़ते नहीं हैं। वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत क्रमशः १,६०,०००) और १०४६, ०००) रुपये बांटे गए। सन् १९६०–६१ में केवल ३३ संस्थान स्टैंडिंग आर्डर्स के तहत पंजीकृत थे और १९६३–६४ में यह संख्या ५८ तक हो गई। मोटर व्हीकल्स के बारे में कहा गया कि कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है। वहां भी १९६१–६२ में मोटर व्हीकल्स के श्रमिकों की काफी संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। ट्रेड यूनियन्स १९६२-६३ में ११६ संघ पंजीकृत किए गए थे। अप्रेल से दिसम्बर तक १९६४ तक ९६ और अब संख्या ३८५ तक पहुंच चुकी है जिसके सदस्य ८,९९४ हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हेडिंग कुछ थी और पढ़ कुछ और रहे हो। आप बता रहे थे कि इन्सपेक्टरों ने निरीक्षण कितने किए, अब बता रहे हो कि ट्रेड यूनियन्स पंजीकृत कितनी हुई। फीगर्स बना सकते हैं, इन्फ्लुएन्शियल लोगों का चालान नहीं होता। यह मामला फीगर्स से कैसे तय हो जायगा ? सीमेंट फैक्टरी के लिए कुछ नहीं कहा। You must say something.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बात तो सही है। सवाई-माधोपुर सीमेंट फेक्टरी...

श्री भीखाभाई : "नवज्योति" का चालान कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने स्पेसी-फिकली पूछा कि सीमेंट फैक्टरी के अन्दर जो आपका चीफ इन्पेक्टर ऑफ फैक्टरीज है, उन्होंने बावजूद कहने के वहां पर उनका चालान नहीं किया। वहां पर फैक्टरी के अन्दर जो जगह थी उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया। एक आदमी मर गया एक आदमी का अब एक्सीडेंट हुआ। You must specifically tell. हमारा यह एलीगेशन है कि उस के भाई को, क्योंकि वहां पर ठेका है जिसका नाम हजारीलाल है, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको देखना है कि how far these allegations are true. You should closely look into them.

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। जिस दिन आदमी की मृत्यु हुई मेरा वहां जाना हुआ था। जो सरकार की तरफ से इन्सपेक्टर है उसके भाई को ठेकेदार बना रखा है और उसकी वजह से वह पैसा कमाता है और इन्सपेक्टर से मिला हुआ है। उस इन्सपेक्टर का वहां से स्थानान्तरण कर देना चाहिए। जिस आदमी के टुकड़े हो गए उस संबंध में यह रिपोर्ट दी गई कि वहां तो बिल्कुल सेफ्टी के साधन थे।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

यह तो ऐक्सीडेन्टल हो गया, गलत रिपोर्ट दी गई, केवल उसके भाई के लिहाज की वजह से। पैसा खाकर इन्सपेक्टर ऐसी रिपोर्ट करते हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी सदन में मौजूद नहीं है उसके प्रति सदन में चार्ज लगाना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि हजारीलाल नाम का व्यक्ति है। यह सही है। हो सकता है कि दूर के रिश्ते में भाई हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have been told that he is his real brother.

श्री भीखाभाई : That is not correct. I have learnt now उसके अनुसार मुझे मालूम पड़ा कि वह नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने सीरियसली कहा है तो उस बारे में जांच कराऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेक्टरी एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन देना चाहिये, उसको वह प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है या दिया गया है; सवाल यह है। इन्स्पेक्टर साहब से मांग की गई कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिये, फिर भी नहीं दिया गया। आदमी मर गया, एक्सीडेन्ट हुआ। मेनेजमेन्ट जितना इसके लिए रेस्पोन्सिबल है उतना ही इन्सपेक्टर भी है, इसके लिए जिम्मेदार है।

श्री भीखाभाई : This cannot be said at once.

श्री रामानन्द अग्रवाल : If it proves to be correct after enquiry then do you assure...

श्री भीखाभाई : उसकी इन्क्वयरी कराऊंगा, यह कहा है। जो एक्शन लेना है वह लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने केजुअल लेबर का क्वेश्चन लिया, उसको छोड़ दिया। आपने माथुर कमेटी का क्वेश्चन लिया, उसको भी छोड़ दिया।

You may say that we will take some time, इतना तक ले लेंगे। दस हजार पन्दरह हजार केजुअल लेबर का प्रश्न है, उसको छोड़ दिया।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते। मुरलीधरजी का एक पत्ता हरिप्रसादजी का एक पत्ता, सारी की सारी फाइल मेरे पास है।

श्री मुरलीधर व्यास : हमारा पत्ता काट मत देना।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो पत्ता कटेगा।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यदि श्रम कल्याण व श्रम नीति से सम्बन्धित बात नहीं कही जाय तो मेरी बात अधूरी रह जावेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५४–५५ में जहां केवल दो श्रम कल्याण केन्द्र थे वहां आज ३३ श्रम कल्याण केन्द्र और २६ उप-केन्द्र हैं।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री रामानन्द अग्रवाल : He will prove this by name thoroughly.

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह हुनर आपने भी कल ही सीख लिया है ।

श्री भीखाभाई : सूरतगढ़ और कोटा डेम पर भी एक एक श्रमिक कल्याण केन्द्र खोलने का विचार है ।

श्रमिकों के लिए औद्योगिक आवास के लिए व्यवस्था की गई है और ८० हजार रुपया की लागत से २३१६ मकान अभी तक बन चुके हैं और इसके अलावा जयपुर भरतपुर, ब्यावर में भी श्रम कल्याण केन्द्र भवन भी बन चुके है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो लाखेरी से आते हैं उन्होंने कहा कि वहां पर एक भी भवन बना हुआ नहीं है । इस वर्ष के बजट में ३८ हजार रुपयों का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, महंगवारी को देखते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश प्राप्त हुए हैं कि यहां पर उपभोक्ता भंडार, चीप ग्रेन्स शॉप स्थापित करनी चाहिये । राज्य सरकार और श्रम विभाग के प्रयत्नों से ५१ जगह पर इस प्रकार के भंडार खोले जा चुके हैं और मैं यह समझता हूं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में यह रिपोर्ट बहुत ही आशाप्रद है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सेल्फ प्रेज़ है ।

श्री भीखाभाई : Workers Education Scheme । भीलवाड़ा में एक नया वर्कर्स एजूकेशन सेन्टर खोला गया है । इसमें १३० लेबरर्स प्रशिक्षित किये गये हैं । हम इसको रीजनल सेन्टर पर लाना चाहते हैं, इसी प्रयत्न में हैं ।

इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था की गई है । केन्द्रों में पढ़ाई–लिखाई आदि का इन्तजाम किया गया है ।

श्री रामनन्द अग्रवाल : आपकी इन्टक के लोग ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, भूख हड़ताल कर रहे हैं । इस पर्चे में लिखा है, धोखा देना बन्द करो । आपकी ही यह यूनियन है ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यूनियन हमारी है, पर्चा तुम्हारा है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो संसदीय पद्धति है उसी प्रकार से टोका जाय तो उत्तम है ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक प्रकार की चर्चा हुई और वह आई. टी. आई. के बारे में हुई । लाखेरी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी । पहली योजना में दो औद्योगिक केन्द्र और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४ और तीसरी में ६, इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्र हमारे यहां पर काम कर रहे हैं । जिस प्रकार से भारत सकार से सीटें स्वीकृत की जाती हैं, भर नहीं पाती हैं । कई प्रकार की डिफिकल्टीज़ हैं ।

(श्री भीखाभाई)

एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ भी हैं और फाइनेन्शियल भी। साथ में मकान बनाने का सवाल है। इन कारणों से ये सीटें भर नहीं पाती हैं। ६१ के पहले १२६४ सीटें थीं लेकिन जब हम भरने लगे तो ६२ में १२०३ सीटें ही भर सकीं। ६२ के पहले १७२६ सीटें थीं, १९६४ तक १९८८ हुई और आज की तारीख में मैं निवेदन करूं कि ४१९८ सीटें हमारे पास हैं और भरने का जहां तक सम्बन्ध है ठीक ठीक नहीं कह सकता लेकिन कम ही भरी हैं। इसका मुख्य कारण जो डिफिकल्टीज़ हैं वे मैंने आप को बतायीं। बिल्डिंग, इक्विपमेन्ट और सुव्यवस्था करने के साथ साथ दूसरी फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ भी हैं। अनएट्रैक्टिवनेस भी इसका कारण है। मैं इसको स्वीकार करता हूं; जैसे कार्पेन्टरी है। यदि भारत सरकार दूसरी जगह इसकी व्यवस्था करने की स्वीकृति दे तो हम करने के लिए तैयार हैं।

अब मैं काम दिलाऊ दफ्तर पर आना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य ने एक बात कहना उचित समझा। यदि यह विचार हो और यह ख्याल हो कि यह दफ्तर एम्प्लॉयमेन्ट की पोटेन्शियलिटी क्रियेट करता है तो यह गलत धारणा है। लोगों में यह गलतफहमी हो सकती है। It is an exchange What is an exchange ? Bullion exchange होती है, Cotton exchange होती है; it is one of the exchanges.

श्री मथुरादास माथुर : And ours is a fair exchange.

श्री भीखाभाई : एक तरफ लिटरेट का सवाल एजूकेटेड को एम्लॉयमेन्ट का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फीगर्स मुझे एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के बारे में मिले हैं उससे सन्तोष ही होता है। जिस पोइन्ट के लिए माननीय सदस्य अधीर हो रहे हैं उनके लिए मेरे पास जवाब है और मैं उन्हें वह दूंगा। माननीय सदस्य जो बीकानेर से आते हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ओन ए पोइन्ट ओफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर, मैंने आपसे बुलियन एक्सचेन्ज के लिए नहीं पूछा था। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने तो आपकी मदद की थी। आपका डिपार्टमेन्ट वेगारी डिपार्टमेन्ट नहीं है। आपकी मार्फत सरकार रिक्रूटमेन्ट करती है। छः छः दफा आपके यहां से लिस्टें भेजी जाती हैं और लोग बेचारे खर्चा करके इन्टरव्यू के लिए जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है आखिर इतनी दफा क्यों भेजी जाती हैं और क्यों जूनियर का अपोइन्टमेन्ट होता फिर जाकर। कानून को मानने का एम्प्लोयर का फर्ज है। किसी एक लड़की को भरती करना था उसके लिए जब तक उसका नाम न आ गया तब तक छः छः दफा लिस्टें मंगायी जाती रहीं और लोगों को बुलाया जाता रहा। आपको इसकी जानकारी करके ही जवाब देना चाहिये था। यदि यह बात सही है तो आपके डिपार्टमेन्ट का सरकार की ओर से प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। सरकार प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य बात करते हैं उसमें तथ्य हो सकता है। मैं उससे इन्कार नहीं करता। मैं किसी एम्प्लोयर को मजबूर नहीं कर सकता कि वे अमुक व्यक्ति को ही लें। उसके लिये हम मजबूर नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपनी सरकार को लिख सकते हैं कि इस प्रकार से चार-चार बार बुलाकर लोगों का वक्त तो खराब न करें।

श्री भीखाभाई : एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज का काम सिर्फ नाम भेजने का होता है, रजिस्टर्ड नाम होते हैं उसका सबमिशन किया जाय, उनको इन्ट्रोड्यूस किया जाय। यह नियम है इसी के अनुसार नाम भेजे जाते हैं। माननीय सदस्य ने जिसके लिए जिक्र किया उसका रेकॉर्ड मंगाकर देख लूंगा। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी होगा, वह भी लिया जायगा।

(श्री परसराम मदेरणा-श्री भीखाभाई के परस्पर बात करने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं चेयर का प्रोटेक्शन सीक करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय को स्वतन्त्र रूप से जवाब देने दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय यह तो बतलायेंगे कि एम्प्लोयर को यह डिस्क्रीशन है, वह चाहे जिसे एम्प्लोय करे। लेकिन गलत तरीके से रूल्स जिस प्रकार के बने हैं उनको अवोइड करता हुआ एम्प्लोय करे तो उसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की है न।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज का जो मेन फंक्शन है केवल नाम रजिस्टर करना और जहां से भी मांग आये वहां उन रजिस्टर्ड नामों को भेजना। उसमें एम्प्लॉयर स्टेट भी हो सकती है और प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है। जहां तक भर्ती के लिये नाम देने का सवाल है उसके अनुसार योग्यता के अनुसार वह नाम दे देता है। अब उसमें ४ लड़के हैं और एक लड़की है; तो यह तो एम्प्लोयर पर मुनस्सर है कि वह चाहे तो लड़कों को अपोइन्टमेन्ट दे दे या लड़की को। यह तो उनके अधिकार की बात है। यहां से तो क्वालिफिकेशन के आधार पर नाम भेज देते हैं। एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज तो सिर्फ एजेन्सी है नाम रजिस्टर्ड करके उनको भेजने की। सिलेक्शन तो मेरिट्स के आधार पर एम्प्लोयर ही कर सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय, जिस समय मैंने मामला रखा था उस वक्त आप थे नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार में और किसी एम्प्लोयर में फर्क है। सरकार के लिये यह कम्पलसरी कर दिया गया है कि वे एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये ही रिक्रूट करेंगे। उनको यह अधिकार तो है लड़कों को लें या लड़की को ले और चाहे जिस काम के लिये लें। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, चार-चार दफा लिस्ट भेज देता है, उनको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो जूनियर लड़की का नाम आ

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जय तो उसको ले लिया जाता है। आप इस तरह से उन लोगों का तो नुकसान करते ही हैं जो बेचारे दूर से चलकर आते हैं और खर्च करते हैं; सरकार को इसमें तरमीमात करनी चाहिये ताकि लोगों का वक्त खराब न हो।

श्री भीखाभाई : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज ने किसी की सीनियोरिटी को डिस्टर्ब किया हो, या वह खुद एम्प्लोयर हो..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कब कहता हूं कि एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज एम्प्लोयर है...

श्री राधाकृष्ण गोयल : एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा जो नाम भेजे जाते हैं उनमें उनकी एनर्जी वेस्ट होती है क्योंकि वे तो लिये नहीं जाते।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि जहां तक एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज का सवाल है कि किसी मामले में प्रायोरिटीज की गड़बड़ की होगी तो सजा दी जायगी। माननीय सदस्य से जैसी मेरी बातचीत हुई है उसमें एम्प्लोयर द्वारा गड़बड़ हुई, ऐसा वे कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि रेकॉर्ड मंगाकर मैं देखूंगा कि क्या कार्यवाही हो सकती हैं; हम अवश्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य बीकानेर से आते हैं उनका कहना है कि राजस्थान में मजदूरों की हड़ताल बहुत होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आखिर हड़ताल करवाने वाले कौन हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह तय हो जायें कि कोई भी माननीय सदस्य हड़ताल नहीं करायेंगे उद्योगों की प्रगति न रुकने पाये इसलिये। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि कितनी हड़तालें किन किन सालों में हुईं।

१९६१-६२ में १४ हड़तालें हुईं। १,२५४७ काम के घंटे की हानि; १९६२-६३-८ हड़तालें हुई ३५,५०० कमी दिन की हुई। ६३-६४ में ३४ हड़ताल हुईं। और ६४ में हड़ताल के दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें किसी पार्टी का प्रयत्न था, यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जहां तक श्रमिकों का सवाल है उनको इसमें हानि हुई है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जहां वे उद्योग को पनपाने की बातें करते हैं वहां उनको हड़तालें करवाने में योग नहीं देना चाहिये। आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान का मजदूर और मालिक नजदीक नजदीक आयें और देश में उद्योगों को पनपानें में पूरी मदद करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You should be straight forward and say that you are ineffective.

श्री भीखाभाई : No, no. I am not ineffective. I can replace you even.

यहां पर एक बात और कही गई कि नेशनल बॉल बियरिंग में जो हड़ताल हुई उसमें सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया, यानि मेरे द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, मिस्टर सिन्हा को हटा देंगे। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर

(श्री भीखाभाई)

दूं, मैंने एक अपील निकाली थी उसमें मैंने कहा था कि दोनों तरफ के लोगों को नजदीक आना चाहिये। मजदूरों की दयनीय स्थिति हो रही थी। नैतिक-अनैतिक काम शुरू होने लगे थे, उनकी इस हालत को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने वगैर चीफ मिनिस्टर के पूछे यह अपील निकाली।

श्री मथुरादास माथुर : आ तो थारी ही हिम्मत थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माथुर साहब ये तो आपसे भी आगे बढ़ गये हैं।

श्री भीखाभाई : जहां तक डिस्प्यूट का सावल है, लेबर ऑफिसर को लिखकर के रेफरेन्स कर रखा है। पंच फैसले पर जोर दिया गया है, पंच फैसला ही श्रम नीति का मुख्य आधार स्तम्भ है। पंच फैसले द्वारा झगड़ों को सुलझाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह की परम्परा बन जाती है तो यह मजदूर और उद्योगपति दोनों के लिये ठीक हो सकता है। मेरा निवेदन है कि अदालत में जाने से बचा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, नेमी बाई, चतुर्भुज मिस्त्री की पत्नी का सवाल उठाया गया कि इसको कम्पेन्सेशन नहीं मिला। माननीय सदस्य उनको सलाह देते कि मुआवजा कानून के अन्तर्गत दरख्वास्त कम्पेन्सेशन कमिश्नर के सामने प्रस्तुत करते तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। आप यदि डिटेल्स बतायेंगे तो स्पेशल इन्क्वायरी करके आगे बात की सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्या लेबर डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी नहीं है? फेटाल एक्सीडेन्ट के तहत उनके पास इन्फोर्मेशन आनी चाहिए। लेबर ऑफिस की फेटाल एक्सीडेन्ट के तहत कम्पेन्सेशन दिलाने की जिम्मेदारी है।

श्री भीखाभाई : कम्पेन्सेशन दिलाने की जिम्मेवारी नहीं जब तक कि वे एप्रोच नहीं करते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपके पास फेटाल एक्सीडेन्ट की रिपोर्ट आई है?

श्री भीखाभाई : यह तो आपने अभी बताई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर जिस मीटिंग को एड्रेस करे। जो कॉपी उन्होंने मुझे भेजी है वह आपके पास और चीफ मिनिस्टर के पास भेजी है। उस व्यक्ति को लेबर डिपार्टमेंट के जरिये बुलाया गया, बिजली का काम करने के लिए वहां पर करेन्ट लगने से उसकी डेथ् हो गई, उसका कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। आज श्रम मन्त्रीजी कहते हैं, मुझे इस घटना की इत्तला तक नहीं, मुझे खेद है कि चीफ मिनिस्टर जिस मीटिंग को एड्रेस करें उनके बुलाने से सरकारी कर्मचारी जाय और वहां डेथ् हो जाय उसका कम्पेन्सेशन देने का सवाल आये तो श्रम मन्त्रीजी कहते हैं कि उनको इसकी इत्तला नहीं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में तो माथुर साहब ने बता दिया। विद्युत् मन्त्री

(श्री भीखाभाई)

ने भी कहा। अगर विद्युत् मन्त्री के पास सूचना होती तो जरूर इस पर कार्यवाही करते वे। मुझे इसका भरोसा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विद्युत् मंत्री से भी मालूम हो जावे।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मन्त्री) : मामले में जैसी लीगल कार्यवाही होती है वह करवा देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको पहले सूचना थी या नहीं थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं थी।

श्री भीखाभाई : जो कोलायत से आये हैं, उन्होंने एक बात उठाई.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लोकवाणी के बारे में तो कहिये।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, वर्किंग जर्नलिज्म के कैटेगोराइजेशन के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार निवेदन करना चाहता हूँ कि सबका कैटेगोराइजेशन हो गया है; केवल नवज्योति के श्रमिकों का नहीं हुआ है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसका जिक्र थोड़े दिन पहले किया था।

लोकवाणी का मामला आज प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने साफ कर दिया था। निवेदन किया था कि दोनों पार्टियों की कन्सेन्ट के कारण हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत बात है। श्रमिकों की तरफ से देरी लगने का कोई कारण नहीं था। आप बता दीजिये, अगर इस आशय का एक भी पत्र आपके पास हो तो, वरना मैं बताता हूँ। I shall read out that letter. जबर्दस्ती आप बढ़ाते रहे।

श्री भीखाभाई : पेमेन्ट ऑफ वेजेज के अन्तर्गत पॉवर सिटी मजिस्ट्रेट को होते हैं। इसके बारे में, मैं समझता हूँ, आगे विचार किया जावेगा।

न्यूनतम वेतन के बारे में कहा गया। इस बारे में यहां सरकार की तरफ से कहा गया है और गवर्नर के एड्रेस में भी इसकी सफाई दी गई है।

मिनिमम वेजेज में दूसरे धन्धे शिड्यूल रेट में लेने चाहिये; जैसे छापाखाने को, पत्थर तोड़ना, सोपस्टोन आदि आदि मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, सवाल यह है कि लोकवाणी अखबार है। उसमें जो कर्मचारी हैं, उनके दो सवाल हैं। एक तो वित्तीय या प्रोविडेण्ट फण्ड जो है वह रखना चाहिये बैंक में और उसमें उसका कण्ट्रीब्यूशन होना चाहिये। वह नहीं है। उनको पैसा नहीं मिला है वेजेज एक्ट में चालान नहीं हुआ है और झगड़ा चल रहा है, उसका तो जवाब दिया। पर जो गलत ढंग से कर्जा दिखाकर रुपया खाना चाहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिये आपने क्या किया वर्किंग जर्नलिट्स के लिये। वे क्या करना चाहते हैं ? चेरिटेबल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सोसाइटी है। पैसा इकठ्ठा करके, उसे डिज़ोल्व करके इनका पैसा भी खा जाना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन्स ले रहे हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को पता भी है कि दीन दुनिया किधर रहती है? प्रोविडेन्ट का मामला हमारे से हट गया है। तीन सालों से प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर भारत सरकार का रह रहा है। भारत सरकार का अब फुल फ्लेज्ड दफ्तर चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से भाषण के बीच में पोइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन न आए तो ठीक है। इससे भाषण का तारतम्य भी टूटता है और समय भी लगता है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : पोइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन से कन्फ्यूज़न करना चाहते हैं। पोइन्ट ऑफ कन्फ्यूज़न होता है वह।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हो जावे तो बाद में आप पूछ सकते हैं अथवा बीच में अगर प्रश्न बिल्कुल उलझ जावे तो पूछा जा सकता है। पर सारे रिप्लाई को वार्तालाप में ही रिड्यूस कर दें तो शान्तिपूर्वक जो रिप्लाई सुनाई दे सकता है उसमें भी बाधा पड़ती है। तो जो क्लैरिफिकेशन कराने हों उनके नोट्स ले लिये जावें और बाद में पूछ लिया जावे तो व्यवस्था अच्छी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिये आसन की ओर से इनको डाइरेक्शन हो जावे कि वे एडमिस्ट्रिटिव रिपोर्ट को सदन में पढ़कर सुनाने के जो पोइन्ट्स यहां रेज किये गये हैं उनका कन्क्रीट जवाब दें और जो उनको फिर अपने विभाग के कार्य के बारे में कहना हो वह कहें तो अच्छा रहे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि दोनों तरफ से यह आशा की जाती है कि ऐसी व्यवस्था रखी जावे। और जो कुछ भी प्रश्न उठाये जाते हैं, इस पक्ष से या उस पक्ष से, उनके विषय में, अथवा जो जानकारी दी जानी उचित हो विभाग के विषय में वह दी जावे और यह सब मिला कर मन्त्री मण्डल के पक्ष से कहा जाना चाहिये, कहा जाता भी है, और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से यह सारा काम चलना चाहिए।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ बशर्ते कि कम से कम ७ मिनट मुझे बिल्कुल अन-डिस्टर्ब्ड बोलने दिया जावे।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पांच रुपया मिला नहीं। मैं सारी लिस्ट पढ़ कर सुना दूं अगर आप चाहें तो। मैं यह भी बता सकता हूं कि यह २० हजार लोगों को मिला है। सरकारी क्षेत्र में २५ हजार को, वेज बोर्ड के २६ हजार को माइन्स के दस हजार लोगों को मिला है। कुल ७२ हजार मजदूरों को इसका लाभ मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो कही थी कि प्राइवेट इन्डस्ट्री के आदमी की अपील

(श्री भीखाभाई)

स्वीकार नहीं की तो डी. एफ. आर. में क्यों नहीं देते हैं ? उद्योग के लिए किस प्रकार से उनको स्मूदली और आपस में अच्छा वातावरण रखते हुए चलाया जाय और इसके अनुरूप व्यवस्था रखी जाय, इसके लिए नैतिक अपील थी। यह उम्मीद थी हमारी इसके पीछे कि मंहगाई को देखते हुए उनको इन्टेरिम रिलीफ मिलना चाहिये था। पर कई कारण हो सकते हैं उनके अपने अलग अलग।

यह भी कहा गया मिनिमम वेजेज़ की सिफारिश की गई। उसको उस तरह से क्यों नहीं माना ? सरकार के सामने कई दृष्टिकोण होते हैं। एक जगह १५ हजार ४५ रुपये मिलते थे वहां ६० कर दिया जावे और ६० करके २६ दिन का कर दिया जावे तो दो रुपया कुछ आने पड़ते हैं। अब उसके बजाय दो रुपये से कुछ ऊपर मिलने लगेगा तो यह ठीक है।

इसके साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माथुर कमेटी की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है, एकलिंगी का मामला भी विचाराधीन है कि मिनिमम वेजेज कितना होना चाहिए।

एक बात और कही गई टैक्सटाइल-लेबर को १०० परसेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन कर देना चाहिये। वह तो वेज बोर्ड है। उनका करार हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो एक्सपायर हो चुका।

श्री भीखाभाई : सवाई माधोपुर में एक मजदूर मर गया। फैक्ट्री एक्ट वहां लागू नहीं किया। एक प्रश्न और उठाया था। इन्टेरिम रिलीफ १०-१५ हजार केजूअल लेबर को नहीं दिया। सम्बन्धित मंत्री से बात-चीत की और आश्वासन दिया कि यदि फाइनेन्स का प्रतिनिधि हो और उनके विभाग का प्रतिनिधि हो और श्रम विभाग का प्रतिनिधि हो वे बैठकर निर्णय लें और कोई सोल्यूशन पर आ जावें कि क्या प्रिन्सिपल एडॉप्ट करना चाहिए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा तथ्य है। आर्ग्युमेन्ट पर विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे लाखेरी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कॉन्ट्रेक्ट लेबर के सिस्टम को समाप्त करना चाहिये। इसके लिए यह कहना है कि भारत सरकार इस कॉन्ट्रेक्ट लेबर को समाप्त करने के लिए एक बिल ले आई है और मुझे आशा है कि यह समाप्त होगा इसमें कोई शक नहीं।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लें और जो मांग रखी गई है उसे स्वीकार करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो श्रम जीवी पत्रकार कानून बना हुआ है और उसके तहत जो भी रेफरेन्स किया गया उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं कहा है। यहां वर्किंग जरनलिस्ट्स एक्ट के

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बारे में कुछ नहीं कहा गया उसके लिए चाहता हूं कि वे कुछ कहें। जो भी रिटर्न्स बड़े बड़े अखबारों के कैटेगोराइज़ेशन के लिए दिया है आपने उनको कभी वैरीफाई नहीं किया है। जो इन्टेरिम रिलीफ पत्रकारों को मिलनी चाहिए उसके बारे में कोई रिलीफ नहीं मिला है। पत्रकारों की १५), २५) रुपये की बढ़ोत्तरी हो जानी चाहिए, भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार, लेकिन आपके विभाग ने इस बारे में बिल्कुल ढिलाई बरती है और मैं इस बारे में मंत्री महोदय से एक निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि उनका कैटेगोराइज़ेशन एक महीने के अन्दर हो जायेगा।

भीखाभाई : मैं निवेदन करूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि कैटेगोराइज़ेशन इसका हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो हुआ है गलत हुआ है और बिना वैरीफिकेशन के हुआ है। प्रोपर्ली वैरीफाई आपके ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए। अखबारों के मालिकों ने जो रिटर्न्स दिये तो उनको मंजूर कर लिया है।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया कि इसमें जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार वर्किंग जर्नलिस्ट्स का कैटेगोराइज़ेशन हो गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर भी कोई दिक्कत हो तो वह वर्किंग जरनलिस्ट एक्ट के सेक्शन १६ के अन्दर क्लेम कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौनसा अखबार किस कैटेगरी में है; लोकवाणी, राष्ट्रदूत और नवज्योति, यही बता दें।

श्री भीखाभाई : मेरे पास कैटेगोराइज़ेशन जो किया गया है इस समय नहीं है इस लिए मैं नहीं बता सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिल्कुल गलत हुआ है। इस सत्र में यह दो बार प्रश्न उठा और आप तवज्जोह नहीं देते तो इससे और ज्यादा कमजोरी की बात क्या हो सकती है?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इनफोर्मेशन चाहता हूं।...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप तो गैर हाजिर थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६३,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य–भवन और

(श्री उपाध्यक्ष)

सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६,००,२८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २७ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,९१,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ५६ मिनट पर कल दिनांक २१ मार्च, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण-शनिवार, दिनांक, २० मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३६७५	शीर्षक	अ० स० ताराकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३६८६-८७	,,	आय-व्ययक, १९६५-६६····	तारांकित प्रश्नोत्तर····
		···· पर अग्रेत्तर वाद–विवाद	तारांकित प्रश्नोत्तर
३६९२	१७	श्रीमती लद्मीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
३७०४	अन्तिम से २	।मानन्द	श्री रामानन्द
३७०५	२	भीखाभाई	श्री भीखाभाई
३७०६	१४	श्री उापध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
३७२७	८	this	this.
,,	२०	ढ़ाबरिया	ढाबरिया
३७३०	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	तारांकित प्रश्नोत्तर
३७३१	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ० स० के तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२	प्रन्नोंत्तर	प्रश्नोत्तर
३७४१	शीर्षक	६७४१	३७४१
,,	५	पनरवा	पानरवा
,,	६	प्रिविलेज, है	प्रिविलेज है
,,	१५	की हैं	की है
,,	अन्तिम से ४	of it	of it.
३७४४	शीर्षक	विशेषाधिकार प्रश्न सम्बन्धी ··· अनुदान की मांगें	मांग संख्या २३,२७,४२ व ४३···सार्वजनिक निर्माण, श्रम
३७८६	१६	के लिये) ।	के लिये) ।]
३८००-१	शीर्षक	माच, ६५	मार्च, ६५
३८०६-७	,,	०२ मार्च	२० मार्च
३८१४	शीर्ष	(श्रीतमी नगेन्द्रबाला)	(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
३८१६	,,	(श्री नगेन्द्रबाला)	,, ,,
३८२४	शीर्ष	(श्री गंगासिंह आठोड)	(श्री गंगासिंह राठोड़)
३८२७	१२	श्री गंगासिंह (परिहार)	श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली)
३८३६	१०	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
,,	अन्तिम	,,	,,
३८३७	शीर्षक	३६३७	३८३७
,,	५,१०,१४ व २४	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम

१	२	३	४
३८३७,			
३८४४,			
३८५१	७ व १३	व्यास	व्यास
३८५३ व			
३८५६	शीर्ष	मार्च, --६५	मार्च, ६५--
३८६५	२०	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
३८७६ से		सार्वजनिक,	सार्वजनिक
३६२६	शीर्ष	निर्माण व श्रम	निर्माण, श्रम
३८६१	३	डिहार्टमेंटट्ल	डिपार्टमेंटल
३८६५	अन्तिम से ६	होता है	होता है।
३६२७	१३	श्री हरिशाचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
३६५८	६	जो आदसी	जो आदमी
३६६७	अन्तिम से ८	No. no.	No, no.